पंचम माला, खंड 49, अंक 11 सोमवार, 3 मार्च, 1975/12 फाल्गुन, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XLIX, No. 11 Monday, March 3, 1975/Phalguna 12, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 1-9-[illegible]
Parliament Library

[खंड 49 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजीमें अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and ontains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 11—सोमवार, 3 मार्च, 1975/12 फाल्गुन, 1896 (शक)

No. 11—*Monday, March* 3, 1975/*Phalguna* 12, 1896 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—	
तारांकित प्रश्न संख्या 181, 187, 188, 191 और 196	Starred Question Nos 181, 187, 188, 191 and 196	1-15
प्रश्नों के लिखित उत्तर —	WRITTEN ANSWERS TO QUESTION—	
तारांकित प्रश्न संख्या 182, 184 से 186, 189, 190, 192 से 195 और 197 से 200	Starred Question Nos. 182, 184 to 186, 189, 190, 192 to 195 and 197 to 200	15-25
अतारांकित प्रश्न संख्या 1791 से 1813, 1815 से 1890, 1892 से 1931, 1933 से 1976 और 1978 से 1990	Unstarred Question Nos. 1791 to 1813, 1815 to 1890, 1892 to 1931, 1933 to 1976 and 1978 to 1990	25-125
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	*Re.* Question of Privilege	125-126
सभापटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	126-129
बागान श्रम (संशोधन) विधेयक—	Plantations Labour (Amendment) Bill—	
(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(i) Report of Joint Committee;	129
(दो) साक्ष्य	(ii) Evidence	129-132
श्री मोहन धारिया के त्यागपत्र के बारे में	*Re.* Resignation by Shri Mohan Dharia	132-133
राष्ट्रपति से सन्देश	Message from the President	133
प्रधानमंत्री के जम्मू और कश्मीर सम्बंधी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव—	Motion *re* Prime Minister's statement on Jammu and Kashmir—	
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	133-134
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukerjee	135-137

किसी नाम पर अंकित यह + बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पुछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—12L.S.S. (ND)/75

विषय	Subject	
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	137
श्री एच० एन मुखर्जी	Shri H. N. Mukerjee . .	138
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. Varadaraja Rao	138-139
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan . . .	139-141
श्री के० हनुमन्तैया	Shri K. Hanumanthaiya .	141-142
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee .	142-144
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh. . .	144-146
श्री सुरेन्द्र महंती	Shri Surendra Mohanty .	146-147
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga . .	148-149 & 151

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 3 मार्च 1975/12 फाल्गुन, 1896 (शक)
Monday, March 3, 1975/Phalguna 12, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Export of Paddy as Seeds From U. P.

+
***181. Shri Hemendra Singh Banera :**
Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Agriculture** & **Irrigation** be pleased to state :

(a) the manner in which paddy was smuggled from Uttar Pradesh in the name of seeds ?

(b) the firms to which the paddy was so sold, the States in which these firms are located and the value of paddy sold to each of the firms ?

(c) the date on which the U.P. Government made a request for C.B.I. investigations and the reasons why investigation by C.B.I. was rejected ?

(d) the full facts regarding investigation in this scandal ; and

(e) Whether a copy of the investigation report will be laid on the Table of the House ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे): (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

बीजों के बहाने धान की कथित बिक्री के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई **जांच के सम्बन्ध** में रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है । अत: जिन फर्मों को धान बेचा गया था उनके नाम और स्थान आदि का ब्यौरा देना अभी सम्भव नहीं है ।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय को 22 जून, 1974 को भेजे गए अपने पत्र में अनुरोध किया था कि यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच करने के लिए सौंप दिया जाये । केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सीमित जन शक्ति और उनके हाथ में जो काम पहले से था उसे दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित कर दिया गया था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के लिए इस मामले की जांच करना सम्भव नहीं होगा ।

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा: मैं उत्तर देख चुका हूं और वह अस्पष्ट है। 14 जून, 1974 को 'टाइम्स आफ इण्डिया' में यू० पी० बीज घोटाले का समाचार छपा था और 26-8-74 को एक अतारांकित प्रश्न पूछा गया था तथा बाद में 18-11-74 को एक तारांकित प्रश्न यहां पूछा गया था। इस उत्तर से लगता है कि यह एक और घोटाला है और इससे यह भी स्पष्ट है कि सत्तारूढ़ दल उत्तर प्रदेश सरकार से मिल कर बेइमानी कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या 1974-75 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को 5.81 लाख रुपये का अनुदान दिया गया था जबकि 1975-76 में यह राशि 6 करोड़ रुपए है? मंत्री महोदय का प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर अजीब लगता है कि यू० पी० सरकार को सूचित किया गया है कि उक्त ब्यूरो के पास कर्मचारियों की कमी और काम की अधिकता के कारण वह इस मामले की जांच नहीं कर सकेगी। क्या दो वरिष्ठ मंत्रियों के संबंधियों का भी इस घोटाले में हाथ है और क्योंकि एक वरिष्ठ महत्वपूर्ण व्यक्ति इस में शामिल है अतः क्या केन्द्रिय सरकार ब्यूरो से इस घोटाले की जांच करने के लिए पुनः कहेगी।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: खेद है कि सदस्य महोदय निराधार बातें कहते जा रहे है। वास्तव में पिछली बार मैंने राज्य के मुख्य मंत्री से बात चीत के बाद यहि बताया था कि प्रथम दृष्टि से भी किसी केन्द्रिय मंत्री के संबंधी के विरुद्ध इस मामले पर कोई केस नहीं बनता है। उत्तर प्रदेश की खुफिया पुलिस द्वारा आगे जांच करने पर भी उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई केस नहीं बना। माननीय सदस्यों को ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहियें जिन को पक्ष में कोई प्रमाण न हो। आशा है कि वह इन मामलों में अपनी जिम्मेदारी समझेंगे।

जहां तक सी० बी० आई० का संबंध है, वह राज्य सरकारो द्वारा भेजे गए सभी मामले जांच के लिए स्वीकार करने को बाध्य नहीं है और यदि उन्हें राज्यों के मामलों संबंधी सी० बी० आई० की भूमिका की जानकारी अपेक्षित हो तो गृह मंत्रालय को वह अपना प्रश्न भेज सकते हैं।

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा: मुझे उनका उत्तर समझ में नहीं आया। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री त्रिपाठी के पुत्र इस केस में फंसे हुए हैं, अतः सी० बी० आई० द्वारा जांच आवश्यक है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: मुझे सदस्य महोदय के इस कथन पर घोर आपत्ति है। मैं समझता हूं उन्हें इस के लिए क्षमा मांगनी चाहिये नहीं तो उन्हें लिखित प्रमाण पेश करना चाहिये। इस प्रकार की बातें कहना उनके लिए बहुत गैर जिम्मेदाराना है। अन्य सदस्य भी आरोप लगाते समय किसी का नाम इस प्रकार नहीं लेते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं छानबीन से किसी भी केन्द्रीय मंत्री का कोई भी संबंधी इस घोटाले के संबंधित नहीं पाया गया है।

अध्यक्ष महोदय: यदि सदस्य महोदय के पास इस सूचना के आधार दस्तावेज हैं, तो उन्हें सभापटल पर रखें। सभा में अनुपस्थित व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाना सदस्यों का स्वभाव बन गया है।

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा: क्या जांच की रिपोर्ट सभापटल पर रखने को तैयार हैं?

अध्यक्ष महोदय: उनकी रिपोर्ट को छोडिये। आप अपनी सूचना के आधार दस्तावेज क्यों पेश नहीं करते?

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा: वह सी० बी० आई० की जांच बैठाएं। मैं वहां ये दस्तावेज पेश करूंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न।

पश्चिम बंगाल में लघु किसान विकास एजेन्सी तथा सीमान्तक किसान एवं कृषि श्रमिक योजनाओं के अन्तर्गत उठाये गए कदम

+

*187. **श्री एम० एस० पुरती:**

श्री टुना उरांव:

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कृषि श्रमिक वैकल्पिक रोजगार की खोज में बहुत अधिक संख्या में नगरों में आ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो लघु एवं सीमान्त कृषकों को नगरों में जाने से रोकने के लिए राज्य में लघु किसान विकास एजेन्सी तथा सीमन्तक किसान एवं कृषि श्रमिक योजनाओं के अन्तर्गत क्या उपाय किये गए हैं ;

(ग)उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत राज्य में कितनी परियोजनाएं प्रारम्भ हो गई हैं ; और

(घ) प्रत्येक एजेन्सी द्वारा गत तीन वर्षो में राज्य में कितना धन व्यय किया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे):(क) इस संबंध में सूचना पश्चिम बंगाल सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग) चौथी योजना में पश्चिम बंगाल को 3 छोटा किसान विकास एजेंसी परियोजनायें अर्थात् दार्जलिंग,हुगली और पश्चिम दीनाजपुर और 2सीमान्त किसान तथा खेतिहर मजदूर परियोजनायें, अर्थात् पुरुलिया और बांकुरा, मंजूर की गई थीं, ताकि छोटे किसानो, सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों को लाभ पहुंचाया जा सके ।ये एजेन्सियां छोटोसीमान्त किसानों के लिए अधिक उपज देने वाली किस्मों की खती, बहु सस्योपादन, लघ सिंचाई, भू-संरक्षण तथा सहायक कारोबार जैसे कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही हैं ।खेतिहर मजदूर सहायक व्यवसायों के अन्तर्गत आते हैं और उन्हें सीमान्त किसान तथा खेतिहर मजदूर परियोजना क्षेत्रों में तथा संयुक्त छोटा किसान विकास एजेंसी परियोजना दार्जलिंग में भी ग्राम निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत मौसम के बाहर के समय में मजदूरों रोजगार प्रदान किया जाता है । चौथी योजना में उपर्युक्त श्रेणी के ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए मंजूर की गई 5 वर्तमान परियोजनाओं को मिलाकर पाचवी योजना में इन परियोजनाओं की संख्या बढ़ाकर 9 की जा रही है ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

पश्चिम बंगाल में छोटा किसान विकास एजेंसियों/सीमान्त कृषक तथा खेतिहर मजदूर एजेन्सियों द्वारा पिछले तीन वर्षो में आरम्भ होने से लेकर खर्च की गई धनराशि

(लाख रुपये में)

एजेन्सी	आरम्भ होने से लेकर (दिसम्बर, 1974 के अन्त तक) व्यय को गई धनराशि	इन वर्षों में व्यय की गई धनराशि			वर्ष 1973-74 के अन्त तक व्यय की गई कुल धनराशि
		1971-72	1972-73	1973-74	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लघु कृषक विकास एजेन्सी, दार्जिलिंग	72.87	19.85	12.64	24.66	57.15
,, हुगली	65.40	11.89	4.07	12.72	28.68
,, पश्चिम दीनाजपुर	30.99	0.35	17.96	4.38	22.69
सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक बंकुरा	30.22	2.90	14.28	6.75	23.93
,, पुरुलिया	57.34	9.76	19.36	13.90	43.02

Shri M. S. Purty : In reply to part (a), it has been stated that information is being collected from West Bengal Government. I therefore, want to know the time taken to collect such information ?

In reply to part (b), it has been stated that small Farmer Development Agency and Marginal Farmers Development Agency Schemes are being implemented in four district of the State. I would like to know the number of farmers benefited so far and the nature of benefit accuring to them ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सूचना न मिलने के बारे में ठीक-ठीक आंकड़े संकलित करने में राज्य सरकारें समय तो लेंगी ही क्योंकि जन्म-दर से भी अधिक तेजी से नगरों की जनसंख्या बढ़ती है। किसानों की संख्या के बारे में लगभग 65,000 लघु और सीमान्त किसानों को खेती के सुधरे तरीके अपनाने के लिए सहायता दी गई और 5,000 किसानों को लघु सिंचाई का लाभ पहुंचाया गया ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के अधीन लगभग 1700 कृषि श्रमिकों को मजूरी-नियोजन दिया गया।

Shri M. S. Purty : Whether these Schemes would be introduced in other backward States also ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: जी हां। यह अखिल-भारतीय कार्यक्रम है। चौथी योजना में यह कार्यक्रम 87 परियोजनाओं में चल रहा था और अब पिछड़े क्षेत्रों सहित पूरे देश में इसे 160 जिले में लागू किया जाएगा।

डा० रानन सेन पश्चिम बंगाल में कृषि श्रमियों की दशा बहुत ही खराब है। वे न केवल अपने गांव छोड़कर राज्य के कस्बों और शहरों में जा रहे हैं बल्कि दिल्ली भी आ रहे है। क्या मंत्री महोदय को पता है कि राज्य के एक जिले से लगभग 400 ऐसे परिवार अपने-अपने गांव छोड़कर दिल्ली आ गए है और गत छः मास से यमुना के इस ओर रह रहे हैं और बड़ो बुरी तरह जीवन बिता रहे हैं ? पश्चिम बंगाल में उनके लिए भूमि और रोजगार न होने के कारण वे वापस भी नहीं जा सकते अतः वे चलते-चलते दिल्ली पहुंच गए हैं। क्या मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है? क्या वह दिल्ली के निकट उनके पुनर्वास के लिए कुछ करेंगे ताकि वे अपनी रोजी कमा सके ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: मुझे इस मामले का तो पता नहीं है परन्तु हमें यह पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से भूमिहीन श्रमिक रोज़गार की खोज में शहरों का रूख करते रहते हैं, इस समस्या का हल कृषि में सुधार लाना है और पश्चिम बंगाल में भी हमारा प्रयास गहन कृषि उत्पादन करना है ताकि अधिकाधिक ग्रामीण कृषि कामों में लगाए जा सकें। यद्यपि पश्चिम बंगाल में पर्याप्त विकास को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होते हुए भी हाल में कृषि विकास की गति तेज़ हुई है और वहां के लोगों को अधिकाधिक रोज़गार मिल रहा है। तथापि सदस्य महोदय के साथ मैं मान लेता हूं कि वहाँ के लिए विकास काफी नहीं है और इसे और तेज करना अपेक्षित है। इसी दृष्टि से लघु सीमान्त और भूमिहीन किसानों के लिए भारत सरकार ने उक्त योजनाएं चलाई हैं।

श्री पी० वेंकटासुबैया : क्योंकि ये योजनाएं अन्य राज्यों में भी चलाई गई हैं, अतः मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इन योजनाओं का अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है और इस का मुख्य कारण अनुसूचित और राष्ट्रीयकृत बैंकों और कुछ सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋण की सुविधाएं न देना है क्योंकि इन पर बड़े भू-स्वामियों का पूर्ण अधिकार है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह सामायिक प्रगति रिपोर्टें इन योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में प्राप्त कर रहे हैं और यदि हां, तो उनका अनुभव क्या है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और भूमिहीन किसानों को सहकारी संस्थाओं और राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण दिलाना है। हम ने 43 लाख किसानों का पता लगाया है और उनमें से लगभग 50 प्रतिशत को सहकारिताओं के सदस्य बनाया है। हम उन्हें कुओं, ट्यूबवैलों और

पम्पसैटों के लिए 1.97 लाख के ऋण दिलाने में सफल हुए हैं और दुधारू पशुओं और मुर्गीखानों और सूअरशालाओं जैसे सहायक के लिए 1.53 लाख के ऋण दिलाये जा चुके हैं। यद्यपि इस से स्पष्ट है कि इसमें कुछ अन्तर है और मैं सदस्य महोदय की धारणा से सहमत हूं कि इसे दूर किया जाना चाहिये परन्तु मुख्य कठिनाई सभी ऋणदात्री संस्थाओं को आती है क्योंकि वे दान संस्थाएं नहीं हैं और उन्हें कुछ प्रक्रियाओं और अदायगी क्षमताओं पर भी ध्यान देना होता है। अतः उन्हें सावधान रहना पड़ता है परन्तु हम उन से सलाह कर रहे हैं ताकि वे इस संबंध में लाल-फीताशाही न आने दें।

Shri Md. Jamilurrahman : Mr. Speaker, I want to know from the Hon. Minister whether the Scheme, which has been formulated for small farmers, marginal farmers or agricultural labourers including landless labourers, would be introduced in other states also. Whether these schemes will be introduced on Bihar also and if so, the number of Schemes you have introduced there ?

Secondly things which are produced like jute is produced in Purnia.

Mr. Speaker : This question is about West Bengal.

Shri Md. Jamilurrahman : He has stated it in his statement that is why I have asked. Jute is produced in Purnia. Whether the Government is formulating any scheme for these labourers for the off season period ? if not; whether the Government propose to do so ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य एक पृथक प्रश्न पूछ सकते हैं। तभी मैं उसका उत्तर दे सकता हूं।

Mr. Speaker : I had already said that. But now he has asked his question and he is satisfied now.

श्री जगदीश भट्टाचार्य : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है। उन्हें सारे वर्ष रोजगार मिलता रहे ताकि उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए अपने क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों की ओर न जाना पड़ेगा ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : पश्चिम बंगाल में न्यूनतम मजूरी अधिनियम पर कार्य चल रहा है। इस अधिनियम पर जहां तक कार्यवाही हो चुकी है उस सीमा तक मैं पश्चिम बंगाल राज्य से इस मामले पर बातचीत करूंगा।

श्री नवल किशोर सिन्हा : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि उन क्षेत्रों में, जिनका छोट किसानों की विकास अभिकरण तथा सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिक विकास अभिकरण, संस्थागत परिवर्तनों जैसे भूमि सुधार, श्रम कानूनों को लागू करने, विशेष कर कृषि श्रम कानून, वर्तमान सहकारी समितियों के सुधार पंचायत राज को लागू करने और शक्ति साधनों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण प्रतिवेदनों के लिए चयन किया गया है उन्होंने राज्यों को संस्थागत परिवर्तनों के लिए कोई सलाह दी है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, पश्चिम बंगाल में श्रम सुधारों को कार्यान्वित किया जा रहा है। जहां तक संस्थागत परिवर्तनों का सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल में सहकारिता में सुधार के लिए ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। वहाँ के वर्तमान ढांचे को और सुदृढ़ किया जा रहा है। क्योंकि उसके अन्तर्गत व्यापक क्षेत्र को लिया जाना है। माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं हैं वे पूर्णतया पश्चिम बंगाल सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि भुखमरी, सुखा और कृषि श्रमिकों के रोज़गार के कम अवसरों के कारण 24 परगनों, मिदनापुर तथा अन्य जिलों से, जिनका माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है, हज़ारों श्रमिक कलकत्ता की ग्रोर जा रहे हैं, यदि यह सच है तो मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने उल्लिखित योजनाग्रों में सम्मिलित दार्जिलिंग, हुगली, दीनाजपुर, पुर्लिया तथा बंकुरा का ही उल्लेख क्यों किया है ? क्या यह सच नहीं है कि गत आठ वर्षों के दौरान 24 परगनों की लगातार बाढ़ों तथा तीन बार सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा है ? यदि हां तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मिदनापुर तथा 24 परगनों के दक्षिणी भागों में भूमिहीन श्रमिकों को प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित लाभों को देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : 24 परगना को अब सम्मिलित कर लिया है। पहले इस योजना के अन्तर्गत केवल 5 जिले थे जबकि अब 9 जिले हैं। इसलिए अब नदिया, मालरा, मुर्शिदाबाद, कूच-बिहार, जलपाइगुड़ी तथा 24 परगना को सम्मिलित किया जायेगा ।

श्री समर गुह : मिदनापुर क्यों नहीं? श्रीमान् आपको याद होगा कि मैंने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से भुखमरी का प्रश्न उठाया था । यह एक संगत प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि कन्टाई डिवीजन की तरह समूचे देश में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां गत आठ वर्षों में पांच भयंकर बाढ़े आई हों तथा एक बार भयंकर सूखा पड़ा हों? क्या कारण है अब भी इस क्षेत्र को अछूता ही रखा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : उनके पास जो कुछ जानकारी थी, वह उन्होंने दे दी है।

श्री समर गुह : माननीय मंत्री महोदय को मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इन जिलों का चयन राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर होता है। माननीय सदस्य की बातों पर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा ।

श्री समर गुह : कुछ ही मिनट पहले मैं मुख्य सचिव तथा अन्य लोगों से मिला हूं । यह कैसे हो सकता है ? आपने इस योजना में सिफारिश की है। किन्तु मैंने अभी सारे क्षेत्र का दौरा किया है। मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव तथा वित्त मंत्रियों को पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समझते हैं कि इस तरह का प्रश्न पूछने से उसे शामिल कर दिया जायेगा? आपने इस बात का उल्लेख किया है और उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया जायेगा। आप और क्या चाहते हैं ?

श्री समर गुह : श्रीमान उन्होंने एक बात छोड़ दी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये ।

श्री समर गुह : क्या मंत्री महोदय इस ओर पश्चिम बंगाल सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने उनकी बात को धैर्य से सुना है ?

श्री समर गुह : श्रीमान धैर्य खत्म हो गया है। हजारों लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा धैर्य भी खत्म हो रहा है।

श्री समर गुह : आप तो सदैव हमारा ध्यान रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि यह सिफारिशों की सूची में नहीं है। आपके सुझाव के बारे में उन्होंने कह दिया है कि वह पश्चिम बंगाल सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। बाकी क्या है ?

श्री बी० वी० नायक: चूंकि डा० रानेन सेन के प्रश्न के संदर्भ में माननीय मंत्री महोदय ने सराहनीय सुझाव दिया है कि समूचे देश में 160 जिलों को इसमें सम्मिलित किया जायेगा अतः उनके इस कार्यक्रम को स्पष्ट करने से पहले मैं क्या यह जान सकता हूं कि क्या छोटे किसानों की विकास सम्बन्धी समूची एजेन्सी तथा सीमान्तक किसानों का एसोसियेशन प्रभागीय आयुक्त और जिला स्तर के सभी अधिकारियों के अधीन है? क्या माननीय मंत्री ने इस पर ध्यान दिया है या क्या यह बात उनके ध्यान में लाई गई है कि एस० एफ० डी० ए० तथा मार्जिनल फार्मर्स एसोसियेशन में कोई भी मार्जिनल किसान नहीं है? इन निकायों ने एक नीति सम्बन्धी निर्णय लिया है किन्तु उसमें छोटे किसानों का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। इन परिस्थितियों में हमें जिला स्तर पर इस व्यावहारिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप छोटे तथा सीमान्तक किसानों को इन एसोशियेशनों में प्रतिनिधित्व देने में रुचि लेंगे ताकि वे अपने लोगों की सेवा कर सकें? हम देखते हैं कि नाबुक बोर्ड तथा जिला स्तरों पर केवल नौकरशाहों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। श्रीमान यह एक न्यायोचित बात है और हमने इन बैठकों में भाग लिया और देखा कि एसोसियेशन में छोटे तथा सीमान्तक किसानों का एक भी प्रतिनिधि नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नकाल है न कि वाद-विवाद समय।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : श्रीमान्, ये प्रशासनिक अभिकरण है जो जिला स्तर पर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किए गए हैं; और इसलिए ये अभिकरण, जो कार्यान्वियन तथा सह अभिकरण हैं, सलाहकार बोर्ड हैं जिनमें छोटे तथा सीमान्तक किसानों को सम्मिलित किया जा सकता है। मैं इस विशेष पहलू की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री मनोरंजन हाजरा: क्या मैं माननीय मंत्रीजी से जान सकता हूं कि क्या वह भूमिहीन श्रमिकों में भूमि वितरण के प्रश्न पर विचार करेंगे और क्या वह पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार दीर्घावधी राहत कार्य पर विचार करेंगे ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमारी नीति यह है कि फालतू भूमि भूमिहीन श्रमिकों में वितरित की जाये और वह भी विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के श्रमिकों में। पश्चिम बंगाल सरकार इस नीति को कार्यान्वित कर रही है।

डालडा और अन्य वनस्पति तेलों का उत्पादन

*188. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डालडा तथा अन्य वनस्पति तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या गाजियाबाद स्थित हिन्दुस्तान लीवर फैक्ट्री से और अधिक उत्पादन करने को कहा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने ऐसा किया है और यदि नहीं, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

(ख) और (ग) इस समय यह फैक्टरी लगभग पूरी क्षमता तक चल रही है।

विवरण

कच्चे तेलों के लाभकारी मूल्यों पर अपर्याप्त उपलब्धता के कारण 1974 में वनस्पति के उत्पादन में गिरावट हुई बतायी जाती है। 5 जनवरी, 1975 से वनस्पति का विनियंत्रण होने से, यह आशा थी कि यह कठिनाई अब नहीं रहेगी। वास्तव में, उत्पादन दिसम्बर, 1974 के 29,926 मीटरी टन से पहले ही पर्याप्त बढ़कर जनवरी, 1975 में 38,604 मीटरी टन हो गया है। उद्योग के लिए कच्चे तेलों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए, प्रमुखतः वाणिज्यिक आधार पर आयातों को जारी रखा जा रहा है ।

जहां तक अन्य वनस्पति तेलों का सम्बन्ध है, केन्द्र द्वारा समर्थित योजनाओं का कार्यान्वियन करने के माध्यम से प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि ऐसे चुनींदा राज्यों में जहां उत्पादन टैक्नोलोजी काफी विकसित हो चुकी है और तीव्र उत्पादन करने के लिए अच्छे संसाधन है, वहां की प्रत्येक प्रमुख फसल के बारे में क्षेत्र के आधार पर पैकेज योजना अपना कर, सिंचित तिलहनों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि कर और सोयाबीन तथा सूरजमुखी जैसे अपरम्परागत तिलहनों का विकास कर प्रति हैक्टर उत्पादिता में वृद्धि की जा सके ।

श्री एस० एम० बनर्जी : जब डालडा की कमी चल रही थी तो हिन्दुस्तान लीवर ने, जिसका डालडा के उत्पादन पर एकाधिकार है, 15 अक्तूबर, 1974 से त्रिची फैक्टरी में वनस्पति का उत्पादन बन्द कर दिया। सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे तथा मेरे अन्य साथियों द्वारा सरकार से बार-बार की गई प्रार्थना का, कि सरकार इस एकक को डालडा के उत्पादन के लिए अपने अधिकार में ले ले, क्या हुआ ?

हिन्दुस्तान लीवर का तर्क यह है कि दक्षिणमें लोग डालडा नहीं खाते और इस लिए इस एकक को घाटा हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अंतिम निर्णय ले लिया गया है। उद्योग मंत्री ने मुझे बताया था कि इस एकक को अपने अधिकार में लेने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: जहां तक हिन्दुस्तान लिवर की त्रिची स्थित फैक्टरी का सम्बन्ध है, चूंकि उन्होंने इस एकक को चलाने में कठिनाई हुयी है, अतः उन्होंने इसे बेचने का निर्णय किया है। मेसर्स पेरूमल एजेन्सीज लिमिटेड ने इसे खरीद लिया हैं। तामिलनाडु सरकार इस समस्या पर विचार कर रही है। कुछ तकनीकी मामले हैं, जिन्हें हल किया जा रहा है। ज्योंही प्रबंध व्यवस्था का स्थानान्तरण हो जायेगा, फैक्ट्री उत्पादन आरम्भ करने लगेगी । स्वाभाविक रूप से श्रमिकों की समस्या भी सुलझानी होगी ।

श्री एस० एम० बनर्जी: 15 नवम्बर, 1974 को एक प्रश्न के उत्तर में श्री शाहनवाज खां ने जो सम्बन्धित मंत्रालय में उस समय राज्यमंत्री थे, कहा था:--

"यह सही है कि हिंदुस्तान लिवर कहीं भी निर्धारित शासन क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर रहा है...."

मेरे प्रश्न का सम्बन्ध गाजियाबाद की फैक्ट्री से है और मेरा आरोप यह है कि वे अब डालडा की जगह मारगरीन बना रहे हैं। मूल्य की लिहाज से यह डालडा से अधिक लाभदायक है। उन्होंने आगे कहा:–

"…. और वे अब वनस्पती का उत्पादन बन्द कर रहे हैं। यदि और जब भी उन्होंने ऐसा किया और उनका व्यवहार ठीक नहीं हुआ तो सरकार उसे अपने अधिकार लेने में कोई सकोच नहीं करेगी।"

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि उन्होंने धीरे धीरे काम करो, कम उत्पादन करो की नीती अपना ली है और यदि हां, तो क्या गाजियाबाद फैक्ट्री के कार्यकारण की कोई जांच की गई है और क्या सरकार ने इस एकक को अपने अधिकार में लेने का अंतिम रूप से निर्णय कर लिया है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: जैसा कि मैंने अपने मुख्य उत्तर में उल्लेख किया है, फैक्ट्री लगभग अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रही है। यह सही है कि गत वर्ष हिन्दुस्तान लीवर सहित कई फैक्ट्रीयां कार्य करने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि उनकी कई कठिनाईयां थी। यही कारण है कि देश में वनस्पति की कमी हुई है। कच्चे माल की कीमतें तथा तेल की कीमतों में बहुत वृद्धि हो गई थी दूसरी ओर नियंत्रण भी था और कई फैक्ट्रियों ने अपने एककों को चलाना लाभप्रद नहीं समझा। अतः पूरी क्षमता से उत्पादन इसी फैक्ट्री में ही नहीं वरन सभी फैक्ट्रीयों में नहीं हुआ। इसलिए मैं नहीं समझता कि अब सरकार को किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना चाहिए। क्योंकि सरकार द्वारा नीति निर्णय कर लेने के पश्चात् उत्पादन बढ़ गया है।

डा० रानेन सेन: श्रीमान्, विवरण में कहा गया है कि मूल्य वृद्धि के पश्चात् उत्पादन में वृद्धि हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि नियन्त्रण हटाने के पश्चात् डालडा के मूल्य में वृद्धि होनी आरम्भ हो गई और क्या यह सही है कि वे डालडा उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में सरसों के बीजों तथा तोरी के बीजों का उपयोग कर रहे हैं, यहां तक कि उससे देश में सरसों के तेल का संकट भी पैदा हो सकता है। यदि यह सच है, तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने डालडा के उत्पादन के लिए सरसों के तेल या तोरी के बीजों को हिन्दुस्तान लीवर तथा अन्य कम्पनियों द्वारा प्रयोग न करने तथा कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: माननीय सदस्य को यह जानकर हर्ष होगा कि हाल में समूचे देश में वनस्पति की उपलब्धता के सम्बन्ध में स्थिति में सुधार हो गया है। सरकार के निर्णय के फलस्वरूप उत्पादन बढ़ना आरम्भ हो गया है। अब देश में इसकी उपलब्धता की कोई समस्या नहीं है। बड़े डिब्बों की कीमतों में तो कोई वृद्धि नहीं हुई है किन्तु छोटे डिब्बों की कीमतों में कुछ सीमा तक वृद्धि हुई है। माननीय सदस्य तथा सभा को ज्ञात है कि गत 6 या 8 हफ्तों से देश में खाद्य तेलों के मूल्यों में गिरावट आई है और अब चिन्ता करने की कोई बात नहीं है। जहां तक सरसों के तेल के उपयोग का सम्बन्ध है, इस वर्ष हमें इसकी अच्छी फसल होने की आशा है। सामान्य तौर पर देश में इसका उत्पादन 18, 16 या 14 लाख टन होता है। यदि वनस्पति फैक्टरियां आंशिक रूप से इसका प्रयोग भी करती हों तो भी मैं नहीं समझता कि इससे बाजार में इसकी उपलब्धता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कितनी मंगफली, कितना बिनौले का तेल आदि उपयोग में लाया जाये, इस बारे में कई प्रतिबन्ध हैं। छोटे तेलों के उपयोग के लिए कुछ वित्तीय प्रलोभन भी दिए गए हैं।

Success of Gobar Gas

***191. Shri Bhagatram Rajaram Manhar** : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) the results of tests held so far regarding the success and utility of gobar gas ;

(b) whether the World Bank or any other international agency has shown any interest in this project or has proposed to provide assistance for this or improve its technique ; if so, the facts thereof; and

(c) the outlines of the programme for making gobar gas available to the common man ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) तक एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विभिन्न एजेंसियों अर्थात् भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा आयोजना अनुसंधान और कार्य संस्थान, लखनऊ द्वारा किए गए परीक्षणों और प्रयोगों से गोबर गैस संयंत्रों की सफलता और उपयोगिता निश्चित हो गई है। मवेशियों का गौबर अथवा वस्तुतः कोई भी कार्बनिक व्यर्थ पदार्थ गोबर गैस संयंत्र के जरिए परिष्कृत किए जाने पर मेथेन नामक ज्वलनशील गैस और खाद पैदा करता है। इस प्रकार प्राप्त खाद में वनस्पति के लिए पोषकतत्वों की बहुतायत होती है जिसमें 1.5 प्रतिशत नाइट्रोजन, 1 प्रतिशत पी$_2$ओ$_5$ और 1 प्रतिशत के$_2$ओ$_2$ होता है और इसमें अप्रिय दुर्गन्ध भी नहीं होती, जोकि कम्पोस्ट के गड्ढों में आमतौर से होती है। यह गैस भोजन पकाने, रोशनी करने और इंजिन चलाने के काम में लाई जा सकती है। जलाने पर इस गैस की लपट बिना धुएं की होती है और इसमें 60 प्रतिशत ऊष्मा क्षमता होती है जबकि गोबर के उपलों (सूखा गोबर) में केवल 11 प्रतिशत ऊष्मा क्षमता होती है। 60 प्रतिशत घन फीट क्षमता के गैस संयत्र में पैदा की गई गैस 5–6 सदस्यों के परिवार के लिए भोजन पकाने की दैनिक आवश्यकतायें पूरी करने के लिए पर्याप्त होती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग गोबर गैस संयंत्रों में किण्वन तेज करने, 60 प्रतिशत से अधिक क्षमता के गोबर गैस के बर्नर बनाने, लागत कम करने और काम में सुधार लाने के लिए गैस संयंत्रों की वैकल्पिक सामग्री और उनकी डिज़ाइन का विकास करने के सम्बन्ध में आगे और काम कर रहे हैं। औद्योगिक विकास मंत्रालय ने भी गोबर गैस संयंत्र के कार्य के सभी पहलुओं पर निर्देश देने के लिए एक समिति स्थापित की है।

गोबर गैस संयंत्र हाल के वर्षों में किसानों में लोकप्रिय हो गए हैं। देश में मार्च, 1974 तक लगभग 7,000 गोबर गैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

(ख) "यूनिडो" ने स्वैच्छिक योगदान पर "यूनिडो" समिति (सी० बी० सी०) को एक परियोजना प्रस्तुत की है, जिसमें लगभग 2,000 डालर के खर्च से एक परामर्शदाता नियुक्त करने के लिए कहा गया है। इसे प्रथमतः भारत में विकसित जैव गैस संयंत्रों पर एक तकनीकी मैनुअल तैयार करने का काम सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसमें समाज-आर्थिक पहलुओं की ओर यथोचित ध्यान रखा जाए। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय कार्यकलाप के विकास के लिए एक आधार का काम करेगा।

यूनिडो ने यह भी सूचना दी है कि वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के देश विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जैव गैस संयंत्रों विनिर्माण, संवर्धन और विस्तार के सम्बन्ध में भारत में राष्ट्रीय स्तर की एक समन्वित परियोजना शुरू करने में तकनीकी सहायता देगा।

(ग) सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में 1,00,000 गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने के विचार से एक व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाई है। शुरू में 1974–75 और 1975–76 के दौरान 20,000 गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए एक "प्रारम्भिक कार्यक्रम" हाथ में लिया गया है जिसके लिए सरकार लाभानुभोगियों को पूंजीगत लागत का 25 प्रतिशत राजसहायता देगी। लाभानुभोगी शेष लागत स्वयं अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेकर पूरी करेंगे।

Shri Bhagat Ram Manhar : Mr. Speaker, there has been much talk of gobar gas earlier and it hasbeen appreciated too. Farmers were advised to use it. This was considered as an alternative to face power crisis, butitisregretable thatithasnot been popular.

Whether the Khadi and Village Industry Commission has recommended to the Agriculture departments in various States to set up gobar gas plants ; and if so, the number of gobar gas plants recommended to be set up and the number of the gobar gas plants actually sanctioned?

How far the central assistance given in this regard has been utilized ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मार्च, 1974 तक 7,000 गोबर गस सयंत्र चालू किये गये हैं। खादी ग्रामोद्योग सहित विभिन्न एजेन्सियों को 22,460 आवेदन पत्र प्राप्त हुए है तथा बैंकों को दिए गए प्रस्तावों की संख्या 9,354 है और बैंकों ने 2,396 को स्वीकृति दी है।

Shri Bhagat Ram Manhar : My second question has not been replied to. To what extent the Central as ssistance has been utilize in this regard ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : चालू संयंत्रों की पूंजी लागत पर भारत सरकार 25 प्रतिशत राज-सहायता देती है।

Shri Bhagat Ram Manhar : Whether it is a fact that only the high ranking retired Government officers have been given assistance to set up gobar gas plants so far and they do not have cattle in adequate number so that they may accumulate adequate quantity of gobar ? I want to know whether it is also a fact that despite instructions to the nationalised banks, they are not giving advance to the persons desirous to set up gobar gas plants ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया है, राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 2,390 आवेदन पत्र स्वीकृत कर लिए हैं। अन्य आवेदन पत्रों पर विचार हो रहा है। सामान्यतः संयंत्र उन लोगों को स्वीकृत किए जाते हैं जिनके पास पशुओं के तीन से पांच ढोर तक होते हैं। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को इसकी स्वीकृति दी गई है जिसके पास ढोर नहीं है तो माननीय सदस्य उसे मेरे ध्यान में ला सकते हैं और हम उस पर कार्यवाही करेंगे।

Shri Jharkhande Rai : The gobar gas scheme in different parts of our country started after independence when we started planning. It is fact that after producing gas the gobar can be used as fertilizer. It produces lignt too.

Sir, I want to know why this Scheme did not became popular in the country even after 25 years and it could not be put to use in a big way ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह ठीक है कि गत 20 वर्षों में अधिक सफलता नहीं मिली है यद्यपि लगभग 7,000 गोबर गैस संयंत्र देश में लगे हुए हैं, जो मुख्यतः दक्षिण में, गुजरात और महाराष्ट्र में ही हैं। देश के शेष भागों में उनकी संख्या नगण्य है। इसका कारण शायद यह है कि व्यवहार्यतः इनकी ग्राह्यता अधिक पसंद नहीं की जाती। विस्तार सेवाओं से भी अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। ये संयंत्र लगाने के इच्छुक किसानों को ऋण

भी उपलब्ध नहीं हुए। नकद सहायता आदि के रूप में सरकारी सहायता भी पर्याप्त मात्रा में नहीं दी गई। अब ऊर्जा संकट के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में ये सभी प्रबन्ध किए जा रहे हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम बनाए गए हैं।

Shri Anadi Charan Das : Government have instructed the banks to extend loans to those who want to instal Gobar gas plants but all the banks cannot reach villages nor they intend to do so. Khadi and Village Industries Commission have taken up this work. I want to know whether Government propose to offer some incentive for this, so that others might also go to village and set up such plants there ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे : राज्य सरकारें इस कार्य में पहल कर सकती हैं। निजी तौर पर भी किसान आदि इस में रूचि दिखा सकते हैं। खादी भवन के माध्यम से यह काम होना कोई अनिवार्य नहीं है। किन्तु किसी संस्था की देखरेख आवश्यक है जो यह देखें कि उक्त संयंत्र लग भी रहे हैं या नहीं। यदि उड़ीसा में किसी को कठिनाई आ रही हो तो सदस्य महोदय मुझे बताए, हम उसे दूर करेंगे।

श्री जगन्नाथ मिश्र : किसानों में गोबर गैस संयंत्र बहुत लोकप्रिय है और देश में 7,000 यंत्र लग भी चुके हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसे उद्योगपतियों में भी उतना ही लोकप्रिय बनाने के लिए कोई कार्यवाही की जाएगी? यदि हां, तो क्या कदम उ। जा रहे हैं और क्या कदम उठाए जाएंगे?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं यह प्रश्न ठीक से समझ नहीं सका हूं। इस वर्ष तथा आगामी वर्ष हमारा कार्यक्रम 20,000 संयंत्र लगाने का है। अनुसंधान कार्य बढ़ाया जा रहा है और अब वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधान परिषद् तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अलावा एक और अनुसंधान संस्थान भी इसमें रुचि ले रहा है ताकि यह और लोकप्रिय हो जाये।

Shri Genda Singh : It may be clarified as to how much amount was given out of the total financial assistance allotted for the purpose ? How much time was given and the manner it was spent ? Since Government had to arrange for setting up such plants this year in view of energy crisis, I want to know the progress made in this regard ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : गत दो वर्षों के अनुभव के आधार पर हमने ये बृहत कार्यक्रम आरंभ किया है।

मैं यह भी बता चुका हूं कि वित्तीय सहायता और अनुसंधान आदि के अलावा, सीमेंट लोहे आदि जैसा कच्चा माल भी उपलब्ध किया जा रहा है जो इस संयंत्र की स्थापना में काम आता है।

Shri Genda Singh : The hon. Minister may please state the amount made available by Government out of the total financial assistance allotted for the purpose and what report was received as to the manner of its utilisation ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: ठीक-ठीक राशि का तो हिसाब लगाना पड़ेगा परन्तु लगाए गए संयंत्रों की संख्या तो मैं बता ही चुका हूं।

श्री समरगुह : उत्तर के अनुसार नवम्बर, 1974 के बाद 856 सयंत्र तयार थे और 2,400 संयंत्र बन रहे थे परन्तु आश्चर्य है कि पश्चिम बंगाल में एक भी संयंत्र नहीं बनाया गया। मैं इसका कारण जानना चाहता हूं, क्या राज्य सरकार उदासीन है या कि केन्द्रीय सरकार? यदि नहीं तो इसका कारण बताया जाये क्योंकि यह संयंत्र खाद और ऊर्जा दोनों उपलब्ध करता है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मेरे पास जो सूची है उसके अनुसार पश्चिम बंगाल का नाम नहीं है। शायद यह वहां लोकप्रिय न हो। हम राज्य सरकार से इस पर बातचीत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : सर्वश्री वीरेन्द्र सिंह राव, रामावतार शास्त्री, भागीरथ भंवर और एम० कतामुत्तु, सभी उपस्थित नहीं हैं। श्री ओंकारलाल बेरवा।

दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा का माध्यम

*196. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या कितनी है और उसमें हिन्दी, अंग्रेजी पंजाबी और उर्दू बोलने वाले लोग कितने-कितने प्रतिशत हैं ; और

(ख) दिल्ली में कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें शिक्षा का माध्यम हिन्दी, अंग्रेजी, पंजाबी, और उर्दू है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 1971 के अस्थायी जनगणना के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी, पंजाबी और उर्दू भाषी लोगों की संख्या इस प्रकार है :—

	व्यक्तियों की संख्या	कुल जनसंख्या की प्रतिशतता
1. दिल्ली संघ शासित क्षेत्र की कुल जनसंख्या	40,65,698	..
2. हिन्दी भाषी लोगों की संख्या .	30,60,681	75.28
3. पजाबी भाषी लोगों की संख्या	5,48,088	13.48
4. उर्दू भाषी लोगों की संख्या	2,31,127	5.68

अंग्रेजी भाषी लोगों की संख्या प्रकाशित नहीं की गई है।

(ख) दिल्ली में मान्यता प्राप्त ऐसे स्कूलों की संख्या, जिनमें हिन्दी, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू शिक्षा का माध्यम है, इस प्रकार है :—

शिक्षा का माध्यम	स्कूलो की संख्या	
	प्राथमिक	मिडिल तथा उच्चतर माध्यमिक
हिन्दी	1,518	836
अंग्रेजी	..	112
पजाबी	6	15
उर्दू	44	18

Shri Onkarlal Berwa : I want to know whether the pay-sale of Hindi, Urdu and Punjabi teachers are lower than those of English teachers ?

Shri D. P. Yadav : I do not know at the moment. It is a separate to question.

Shri Onkarlal Berwa : When he has no information with him what can be asked ?

Shri D. P. Yadav : This supplimentary is not relevant ....(*Interaption*)

Shri Onkarlal Berwa : I want to know whether the facilities being given to English teachers would be extended to other language teachers ?

Shri D. P. Yadav : All teachers will be given the equal apportunity and facilities.

Shri Madhu Limaye : Sir, from the figures mentioned by the hon. Minister it is clear that against a population of 93 percent of Urdu, Punjabi and Hindi speaking people, there are 112 English medium schools. May I know whether Government s policy is to give preference to such schools ?

Shri D. P. Yadav : We do not discriminate one against another.

Shri Madhu Limay : This is no reply. I have quoted figures. May I know whether there 112 English Medium School, are these without Government's policy ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): मैं एक बात यहां कह कहना चाहूंगा कि दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम (जिस संसद् ने पास किया था) के अधीन बनाये गए नियमों के अनुसार यह व्यवस्था है कि दिल्ली में नए स्कूलों की स्थापना के इच्छुक भाषाई अल्पसंख्याक उन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम या तो उनकी अपनी भाषा या हिन्दी रख सकते हैं। इस नियम को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और इस समय यह न्यायालय के विचाराधीन है।

Shsi Madhu Limaye My question regarding Govnrnment's policy being that of according preference to English medium school has not be replied to.

Shri P. D. Yadav : We do not give preference to any one.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, Government s policy is to have regional Urdu anguage as meaium of Secondary education, The regional language of Delhi is Hindi and Urdu Punjabi have also been recognised for some special purposes. But I want to know whether the English medium schools have been asked to retain the teaching of English but the medium of in struction must be an Indian language ?

Shri P. D. Yadav : Hindi is also being taught to deve[illegible] in English medium schools.

श्री एच० एम० मुकर्जी: यदि सरकार यह कहती है कि वह अंग्रेजी स्कूलों के पक्ष में नहीं है तो दिल्ली में इतने अधिक ऐसे स्कूल कैसे चल रहे हैं? शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन के इतने वर्षों तक बिना क्रियान्वित किए पड़े रहने के कारण सरकार का यह दावा तो थोथा ही लगता है...(व्यवधान)

प्रो० एस० नुरुल हसन: मैंने एक पत्र द्वारा आपसे यह सदन से जाने की अनुमति मांगी थी क्योंकि दूसरे सदन में मुझे उपस्थित होना है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभी कृपया बैठ जाए। मैं श्री नूरूल हसन का पत्र पढ़ कर सुनाता हूं जो यह प्रश्न पूछे जाने से पूर्व मुझे मिला था।

श्री पीलू मोदी : क्या यह पत्र 10.00 बजे से पहले आया था ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां। उन्होंने लिखा है :

"आज 3 मार्च को मुझे राज्य सभा में एक विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए प्रश्न-काल के तुरन्त बाद प्रस्ताव पेश करना है। कृपया मुझे 11.55 बजे के लगभग सभा से जाने की अनुमति दी जाये।...

क्योंकि 11.55 हो चुके हैं। अतः आप जा सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

नारियल विकास निगम की स्थापना

*182. **श्री सी० जनार्दनन :**

श्री वयालार रवि :

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने नारियल विकास निगम की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उसके उद्देश्य क्या हैं तथा उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे):(क) जी नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

शाहजहानबाद (दिल्ली) के पुर्नविकास के लिये गोष्ठी

*184. **श्री राम सहाय पाण्डे :**

श्री हरी सिंह :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के चार दिवारी वाले नगर शाहजहांनबाद के पुर्नविकास के बारे में फरवरी, 1975 के पहले सप्ताह में एक गोष्ठी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस में क्या सिफारिश की गई और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

निर्माण और आवास तथा संसदीय मंत्री (श्री के० रघुरामैया):(क)तथा (ख) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा है।

शाहजहानाबाद के पुर्नविकास पर एक विचार-गोष्ठी का आयोजन 31 जनवरी तथा 1 फरवरी 1975 को किया गया था। इस विचार-गोष्ठी में किए गए निर्णय तथा सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

1. विचार-गोष्ठी में चार मूलभूत विषयों पर विचार किया गया अर्थात् प्राचीन नगर की मुख्य तथा गौण भूमिका, सामाजिक अन्योन्यक्रिया तथा साम्य, समस्या के नियंत्रण हेतु उपाय तथा लोगों और व्यवसायों को यदि विकेन्द्रीकरण किया जाय तो कहां और कैसे ?

2. शाहजहांनाबाद का शेष दिल्ली के साथ मार्मिक संबंध है और इसलिए इसकी समस्याओं का अध्ययन तथा उनके समाधान शेष दिल्ली शहर को छोड़कर पृथक रूप से नहीं किया जा सकता। नगर की समस्याओं के समाधान का, नागरीय व्यवस्था प्रणाली में सुधार तथा उनकी व्यवस्था करना और शहरी अवलम्ब जिसकी आवश्यकता होगी, से निकट संबंध है।

3. शहर के पुनर्विकास के लिए समग्र प्रस्तावमें इसको ढाहना ठीक नहीं होगा और साथ ही साथ जबकि चारों ओर विकास कार्य किया जा रहा हो तो इसको से ही छोड़ना भी इसके लिए घातक होगा। आवश्यकता इस बात की है कि शहर को ठीक किया जाय।

4. समस्त उत्तर–पश्चिम भारत के वाणिज्यिक केन्द्र तथा थोकव्यापारकेन्द्र के रूप में शहर की इस भूमिका को जारी रखा जाना चाहिये तथा इसे सुनियोजित किया जाना चाहिये।

5. पुनर्आयोजना तथा पुनर्विकास की इस प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें की जानी चाहियेः–

(क) हानिकर तथा खतरनाक व्यवसाय तथा उद्योग, गोदामों तथा ट्रांसपोर्ट कम्पनियों को, जो शहर की मार्मिकता को समाप्त कर रहे हैं, शहर के बाहर स्थानान्तरण किया जाना चाहियें।

(ख) सक्रिय मनोरंजन हेतु खुले स्थानों तथा खेल को मैदानों को बनाने और शहर में सांस्कृतिक तथा सामाजिक गतिविधियों को बनाये रखने का कार्य आरम्भ किया जाना चाहिये।

(ग) दिल्ली की बृहत योजना में मातासुन्दरी क्षेत्र में प्रस्तावित नागरिक केन्द्र का निर्माण किया जाना चाहिये।

(घ) शहर के नवीकरण/पुर्नुद्धार की प्रक्रिया में शहर के लोगों के जीवन में उत्तरोत्तर सुधार लाना चाहिये।

(ङ) वर्तमान शैक्षिक समूहों, सामाजिक संस्थानों तथा सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए तथा नये संबंधों को विकसित करना चाहिये।

6. यह महसूस किया गया था कि शाहजहांनबाद के सन्मुख खड़ी जटिल समस्याओं को इसके पुर्नविकास तथा भावी स्थिति निर्धारण के संम्बध में एक पृथक पृथक प्रक्रिया की आवश्यकता है। ऐसे स्थानों का निर्धारण करना जहां कतिपय गतिविधियों तथा व्यवसायों को अवस्थित किया जाय अथवा स्नथान्तांरण किया जाय, यमुना नदी के किनारे के एक भाग का सुधार करने के प्रश्न खनिज ढुलान से जुड़ी रेल-पटरियों पर वायु अधिकारों का प्रयोग करने तथा रेलवे स्टेशनों को दोनों ओर से खोलने के प्रस्ताव पर विस्तार पूर्वक विचार करना चाहिए।

7. विचार-गोष्ठी का यह विचार था कि शाहजहांनाबाद की समस्याएं क्षेत्रों में जनसंख्या की तुलना में सामूहिक सुविधाओं की कमी के कारण पैदा हुई। लोगों की आबादी ने तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों से शहर में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई। इन बुराइयों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि नए भूखण्ड उपलब्ध किए जाएं। विचार-गोष्ठी ने भूमि को उपलब्ध करने हेतु निम्नलिखित कार्य करने का सुझाव दिया :—

(i) हानिकर तथा खतरनाक उद्योगों को हटाना,

(ii) जनता को दूध की सप्लाई आदि के परस्परसंबंधों को ध्यान में रखते हुए डेरियों तथा परस्परविरोधी उपयोगों को समाप्त करना,

(iii) गोदामों तथा भण्डागारों को हटाना,

(iv) निर्धारित थोकव्यापारों में से चुनींदा थोकव्यापारों को हटाना, तथा

(v) रेलवे यार्डों तथा गोदामों को हटाना।

8. शाहजहांनाबाद के कई भागों को पैदल चलने के लिये बनाना जा सकता है तथा इसे वाहन यातायात से पूर्णतया मुक्त रखा जा सकता है ताकि अधिक से अधिक लोग रह सकें और उनका आनन्दमय जीवन बना रहे।

9. उपर्युक्त चीजों को हटाने के लिए तथा शहाजहांनाबाद की जनसंख्या के कुछ भागों को वहां से हटाकर उसे पुनः बसाने के लिए यह सुझाव दिया गया था कि मिन्टो रोड सिविल लाइन तथा यमुनापार के क्षेत्रों जैसे शाहजहांनाबाद के निकटवर्ती क्षेत्रों को इस प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जाय।

10. विशेषकर, वह समस्त क्षेत्र जो प्राचीर शहर तथा नई दिल्ली के खाली पड़ा है, (नामतः रामलीला मैदान के दक्षिण से लेकर रेलवे लाईन तक) को प्राचीर शहर के एक अभिन्न अंग के रूप में विकसित किये जाने हेतु सुरक्षित रखा जाना चाहिए जिसे इस के साथ उचित ढंग से मिला दिया जाना चाहिए तथा इसे उस्सी अधिकरण के अधीन जाना चाहिए जो शाहजहांनाबाद की पुनर्योजना तथा पुनर्विकास का कार्य आरंभ करेगा।

11. लाल किले का उपयोग एक सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में किया जाना चाहिए तथा सेना को प्राचीर शहर से स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिए। तत्पश्चात प्राचीर शहर यमुना की ओर खुला होना चाहिए और किले की प्राचीर को यथासंभव अपने मूल स्थान पर ही बनाया जाना चाहिये।

12. संबंधित प्राधिकरणों द्वारा तत्काल इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि स्थिति और अधिक खराब न हो। जो समस्याएं आज हैं उन का हल आज ही निकाला जाना आवश्यक है और यह देखना है कि अनधिकृत, बिना लाईसेंस के फैक्ट्रियां और व्यापार केन्द्र और अधिक न बढ़ते जाएं। दीर्घकालीन उपाय सुझाने से पूर्व स्थिति को बचाने के लिये अल्प आवधिक उपाय करने अनिवार्य हैं।

13. किराया नियंत्रण अधिनियम जो आज सम्पत्तियां के सुधार के एक रुकावट है और उन की दशा में और अवगति ला रहा है, रिहायशी स्थिति को और खराब कर रहा है, उसे एक नया सामाजिक रुप दिया जाना चाहिये जिससे मौजूदा लोगों को वहां बस रहने को प्रेरणा मिले और साथ ही साथ क्षेत्र का सुधार इस भान्ति किया जाए कि उस में अधिक से अधिक लोग खुली हवा में तथा स्वच्छ स्थिति में रह सके।

14. परियोजना की वित्तीय व्यवस्था के लिये, मौजूदा साधनों से तथा उन साधनों से जो भूमि से स्वयं उत्पन्न होंगे, एक पृथक आवर्तन निधि बनाई जाए।

15. शाहजहांनाबाद के पुनर्आयोजन तथा पुनर्विकास के लिये एक पृथक प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिये तथा उस प्राधिकरण को दिल्ली के लिये समूचे विकासात्मक ढांचे के अन्तगत कार्य करना चाहिये।

16. मौजूदा प्रसंग में सबसे अधिक महत्व पूर्ण बात नवीकरण तथा पुनर्विकास की अति आवश्यक प्रक्रिया को आरंभ करना है। उस समय तक, जब तक कि ऐसा कार्य आरंभ करने के लिये, प्राधिकरण के रुप तथा ढांचे के संबंध में कोई निर्णय लिया जाता है, प्रथम प्रयास के रुप में यह अनिवार्य है कि अत्यावश्यक समस्याओं की पहचान हेतु एक कार्यकारी दल स्थापित किया जाए तथा बिना और देर किये प्राधिकरणों को उचित कार्य वाही करने की सलाह दें।

17. शाहजहांनाबाद के इस पुनर्विकास तथा पुर्नआयोजन की समस्या को मानवीय तथा सामाजिक दृष्टि कोन से देखा जाना चाहिये, अन्ततः सभी सुधार जनता के लिए होते है तथा उनके जीवन में सुधार करने में सफलता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी कार्यक्रम में उनका सक्रिय रुप से शामिल होना नितान्त अनिवार्य है ।

18. अन्त में, तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेमिनार ने शाहजहांनाबाद के सुधार कार्य के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों पर गैर राजनीतिक सहमति तथा सभी लोगों द्वारा मान्यता देने के महत्व तथा आवश्यकता पर बल दिया ।

19. शाहजहांनाबाद के पुर्नआयोजन तथा पुनर्विकास के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु, सेमिनार ने इस बात पर बल दिया कि प्राचीन शहर के लोगों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम में अपना सहयोग देना तथा उसे स्वीकार करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

सरकार विभिन्न सिफारिशों पर विचार कर रही है ।

प्राथमिक शिक्षा के संबंध में गोष्ठी

***185. श्री पीलू मोदी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में एक अखिल भारतीय गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गयी विभिन्न सिफारिशों तथा व्यक्त विचारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गोष्ठी में की गयी विभिन्न सिफारिशों तथा उसमें व्यक्त विचारों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) 28 से 30 जनवरी, 1975 तक, "नगर निगमों के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा" पर एक सेमिनार, भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान (नागर अध्ययन केन्द्र) तथा दिल्ली नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था ।

(ख) ऐसा पता लगा है कि सेमिनार की रिपोर्ट तथा उस के परिणामों और सिफारिशों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी भारत में लेवी चीनी के वितरण के संबंध में भ्रष्टाचार

***186. श्री शरद यादव:** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि पूर्वी भारत के अधिकांश भागों में उचित दर की दुकानों के माध्यम से लेवी चीनी का वितरण करने के बारे में अविश्वसनीय बेईमानी और भ्रष्टाचार व्याप्त है ;

(ख) क्या यह सच है कि थोड़े से प्रभावशील व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली चीनी के अलावा अधिकांश लेवी चीनी काले बाजार में चली जाती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन क्षेत्रों में सप्लाई इन्स्पेक्टरों के जरिए कार्य करने वाले उच्च नौकरशाहों तथा राजनीतिज्ञों में व्याप्त भ्रष्टाचार को राज्य सरकारें नहीं रोक सकी हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के मामले में राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा क्या परामर्श दिया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (घ) ऐसी कोई विशेष शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। केन्द्रीय सरकार राज्यों को लेवी चीनी का मासिक कोटा आवंटित करती है। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं को उसके खुदरा वितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है।

कथित कदाचारों, भ्रष्टाचारो आदि के बारे में यदि शिकायतें प्राप्त हुई होतीं तो राज्य सरकारों द्वारा उनकी जांच कराई गई होती। तथापि, वितरण व्यवस्था में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकारके सुझावोंको बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वितरण व्यवस्था में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार के सुझाव

1. व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए मात्रात्मकसंबंधी सीमा कम करना जहां कहीं वे अधिक हों।

2. चीनी फैक्टरियों और क्षेत्र के अन्दर के व्यापारियों दोनों पर बराबर निगरानी रखना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यापारियों द्वारा स्टाक रखने और फैक्टरियों द्वारा बिक्री तथा प्रेषण की सीमा का उल्लंघन न किया जा सके और जहां कहीं ऐसे उल्लंघन का पता चले वहां कड़ी सज़ा दी जा सके।

3. वितरण प्रणाली को विशेषकर यह सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाना और उसमें सुधार करना कि घरेलू उपभोक्ताओं को राशन कार्ड जारी किए जा सकें ताकि लेवी चीनी केवल हकदार-व्यक्तियों को वितरित की जाए और उसे खुले बाजार में न बेचा जा सके।

4. लेवी चीनी का वितरण मुख्यत: घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित रखना और विवाह आदि जैसे अवसरों के लिए विशेष परमिट न देना।

5. लेवी चीनी की बिक्री के लिए अधिकृत उचित मूल्य की दुकानों के रजिस्टरों और लेखों की अक्सर तथा अचानक जांच करने की व्यवस्था करना।

6. यह भी सुनिश्चित करना कि लेवी चीनी को वितरित करने वाली उचित मूल्य की दुकानें भी चीनी की खुली बिक्री न कर सकें।

विकेन्द्रीकरण के पश्चात राष्ट्रीय स्वस्थता कोर (नेशनल फिटनेस कोर) पर खर्च

*189. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकेन्द्रीकरण के पश्चात् राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के खर्च में कई गुनी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कर्मचारियों के वेतन और अन्य आकस्मिक कार्यों पर अलग-अलग वर्ष 1972, 1973 और 1974 में कुल कितनी धनराशि खर्च हुई?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकारों की अनुदानों के रूप में, राशि जिसको संघ शासित क्षेत्रों के बजट में व्यवस्था है और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष खर्च की गई राशि अर्थात् राष्ट्रीय स्वस्थता कोर पर किया गया कुल व्यय निम्नक्रम में है:—

1971–72	2,26,87,000 रुपये
1972–73	2,34,41,000 रुपये
1973–74	2,61,24,000 रुपये

कर्मचारियों के वेतन और अन्य फुटकर खर्च के ब्यौरे प्राप्त किये जा रहे हैं और उन्हें सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

वर्ष 1974–75 में गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना

*190. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1974–75 में 20,000 गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके निर्माण की राज्यवार प्रगति क्या है ; और

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। 1974–75 तथा 1975–76 के वर्षों के दौरान 20,000 गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार ने एक बुनियादी कार्यक्रम हाथ में लिया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल से नवम्बर, 1974 तक पूरे किए गोबर गैस संयंत्र	निर्माणाधीन गोबर गैस संयंत्र
1. आन्ध्र प्रदेश	46	175
2. असम	..	5
3. बिहार	50	250
4. गुजरात	113 (30–9–74 तक)	उपलब्ध नहीं
5. हरियाणा	200 (31-12-74 तक)	437
6. कर्नाटक	102	432
7. केरल	45	75
8. मध्य प्रदेश	40	100
9. महाराष्ट्र	117	205
10. उड़ीसा	8	10
11. पंजाब	9	उपलब्ध नहीं
12. राजस्थान	10 (31-7-74 तक)	20
13. तमिलनाडु	61	515
14. उत्तर प्रदेश	53	176
15. दिल्ली	2	उपलब्ध नहीं
योग	856	2400

फल एवं सब्जी विकास निगम

*192. **श्री वीरेंद्र सिंह राव** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फ़ल एवं सब्जी विकास निगम की स्थापना इस बीच कर दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसकी स्थापना कब तक की जाएगी?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) फल और सब्जी विकास निगम स्थापित करने के प्रस्ताव से संबंधित ब्यौरे अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं।

Projects to Control Floods and Increase Agricultural Production in Bihar

***193. Shri Ramavatar Shastri** : Will the **Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Fatuha-Mokameh-Badahiya Tal and punpun river projects are very important to control floods and increase agricultural production in Patna, Nalanda, Monghyr and Gaya districts of South Bihar;

(b) if so, whether the Government of Bihar have sent any scheme in this regard :

(c) if so, the broad outlines thereof ; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Jagjivan Ram): (a) to (d) The question of providing effective measures against the recurring problem of prolonged submersion of low lying areas of Fatwa, Mokameh, Barahiya and other tals and the spilling of the Punpun river and some of its tributaries affecting agricultural areas has been engaging the attention of the Centre and the State Government of Bihar during the last few years.

In connection with the submersion problems in the tal areas, the Mokameh Taldrainage scheme, Phase I estimated to cost Rs. 26·5 lakhs was taken up in 1967 and was substantially completed in 1969. This provided for the excavation and renovation of 16 drainage channels and constuction of bed bars cum regulators at the outfall of each drainage channel.

Subsequently after further collection of data and studies, the State Government of Bihar prepared the Mokameh Tal Drainage Scheme Phase II with the object of reducing the period of submersion in the tals for the timely sowing of Rabi crops and protection of the summer maize crops in the tal areas from the early floods of the Ganga in the month of June. This scheme estimated to cost Rs. 4·13 crores provided for the construction of Hemza cut with regulators on the Harohar river, raising of the PWD Road and provision of regulators in the road culverts and a ring bund to isolate 2000 ha of high level land in the Tal between the Hemza and the Harohar river. This scheme was examined by the Ganga Flood Control Commission and was later considered by its Technical Advisory Committee in November, 1974. This Committee made a number of observations on the Technical aspects of the scheme and was of the view that the cost of the scheme as planned would not be commensurate with the benefits. The Committee also made some suggestions for further studies for evolving alternate solutions.

The tal areas were inspected by a team of senior officers of the Department of Irrigation of the Ministry of Agriculture and Irrigation early in February, 1975 who also made some suggestions to improve the technical contents and workability of the scheme. The scheme has now to be modified by the State Government of Bihar keeping in view the observations and suggestions of the Technical Advisory Committee of the Ganga Flood Control Commission and the team of senior officers of the Department of Irrigation.

Regarding the flooding by the Punpun river, a 22·5 kms long embankment has been constructed on the left bank of the river to protect areas of Patna city from the spill of the river. A scheme estimated to cost Rs. 9·76 crores was prepared by the State Government in 1973 which envisaged the construction of embankments on both banks of the main river and its tributaries Morhar and Dardha in a total length of 207 kms and raising and strengthening of the existing embankment on the left side of the Punpun in a length of about 4·5 kms. The Technical Advisory Committee of the Ganga Flood Control Commission who examined the scheme, recommended that in the first instance only an embankment in a length of about 10 to 13 kms was required to be constructed on the right bank near the confluence with the Ganga to prevent the backflow of the Ganga into the Fatua Tal. Accordingly the State Government of Bihar prepared a scheme estimated to cost Rs. 99

lakhs which consisted of three components namely the construction of an embankment on the right bank in a length of 13.6 kms, raising and strengthening of the existing embankment on the left side in a length of 9.70 kms and construction of a new embankment on the left bank in a length of about 6 kms. The Technical Advisory Committee of the Ganga Flood Control Commission approved the first two components of the scheme at an estimated cost of Rs. 77 lakhs which is likely to benefit an area of 5000 hectares. The scheme has now been forwarded to the Planning Commission for according approval for its implementation.

"Youth Parliament" Programme in Schools & Colleges

***194. Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) whether any new scheme s have been considered for making "Youth Parliament" programme more attractive, interesting and useful in schools and colleges in the States :

(b) whether any scheme for training of teachers is under the consideration of the Ministry for making this programme more successful and attractive ; and

(c) any future schemes for the development and popularity of this programme ?

The Minister of Works & Housing and Parliamentary affairs (Shri K. Raghu Ramaiah) : (a) No new scheme has been evolved in regard to the Youth Parliament Progromme. However, the Central Government have been advising the State Governments from time to time to arrange Youth Parliament Competitions in recognised schools in the States on the pattern of the Youth Parliament Competitions Scheme for recognised educational institutions in the Union Territory of Delhi. For this purpose, a scheme of financial assistance to the State Governments has been drawn up under which expenditure incurred by each State upto a ceiling of Rs. 1,000 will be reimbursed by the Department of Parliamentary Affairs, Government of India, for each Annual Competition.

(b) & (c) No, Sir.

एशियाई कृषि विकास संबंधी अध्ययन

195. श्री एम० कतामुतु : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये एशिया कृषि विकास के अध्ययन के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और उक्त अध्ययन का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास अनुसंधान संस्थान, जिनेवा, 1974 के तत्वावधान में प्रो० वी० के० आर० वी० राव द्वारा "एशिया की कृषि में न्याय संगत वृद्धि नीति निर्धारण का एक प्रयत्न" विषय पर एक अध्ययन किया गया। अध्ययन में जिन विषयों पर राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करने पर बल दिया गया, वे निम्नलिखित है:—

(1) उपज, उर्वरक, के प्रभाव, कीट-व्याधियों की प्रतिरोधिता और उनमें निहित प्रोटीन की मात्रा आदि पर विशेष रूप से बल देते हुए बीजों पर लगातार अनुसंधान करना, दल हनी, तिलहनी और उन फसलों सम्बन्धी अनुसंधान, जिनसे उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है, छोटे किसानों और समुदाय के कमजोर वर्गों को लाभ प्रदान करने के विचार से विभिन्न कृषि और जलवायु वाली स्थितियों के अनुकूल अनुसंधान कार्य करना, (2) उपलब्ध सिंचाई साधनों के बेहतर उपयोग, सिंचाई व्यवस्था सम्बन्धी नये निर्माण कार्य शुरु करने, जल-निकास

और जल-नियंत्रण संबंधी कार्यों में सुधार करने के लिए एशिया के विकासशील देशों को तकनीकी और वित्तिय सहायता प्रदान करना, (3) रासायनिक उर्वरक और अन्य रासायनिक निवेशों का उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक गैस और तेल उत्पादक देशों तथा तकनीकी जानकारी से सम्पन्न विकसीत देशों के सहयोग से न-लाभ-न-हानी के आधार पर अन्तराष्ट्रीय स्वामित्व और संचालन में कारखानों की स्थापना करना, (4) कृषि सम्बन्धी उत्पादन और निवेशों दोनों के लिए भण्डार गोदामों को विस्तृत रूप से जगह-जगह स्थापना, (5) विकासशील देशों से खाद्यान्न और अन्य कृषि पदार्थों केआयात पर अपने सीमा शुल्क और अन्य रुकावटों को पूर्णतः समाप्त करने या पर्याप्त रूप से कम करने के लिए विकसित देशों द्वारा कार्रवाई, (6) विकासशील देशों में राष्ट्रीय कृषि बैंकों के ऋण सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए विदेशी मुद्रा की सहायता, (7) विस्तार कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायता करना, (8) विकासशील देशों से नयी प्रौद्योगिकी की उन्नती और उत्पादन, वितरण तथा बचत पर उसके प्रभाव और नयी प्रौद्योगिकी में छोटे तथा जीवन निर्वाह करने वाले किसानों की हिस्सेदारी विषयक सामयिक रिपोर्ट प्राप्त करना, और (9) विकासशील देशों में जीवन के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं तथा कृषि-विकास और नयी प्रौद्योगिकी के उन पर प्रभाव सम्बन्धी अनुसंधान के लिए सहायता करना।

भारत में अधिकांश कृषि सम्बन्धी अनुसंधान और विकास कार्यक्रम पहले से ही इनमें से कुछ बातों पर आधारित हैं। अनुसंधान और विकास कार्यक्रम में परिवर्तन की आवश्यकताओं का बराबर मूल्यांकन किया जाएगा।

कलकत्ता तथा अन्य विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता

*197. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी:** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में केन्द्रीय तथा अन्य विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से कितना अनुदान दिया गया;

(ख) क्या छात्रों की संख्या की दृष्टीसे इस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत में सब से बड़ा विश्वविद्यालय है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त विश्वविद्यालय को वित्तिय दृष्टी से सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कारगर उपाय किये गय हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो०एस० नुरुलहसन) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार जहां तक 1972-73 के दौरान अध्यापन विभागोंमें दाखिल छात्रों की संख्या का सम्बन्ध है, कलकत्ता विश्वविद्यालय पहले पांचविश्वविद्यालयोंमें से नहींहै। तथापि, यदि सम्बद्ध कालेजों के दाखिलों को भी शामिल किया जाए, तो इस विश्वविद्यालय में दाखिले की संख्या सबसे अधिक है।

(ग) राज्य विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है। अतः कलकत्ता विश्वविद्यालयों को कुशल कार्य करने हेतु आवश्यक राशि प्रदान करना पश्चिम बंगाल सरकार की जिम्मेदारीहै।

भारतीय विश्वविद्यालयों में टयुटोरियल प्रणाली के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति

*198. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री के० लकप्पा :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विश्वविद्यालयों में वर्तमान ट्यूटोरियल प्रणाली की जांच करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन): (क) भारतीय विश्वविद्यालयों में वर्तमान ट्यूटोरियल प्रणाली की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्न का अभाव

***199. श्री अनादि चरण दास :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान चण्डीगढ़ से प्रकाशित दिनांक 9 जनवरी, 1975 के एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में "मोयनिहन प्रैडिक्टस फूड स्केअरसिटी इन इंडिया फोर टेन इअर्स मोर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका ध्यान मोयनिहन की इस टिप्पणी की ओर भी दिलाया गया है कि भारत की कृषि क्षमता इतनी अधिक है कि वह पूरे विश्व को खाद्यान्न प्रदान कर सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) सिंचाई की योजनाओं को समुचित प्राथमिकता दी जाती है। इसके परिणामस्वरूप सिंचाई की क्षमता 1950-51 में 226 लाख हैक्टार से बढ़कर 1973-74 में 446 लाख हैक्टार हो गई है। पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक 1070 लाख हैक्टॉर की कुल संभावित क्षमता में से 570 लाख हैक्टार की सिंचाई क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। इसे तथा अन्य उपायों को दृष्टीगत रखते हुए पांचवीं योजना के अन्तिम वर्ष के लिए 14 करोड़ मीटरी टन खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

"ड्रग्स रिएपियर इन कैम्पस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

***200. श्री शशि भूषण :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 फरवरी, 1975 के अंग्रेजी के एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में "ड्रग्स रिएपियर आन कैम्पस" शीर्षक से प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि मादक द्रव्य कैम्पस में फिर से उपलब्ध होने लगे हैं और एक कालेज के जलपानगृह कर्मचारियों द्वारा चोरी छिपे हशीश बेची जा रही है; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन): (क) जी हां।

(ख) न तो सरकार और न दिल्ली विश्वविद्यालय को ही इस बात की जानकारी है कि मादक द्रव्य कैम्पस में फिर से उपलब्ध होने लगे हैं या किसी कालेज के जलपानगृह में हशीश बेचा जा रही है।

पंजाब में ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम का निष्पादन

1791. **श्री भानसिंह भौरा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में ग्रामीण रोजगार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित द्रुत कार्यक्रम का निष्पादन सन्तोषजनक रहा ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) ग्राम रोजगार की त्वरित योजना पंजाब में 3 वर्षों की अवधि अर्थात् 1971-72 1972-73 और 1973-74 में सन्तोषजनक रूप से कार्यान्वित की गई थी।

निधियों का आबंटन, बंटित धनराशि, किया गया व्यय और पैदा किया गया रोजगार नीचे दिया गया है :—

(लाख रु० में)

वर्ष	निधियों का आबंटन	बंटित धन राशि	किया गया व्यय	पैदा किया गया रोजगार (लाख श्रम दिनों में)
1971-72	137.50	137.50	146.01	31.29
1972-73	140.50	140.50	142.16	24.27
1973-74	123.00	123.00	123.13	18.74

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नव-साक्षरों के लिए साहित्य का प्रकाशन

1792. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नव-साक्षरों के लिये साहित्य प्रकाशन को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) तथा (ख) नव-साक्षरों के लिए साहित्य के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पहले से ही कई कदम उठा रही है। प्रादेशिक भाषाओं में इसी प्रकार के प्रयत्नों के मार्गदर्शन के लिए, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय स्वयं हिन्दी में सामग्री के नमूने तैयार करता है; नव-साक्षर साहित्य के उत्पादन के लिए राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तिय सहायता

दी जाती है; तथा हरेक प्रादेशिक भाषा में नव-साक्षरों के लिए सर्वोत्तम पाण्डुलिपियों के चयन के लिए एक अखिल भारतीय वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें एक-एक हजार रुपये के पुरस्कार होते हैं। ग्रामीण पुस्तकालयों तथा समाज शिक्षा केन्द्रों में मुफ्त बांटने के लिए हरेक विजयी प्रविष्टि की 1500 प्रतियों की एक मुश्त खरीद की जाती है।

Foodgrains Damaged During 1974

1793. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) the total quantity of foodgrains, indigenous or imported, damaged/destroyed during the year 1974;

(b) the causes thereof ; and

(c) the measures taken by Government to check recurrence thereof ?

The Minister of State in The Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) The required information is being collected and will be laid on the table of the Sabha on receipt of the same.

N. B. O. New Certification Scheme For New Building Products

1794. **Shri Banamali Babu** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the N.B.O. has formulated a new certification scheme for adoption of new building products and techniques for construction ; and

(b) if so, the manner in which the scheme will be executed ?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghu Ramaiah) : (a) Yes, Sir.

(b) The Scheme is not yet finalised. However, it will be executed by the National Buildings Organisation through an 'Agreement Board' constituted by experts drawn from various technological disciplines connected with the building industry.

परीक्षा प्रणाली में अमूल परिवर्तन करना

1795. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

श्री चौधरी राम प्रकाश :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान परीक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) वर्तमान परीक्षा प्रणाली को सुधारने के लिये अनेक उपाय किये गये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक विशेषज्ञ समिति की "परीक्षा सुधार-कार्रवाई की एक योजना" नामक रिपोर्ट की उसमें की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु सभी विश्वविद्यालयों को भेज दिया है। राज्य सरकारों को भी उक्त रिपोर्ट की प्रतियां भेज दी गई हैं। रिपोर्ट की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में भी उपलब्ध है।

परीक्षा में सुधार करने के लिये "कार्रवाई की योजना" को कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित 12 विश्वविद्यालयो का चयन किया है:--

(1) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

(2) आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर

(3) एम० एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा

(4) पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़

(5) गोहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी

(6) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

(7) यादवपुर विश्वविद्यालय, यादवपुर

(8) पूना विश्वविद्यालय, पूना

(9) सागर विश्वविद्यालय, सागर

(10) मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर

(11) मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास

(12) कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट

पड़ौसी विश्वविद्यालयों में इसी प्रकार का परिवर्तन लागू करने के लिए ये विश्वविद्यालय मार्ग-दर्शकों के रुप में कार्य करेंगे। क्रम संख्या 1-10 और 12 पर उल्लिखित विश्वविद्यालयों ने आयोग को यह सूचित किया है कि आवश्यक मार्गदर्शी रुप रेखाओं का सुझाव देने के लिये उन्होंने अपनी अलग परीक्षा सुधार कार्यान्वियन समितियां नियुक्त की हैं। "परीक्षा सुधार-कारंवाई की योजना" की रिपोर्ट का कार्यान्वियन इन विश्वविद्यालयों में विभिन्न स्तरों पर है। कार्रवाई की योजना में की गई सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये आयोग ने एक कार्यान्वयन समिति का भी गठन किया है।

उपरोक्त विश्वविद्यालयो के अतिरिक्त कई अन्य विश्वविद्यालय, विशेषकर बरहमपुर विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, केरल विश्वविद्यालय, मदुरै विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, उस्मानीया विश्वविदयालय, रुड़की विश्वविद्यालय, सम्बलपुर विश्वविद्यालय और सरदार पटेल विश्वविद्यालय और दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय सिफारिश किये गये सुधारोंसे संबंधित उपायों को कार्यान्वित करने के बारे में कार्रवाई कर रहे हैं। भारत में कृषि विश्वविद्यालयों ने पहले से ही समेस्टर अथवा त्रैमासिक परीक्षा पद्धति को अपना लिया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ परीक्षा सुधार के विषय पर विचार करने के लिये 1974 के दौरान चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा की एक नई पद्धति तैयार की है जिसकी मुख्य विशेषता यह है कि माध्यमिक स्कूल पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का परिणाम एक पांच सूत्री मान के आधार पर प्रत्येक विषय में ग्रेडों के रुप में दिया जायेगा और प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिये कोई समग्र ग्रेड प्रदान नहीं किया जायेगा।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने भी स्कूलोंमें परीक्षा सुधार के अपने कार्यक्रम को तीव्र कर दिया है। इस कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य परीक्षाओंको विद्यार्थियों के विकास का एक मान्य और विश्वसनीय बनाना तथा अध्यापन और अध्ययन में सुधार करने का एक

शक्तिशाली सहायक साधन बनाना है। इन उद्देश्यों को बाह्य परीक्षाओं और स्कूली मूल्यांकन के माध्यम से प्राप्त करने केलिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग से निम्नलिखित राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों ने परीक्षा सुधार के कार्यक्रमो को कार्यान्वित किया है :—

राज्य	संघशासित क्षेत्र
(1) आन्ध्र प्रदेश	(1) दिल्ली
(2) असम	(2) गोआ, दमन और दीव
(3) गुजरात	(3) पाण्डीचेरी
(4) हरियाणा	
(5) कर्नाटक	
(6) केरल	
(7) मध्यप्रदेश	
(8) महाराष्ट्र	
(9) मणिपुर	
(10) उड़ीसा	
(11) पंजाब	
(12) राजस्थान	
(13) तमिल नाडु	
(14) उत्तर प्रदेश	
(15) पश्चिम बंगाल	

कृषि वैज्ञानिकों के कार्य को परिस्थितियां एवं उनके वेतनमान

1796. श्री धा मनकर : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कार्य केलिये उत्प्रेरक उपाय के रूप में कृषि वैज्ञानिकों के कार्य की परिस्थितियों को सुधारने एवं उनके वेतन-मानों का पुन: निर्धारण करने केलिये विशेष उपाय किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) देश में बेरोजगार कृषि वैज्ञानिकों/स्नातकों की संख्या कितनी है ; और

(घ) कृषि विकास के कार्यक्रम में उनका लाभप्रद, ढंग से उपयोग करने केलिये क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) कृषि विभाग में नियुक्त कृषि वैज्ञानिकों और टैक्निकल कर्मचारियों के वेतन-मानों को तीसरे वेतन आयोग के सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधारों के साथ संशोधित कर दिया गया है। इसी प्रकार कृषि अनुसंधान परिषद में नियुक्त कृषि वैज्ञानिकों का वेतन मान भी संशोधित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि वैज्ञानिकों की कार्य स्थितियों को सुधारने के उपाय भी किये जा रहे हैं। निर्धारित की जा रही नयी कार्मिक नीतियों के अंग स्वरुप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कृषि अनुसंधान सेवा गठित करने का प्रस्ताव

है। इस सेवा में 550–900 रू० तथा 1800–2250 रू० के बीच के वेतन-मान शामिल होंगे। इसमें 3500 रू० तक के अधिक वेतन-मान वाले पद भी हो सकते हैं, जिन्हें उपर्युक्त सेवा में शामिल नहीं किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सेवामें नियुक्त वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड द्वारा गठित बाह्य पैनल द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले मूल्यांकन के अनुसार निर्णित अपने कार्य सम्पादन के आधार पर 3500 रू० के अधिकतम वेतन-मान तक पहुंच सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में कुछ शिकायत कक्ष गठित किये जा चुके हैं और कुछ गठित किये जा रहे हैं। इनके माध्यम से कर्मचारियों को व्यक्तिगत शिकायतें व्यक्त करने के लिए एक उपयुक्त फोरम सुलभ होगा। अनुसंधान संस्थानों में संयुक्त कर्मचारी परिषद गठित करने का भी प्रस्ताव है। वैज्ञानिकों को अपनी जीवन-वृत्ति में उन्नति के बेहतर अवसर तथा कार्य और कार्य संचालन संबंधी स्वतंत्रता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपर्युक्त उपाय किये गये हैं।

(ग) कृषि और सिंचाई मंत्रालय में बेरोजगार कृषि वैज्ञानिकों स्नातकों की ठीक-ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है। फिर भी, 31 दिसम्बर, 1973 तक देश के विभिन्न रोजगार दफ्तरों के साम्प्रतिक रजिस्टरों (लाइव रजिस्टर) में दर्ज किये गये कृषि स्नातकों की संख्या 8.913 और कृषि स्नातकोत्तरों की संख्या 959 थी। इसमें दिल्ली के विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्ग दर्शन ब्यूरो में दर्ज संख्या भी शामिल है, लेकिन अन्य ऐसी ब्यूरों की संख्या नहीं।

(घ) इंजीनियरों/डिप्लोमा धारी व्यक्तियों और कृषि स्नातकों को स्वतः रोजगार प्राप्त करने में सहायता करने की दृष्टी से कृषि विभाग ने "कृषि सेवा केन्द्रों" की स्थापना करने के लिए एक परियोजना तैयार की है। इस परियोजना के अन्तर्गत जनवरी, 1975 के अन्त तक ऐसे 1,808 कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है और अब तक करीब 2,790 नये उद्यमशील लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें कृषि स्नातक भी शामिल हैं।

Estimated cost of Sukata Project in Madhya Pradesh

1797. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the original estimates of cost of Sukata Project in Madhya Pradesh ; and

(b) the number of times original estimates were revised as also the final estimates thereof and the reasons for revising the cost of the project ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri K. N. Singh): (a) Rs. 156.52 lakhs.

(b) Three revised estimates were sent by the State Government and the latest estimated cost of the project is assessed to be Rs. 483.02 lakhs. The reasons for revision are indicated to be changes necessisitated in the project proposals as a result of detailed investigations for the surplusing works, Silt Storage, Canals, Construction material and increase in price.

राजस्थान नहर के अन्तर्गत एकीकृत बहुमुखी कार्यक्रम कार्यान्वयन

1798. **श्री लालजी भाई** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान नहर के अन्तर्गत एकीकृत बहुमुखी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये कमांड क्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने अपने आदेश संख्या एफ 6(13) कृषि–5173 दिनांक 25-7-74 के अनुसार

राजस्थान नहर परियोजन के सम्बन्ध में एक कमांड क्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया है। कमांड क्षेत्र प्राधिकरण के बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं :—

(1)	क्षेत्र विकास आयुक्त (राजस्थान सरकार) . . .	अध्यक्ष तथा प्रशासक
(2)	सचिव, राजस्थान नहर तथा अध्यक्ष राजस्थान नहर बोर्ड या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
(3)	सचिव, सी० ए० डी० (राजस्थान सरकार) .	सदस्य
(4)	वित्तीय आयुक्त या उनका प्रतिनिधि (राजस्थान सरकार) .	सदस्य
(5)	राजस्व तथा वन आयुक्त या उनका प्रतिनिधि (राजस्थान सरकार)	सदस्य
(6)	विशेष सचिव, योजना, (राजस्थान सरकार)	सदस्य
(7)	कालोनाइजेशन कमिशनर, (राजस्थान सरकार)	सदस्य
(8)	ऋण संस्थाओं का एक प्रतिनिधि . .	सदस्य
(9)	प्रमुखों तथा अन्य चुने हुए प्रतिनिधियों के दो नामजद व्यक्ति	सदस्य
(10)	किसानों के (जिनमें से एक कमजोर वर्गों का होगा) दो प्रतिनिधि	सदस्य
(11)	उप क्षेत्र—विकास आयुक्त (राजस्थान सरकार) कमांड क्षेत्र प्राधिकरण	सदस्य सचिव

1. सलाहकार समितियों को गठित कर सकेगा जिनमें विभिन्न विकास क्षेत्रों के अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे।

2. कमांड क्षेत्र प्राधिकरण के कार्य तथा उत्तरदायित्व निम्न प्रकार होंगे :—

(1) पानी को स्रोत से लेकर फार्म तक पहुंचाने के विषय के कारगर रूप से व्यवस्था करना।

(2) संस्थात्मक धन तथा अन्य माध्यमों से स्रवण क्षेत्र (चाक) के अन्दर भूमि विकास के कार्यक्रमों, जिनमें जलधाराओं की पूनर्व्यवस्था तथा रेखांकन, भूमि समतलन, भूमि सुधार के कार्य व खेत की नालियों आदि का निर्माण शामिल है, की आयोजना तथा उसका क्रियान्वयन।

(3) "वारा बंदी" की एक उचित प्रणाली को लागू करना और विभिन्न खेतों के लिए जल का उचित ढंग से वितरण करना।

(4) सतही सिंचाई को अनुपूरित करने के लिये भूमिगत जल का विकास करना।

(5) उपयुक्त फसल प्रतिमानों का चयन तथा प्रारम्भ।

(6) ऋण तथा अन्य सभी आदानों की सप्लाई और सेवाएं।

(7) विपणन, परिसंस्करण-सुविधाओं और संचार व्यवस्था का विकास।

(8) छोटे किसानों सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों के लिए क्रियान्विति हेतु अलग-अलग कार्यक्रम तैयार करना।

(9) पशुधन विकास बागवानी, फार्म वानिकी आदि के माध्यम से कृषि कार्यों में विभिन्नता लाना।

(10) नहरों, सड़कों तथा फार्मों के लिए रक्षात्मक वानिकी कार्यक्रम, अनकमान्डिड भूमि का चरागाह विकास इंधन के काम आने वाली लकड़ी के वृक्ष लगाने आदि।

(11) टाउनप्लानिंग ग्रामीण आवास मौजूदा और नए गांवों का विकास तथा विपणन केन्द्रों का विकास ।

3. राजस्थान कैनाल स्टेट 1और स्टेट 2का ग्रोस कमांड एरिया कमांड क्षेत्र प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में होगा ।

आसाम में चावल और धान के अधिक मूल्य

1799. श्री नुरुलहुडा: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जनवरी-फरवरी, 1975 में आसाम राज्य में चावल और धान के ऊंचे मूल्यों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या निम्न क्रय शक्ति के परिणामस्वरूप आसाम राज्य में कचार, शिवसागर, गोलपाड़ा और कामरूप जिलों में भुखमरी की सी स्थिति बनने के बारे में समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार ठीक है; और

(ग) क्या गोलपाड़ा के गतवर्ष के अनुभव को देखते हुए केन्द्र सरकार राज्य सरकार को निदेश देगी कि वास्तविक रूप से संकटग्रस्त हुए लोगों को राजसहायता वाले दरों पर चावल और गेहूं उपलब्ध किय जाये ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिबपी० शिन्दे): (क) से (ग) राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना देने के लिए कहा गया है। प्राप्त होने पर उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

विख्यात प्राध्यापकों को राष्ट्रीय प्राध्यापक पद देने की योजना

1800. श्री वसन्त साठे : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विख्यत प्राध्यापकों को राष्ट्रीय-प्राध्यापक पद देने की योजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो योजना निलम्बित करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्राध्यापक अनुसंधान योजना को संशोधन करने के लिए कुछ प्रस्ताव सरकार को भेजे गए थे। सोच-विचार के बाद यह तय किया गया था कि इस योजना को अभी बिना किसी परिवर्तन के जारी रखा जाए। नामांकन/सुझाव प्राप्त हो गए हैं तथा ये विचाराधीन हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में खाद्य स्थिति

1801. श्री बेकारिया: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका तथा संयुक्त राष्ट्र-संघ के खाद्य विशेषज्ञों ने यह बताया है कि "विश्व की खाद्य स्थिति" में उल्लेखनीय सुधार भारत में हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) अमेरिका तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य विशेषज्ञों के कथित वक्तव्य सरकार के ध्यान में आये हैं।

(ख) 1974 की अन्तिम तिमाही से समची खाद्य स्थिति में सुधार हुआ है। उत्तरी भारत के कई भागों में शीतकालीन वर्षा से रबी फसलों को लाभ पहुंचा है और यदि मौसम के शेष भाग में मौसम की स्थिति अनुकूल बनी रही तो इस वर्ष रबी की पैदावार में पर्याप्त वृद्धि होने की आशा की जा सकती है।

Expenditure on Construction of Shanti Van

1802. **Shri Hukam Chad Kachwai :**
Shri R. V. Bade :
Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the total amount of expenditure incurred so far on the construction of Shanti Van; and

(b) the time likely to be taken in the completion of the work and the total expenditure estimated to be incurred thereon ?

The Minister of works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghu Ramaih : (a) An amount of Rs. 74.94 lakhs has been spent up to January, 1975.

(b) The basic development has already been done. The residual work in hand will take about a year and the estimated expenditure will be Rs. 1.20 lakhs. However, the process of development does not remain static and more works might be taken up if considered necessary.

भेडों की आयात

1803. **श्री पी० वेंकटा सुब्बया :** क्या **कृषि और सिचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन से उत्पादन के लिए स्थानीय भेडों की नस्ल सुधार के लिए भारी संख्या में भेडों का आयात किया गया है ;

(ख) इन भेडों से स्थानीय नस्ल की भेडों में सुधार करने में किस सीमा तक सफलता मिली है; और

(ग) ऊन उत्पादन में इससे कितनी सहायता मिलने की सम्भावना है?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) संकर प्रजनन के जरिये अधिक और बढिया ऊन वाली भेडों के प्रचलन का मूल उद्देश्य स्थानीय भेडों की ऊन की किस्म और मात्रा में सुधार करना है। संकर प्रजनित भेडों में 50 प्रतिशत विदेशी रक्त से उनके वजन में लगभग 80 प्रतिशत और ऊन के वजन में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस से उन की किस्म में भी सुधार हुआ है।

विजयवाडा पेय जल सप्लाई योजना

1804. **डा० के० एल० राव :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर को पेयजल की सप्लाई करने के लिये विजयवाड़ा नगर भारत के किसी भी अन्य नगर की तुलना में अधिक अनुकूल रूप से स्थित नगर है;

(ख) क्या विजयवाडा में प्रतिदिन दो सौ लाख गैलन जल सप्लाई करने की लागत भारत में किसी भी अन्य महत्वपूर्ण नगर में समान मात्रा में जल की सप्लाई के लिए अपेक्षित धनराशि का लगभग दसवां भाग होगा; और

(ग) यदि हां, तो विजयवाडा में रहने वाले लोगों को पर्याप्त जल की सप्लाई करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुराम्मैया) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

भूक्षरण पर नियंत्रण विषयक विशेषज्ञ दल की सिफारिशें

1805. **श्री रोबिन काकोटी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विशेषज्ञ दल ने अक्तूबर 1974 मास में मथाला भूक्षरण क्षेत्र (डिब्रुगढ़) का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त क्षेत्र में भूक्षरण नियंत्रण के लिए उनकी क्या सिफारिशें थी; और

(ग) उपरोक्त क्षेत्र में भूक्षरण पर नियंत्रण के लिए विशेषज्ञ दल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) ब्रह्मपुत्र नियंत्रण बाढ़ आयोग के सलाहकारों के बोर्ड ने अक्तूबर, 1974 में मथला कटाव क्षेत्र का दौरा किया था ।

(ख) और (ग) सलाहकारों के बोर्ड ने कटाव को रोक थाम के लिए एक स्कीम तैयार करने की सिफारिश की है जिसमें दो पत्थर के और आठ पारगम्य स्पर शामिल हैं । तदनुसार ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग ने जनवरी, 1975 म, 75 लाख रुपये की अनुमानित लागत की एक स्कीम प्रस्तुत की थी । केन्द्रीय जल आयोग ने जांच करने के पश्चात् इस स्कीम में कुछ परिवर्तन किया गया था । उसके बाद 24 जनवरी, 1975 को हुई सलाहकारों के बोर्ड की बैठक में 58.5 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर इसे मंजूर दे दी गई थी। जैसा कि बाढ़ नियंत्रण की स्कीमों पर कार्यवाही हेतु निर्धारित प्रक्रिया में अपेक्षित है, केन्द्रीय जल आयोग ने इस स्कीम को, कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति देने हेतु योजना आयोग को भेज दिया है । यह सूचना मिली है कि ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग ने पहले ही इस पर कार्यवाही आरंभ कर दी है और कार्यों के लिए टेण्डर मंगवा लिए है ।

वनस्पति मूल्यों पर से नियत्रंण हटानें का निर्बल वर्ग पर प्रभाव

1806. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वनस्पति के मूल्यों पर से नियंत्रण हटाने के परिणामस्वरूप खुले व्यापार की प्रथाओं से होने वाले शोषण से समाज के दुर्बल वर्ग के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : क्योंकि उद्योग की स्थापित क्षमता उसके उत्पादन की मांग से दुगुनी है इसलिए फैक्ट्रियों को आवश्यक रूप से अत्याधिक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में कार्य करना पड़ता है । इससे उद्योग या व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण करने का जोखिम नहीं रहता है फिर भी सरकार सभी अवस्थाओं में लिए जा रहे मूल्य पर बराबर निगरानी रख रही है।

4—12 LSS/ND/75

माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड कलकत्ता के वर्तमान मुख्य प्रबन्धक द्वारा कदाचार

1807. श्री दीनेन भट्टाचार्य :

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता स्थित माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड के वर्तमान मुख्य प्रबंधक द्वारा जानबूझकर किये गये कदाचारों और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है और यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकार को दिनांक 27-12-74 के पत्र की एक प्रति प्राप्त हुई है जिसमें माडर्न बेक्रीज के कलकत्ता यूनिट के मुख्य प्रबंधक के विरुद्ध कुछेक आरोप लगाए गए हैं ।

(ग) कम्पनी इन आरोपों की जांच कर रही है।

भूकम्प से क्षति

1808. श्री वरके जार्ज :

श्री शंकरराव सावन्त :

श्री एम० एम० जोजफ:

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बद्री नाथ, गढ़वाल डिवीजन के विभिन्न भागो और बिहार में मोतीहारी जैसे देश के विभिन्न भागो में भूकम्प आये हैं;

(ख) यदि हां, तो उससे उनमें कितने गैर-सरकारी मकान और इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और सरकारी सम्पति को कितनी क्षति हुई;

(ग) भुकम्पो में कितने व्यक्ति हताहत हुए ; और

(घ) भुकम्पो से प्रभावित लोगो को अभी तक सरकार ने किस प्रकार की सहायता दी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रिहायशी प्रयोजनों के लिये गृह निर्माण हेतु ऋण सुविधाएं

1809. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रह रहे मध्यवर्ग के लोगो की सामान्यतया रिहायशी प्रयोजनो के लिये भी गृह निर्माण कार्यों के लिए ऋण संबंधी सुविधायें देनी बंद कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी वजह से मध्य वर्ग के लोगो को विशेष रूप से निम्न आयू वर्ग के व्यक्तियो को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Chemical Fertiliser Supplied to U. P. and Bihar

1810. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Central Government have supplied large quantities of chemical fertilizers to Uttar Pradesh during 1974-75 ;

(b) if so, whether the Uttar Pradesh Government have decontrolled the chemical fertilizer in the State as a result thereof;

(c) whether the Government have supplied less quantity of chemical fertilizers to Bihar as compared to its demand ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) Yes, but not adequate to meet in full their approved agronomic requirements.

(b) In pursuance of a suggestion from the Union Minister of Agriculture made to the State Chief Minister to review the permit system which could be acting as a bottleneck in the smooth distribution of fertilisers, the Government of U.P. have abolished the permi-system. Control on inter-district movement of fertilisers, however, continues in Uttar Pradesh.

(c) Yes, but the overall position of supplies of fertilizers during 1974-75 in relation to the approved requirements was better in case of Bihar than in case of Uttar Pradesh.

(d) The shortfall in supplies of fertilisers to most of the States, including Bihar and Uttar Pradesh was mainly due to general shortage in the availability of fertiliser in the country. The general shortage was due to shortfall in domestic production, as well as to the tight supply position in the international market.

किसानों को समय पर उर्वरकों की सप्लाई करने के लिए कार्यवाही

1811. सरदार महेन्द्र सिंह गिल :

श्री वीरभद्र :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर 'कृषि पंडितों' सहित लगभग सभी कृषकों ने सर्वसम्मति से यह शिकायत की थी कि उनको अपेक्षित उर्वरक समय पर उपलब्ध नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो कृषकों की इस शिकायत के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) कृषि पंडितों ने गत मास पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान समय पर उर्वरक न मिलने के बारे में भारत सरकार से कोई शिकायत नहीं की थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार यह महसूस करती है कि किसानों को समय पर उर्वरक मिलना जरूरी है। किसानों को निश्चित रूप से सरलतापूर्वक और समय पर उर्वरक उपलब्ध हो सकें, इसके लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय दिए गए हैं:—

(1) विदेशों से यथा सम्भव अधिक से अधिक आयात करना और देशी उत्पादन में सुधार करना।

(2) आयात के कार्यक्रम तयार करना और अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में काफी पहले उर्वरकों की आवश्यक मात्रा में खरीद की व्यवस्था करना ताकि किसानों को समय पर उर्वरक पहुंच सके ।

(3) उर्वरकों के संचलन की बाधायें दूर करके और विनिर्माताओं को यह कहकर कि वे यथासम्भव अधिक से अधिक मात्रा में उर्वरक सहकारी समितियों तथा राजकीय एजेंसियों के जरिए बेंचे, उर्वरक की वितरण प्रणाली को तर्क सम्मत बनाने और सुधार करने के उपाय किए गए है ।

(4) राज्यों को भी यह सलाह दी गई है कि वे सहकारी समितियों और खुदरा विक्रताओं के गोदामों उपलब्ध स्टाक की सावधानीपूर्वक वस्तु सूची तैयार करें और इसकी अक्सर जांच करें ताकि उपलब्ध उर्वरकों का समय पर और समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके ।

उड़ीसा में आदिवासी विकास एजेंसी

1812. श्री अर्जुन सेठी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आदिवासी क्षेत्र के कल्याण के लिए उड़ीसा के लिए आदिवासियों के विकास हेतु आदिवासी विकास एजेंसी के नाम से किसी विशिष्ट योजना को स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और यह योजना किन जिलों में लागू की गई-है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। आदिवासी विकास एजेंसी नाम की आदिवासी क्षेत्र विकास की एक विशेष योजना चौथी योजना के केन्द्रीय कृषि क्षेत्र में कुछ चुने शीघ्र प्रभावित होने वाले पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित करने के लिए मंजूर की गयी थी। इनमें से चार उड़ीसा राज्य में स्थित है । यह योजना पांचवी योजना में भी चल रही है।

(ख) इस योजना के अधीन आदिवासी विकास एजेंसियां गंजम (पर्लखेमुण्डी), कोरापुट (गुनुपुर), क्योंझर (भुयानपीर तथा जोंगपीर) और फुलबनो (बाल्लिगुडा) में स्थापित की गई हैं ।

इस योजना की मुख्य मुख्य बातें संक्षेप में नीचे दी गई हैं।

(1) ये परियोजनायें सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत आदिवासी विकास एजेंसी नाम की सोसायटी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इसका अध्यक्ष कलक्टर है और जिलास्तर पर के दूसरे संबंधित अधिकारी, संसद् सदस्य और विधान सभा सदस्य इसके सदस्य है। भारत सरकार द्वारा परियोजना के अध्यक्ष को सीधे अनुदान दिया जाता है। प्रत्येक परियोजना में विभिन्न कार्यक्रमों का समन्वित तथा प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के स्तर का एक पूर्णकालिक परियोजना अधिकारी होता है ।

(2) गंजम तथा कोरापुट की प्रत्येक आदिवासी विकास एजेंसी परियोजना में आदिवासियों के आर्थिक विकास के मुख्य कार्यक्रम के लिए 1.50 करोड़ रुपये और आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों के लिए 0.50 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है ।

क्योंझर तथा फुलबनी की दूसरी आदिवासी विकास एजेन्सी परियोजनाओं में मे प्रत्येक मेआदिवासियों के आर्थिक विकास के मुख्य कार्यक्रम के लिए 1.50 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है, जबकि इन दोनों परियोजनाओं से संबंधित मुख्य सड़कों के लिए संसाधन राज्य क्षेत्र के लिए जाने की आशा की जाती है।

(3) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक के अन्तर्गत पात्र श्रेणी के 10,000 आदिवासी परिवार अथवा 50,000 आदिवासी जनसंख्या को लाने का विचार है। इस श्रेणी में आम तौर पर वे लोग आएंगे जिनके पास 2 हैक्टेयर सिंचित अथवा 4 हैक्टेयर असिंचित अथवा मरुभूमि से कम की जोतें हैं।

(4) आर्थिक विकास के मुख्य कार्यक्रम कृषि विकास के समस्त पक्षों से सम्बन्धित हैं, जिनमें ये भी शामिल हैं—बागवानी, भूमि विकास तथा भू-संरक्षण उपाय, लघु सिंचाई, पशुपालन गतिविधियों का विकास, जैसे—पशुविकास, डेरी, सूअरपालन, बकरीपालन, भेड़पालन, कुक्कुटपालन, बतखपालन तथा मछली-पालन, विवर्तन खेती का नियंत्रण भूमिहीन आदिवासी परिवारों को बसाना, ऋण से मुक्ति, भूमि प्रत्यावर्तन, भूमि अभिलेखों को अद्यतन करना, छोटे पैमाने के कृषि तथा वन पर आधारित उद्योग प्रोत्साहित करना, सहकारी ढांचे को मजबूत बनाना और इसी प्रकार के अन्य कार्य।

मुख्य कार्यक्रमों की अनुपूर्ति संचार कार्यक्रम द्वारा की जाती है, जिसमें मुख्य सड़कों सम्पर्क सड़कों का निर्माण किया जाता है, ताकि आदिसासी इलाकों को जोड़ा जा सके।

(5) आमतौर पर आदिवासी विकास एजेंसी प्रत्येक कार्यक्रम को 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक आवयश्कताओं के लिए आर्थिक सहायता देती है और शेष 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत को आदिवासी लाभभोगियों से दूसरे संसाधनों, जिनमें ऋण भी शामिल है, से पूरी किए जाने की आशा की जाती है। कुछेक मामलों, जैसे कृषि प्रदर्शन, सार्वजनिक लघु सिंचाई कार्यों और संचार आदि की पूरी लागत नियत उच्चतम सीमा के भीतर एजेंसी की निधियों से पूरी की जाती है।

(6) आदि वासियों की आर्थिक समस्याओं के लिए यथा संभव विस्तृत तथा समन्वित पहुंच अपनाई जाएगी। आदिवासियों के आर्थिक जीवन के विभिन्न पक्षों के बारे में कार्य करने वाली एजेंसियों की बहुलता को रोका जाएगा। प्रत्येक परियोजना का कार्यक्रम उसकी अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं से सम्बद्ध है। अलग-अलग समाजार्थिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रमों में एकरूपता लाने पर बल नहीं दिया जा रहा है। इन परियोजना योजनाओं की विशेष बात यह है कि इनमें पर्याप्त लचीलापन है। ये कृषि और सिंचाई मंत्रालय द्वारा बताए गए मोटे मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप स्थानीय स्तर पर तैयार की जाती है। इन कार्यक्रमों में परिकल्पना की गई है कि उत्पादन प्रक्रिया में आदिवासी लोगों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाये।

(7) आदिवासी विकास एजेंसी कार्यक्रम अतिरिक्त स्वरूप का है और इसका उद्देश्य राज्य सरकार के सामान्य सामुदायिक विकास तथा आदिवासी विकास कार्यक्रमों के अधीन चल रही योजनाओं के लिए मिल रहे सामान्य वित्तिय आबंटन का स्थान लेना नहीं है।

Departmental Enquiry Against Employees of Ministry of Education and Social Welfare

1813. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether in their 9th report (February, 1969) the Central Vigilance Commission have asked for the findings of the departmental enquiry conducted against certain employees of the Ministry of Education and Social Welfare but no report has been sent even after a lapse of a period of four years;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the reasons for submitting it so late and the action taken against the persons responsible therefor ?

Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) & (b) In their Ninth Annual Report (1972-73), the Central Vigilance Commission, *inter alia,* stated ; "on the basis of a Central Bureau of Investigation report, the Commission in February, 1969 had advised initiation of proceedings as for a major penalty against a non-gazetted officer, and had also advised that action against the gazetted officer involved in the same case might await the conclusion of the departmental enquiry against the former. The report of the Departmental Inquiring Authority was still awaited though 4 years had elapsed." The advice of the Commission was acted upon and Departmental proceedings initiated but, because of official pre-occupations, it has not been possible for the Departmental Inquiry Authority, who in this case is also the Disciplinary Authority, to finalise the Departmental proceedings in respect of the non-gazetted officer concerned. The Authority is expected to finalise the case after which the necessary report will be forwarded to the Commission.

(c) Does not arise.

स्वर्ण रेखा संबंधी बाढ़ नियंत्रण योजना

1815. **श्री शंकरनारायण सिंह देव : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा गठित एक तकनीकी समिति ने स्वर्णरेखा बेसिन में एक बाढ़ नियंत्रण योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) योजना किस तिथि को प्रस्तुत की गई और उसकी क्रियान्विति हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा बाढ़ से प्रभावित गांवो के लिए क्या राहत कार्य किये गए ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदारनाथ सिंह): (क) से (ग) सुवर्णरेखा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों के अध्ययन करने और व्यापक स्कीम को अन्तिम रूप देने के लिए अगस्त, 1972 में भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित की गई सुवर्णरेखा समिति में केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के सदस्य

(बाढ़) संयोजक के रूप में तथा बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मुख्य इंजीनियर सदस्य के रूप में शामिल थे। समिति ने अगस्त, 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और एक स्कीम की सिफारिश की थी जिसमें बाढ़ों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के तटबंधों के निर्माण,बिहार सरकार द्वारा तैयार की गई सुवर्णरेखा बहुद्देश्यीय परियोजना में सम्मिलित चांडिल में बांधपर बाढ़ जलाशय की व्यवस्था तथा उड़ीसा में सलजोरी और चितसई नालों के जल-निकास में सुधार करना सम्मिलित हो। इन सिफारिशों पर कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए इस रिपोर्ट को सितम्बर, 1973 में राज्य सरकारों को भेज दिया गया था।

बिहार की राज्य सरकारद्वारा तैयार की गई बहुद्देश्यीय सुवर्णरेखा परियोजना रिपोर्ट जिसमें चांडिल में एक बांध शामिलहै, केन्द्र में प्राप्त हो चुकी है। इसको 29 जनवरी, 1975 को केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री की बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णयों की रोशनी में अन्तिम रूप दिया जाना है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चांडिल में बांध की संचय क्षमता को बढ़ाने की संभावना की जांच करना भी शामिल है।

इस समिति की सिफारिशों पर आधारित तटबंध और जल-निकास स्कीमें अभी तक उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से केन्द्र में प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपायों की व्यवस्था करना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। विभिन्न गांवों म राज्य सरकारों द्वारा हाथ में लिए गए सहायता उपायों का ब्यौरा केन्द्र में प्राप्त नहीं हुआ है।

सहकारी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कुल ऋण की अधिकतम सीमा

1816. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इन्डिया ने देश में सहकारी बेंकों द्वारा दिये जाने वाले कुल ऋण की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और रिजर्व बैंक आफ इन्डिया ने ऋण/अग्रिम राशि की क्या सीमा निश्चित की है ; और

(ग) इस प्रकार के प्रतिबन्ध सहकारी बैंकों के सुचारु कार्यकरण में कहां तक बाधक सिद्ध होंगे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) पता चला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों पर उनके द्वारा अपने संघटकों को दिए जाने वाले कुल ऋणों के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाए हैं।

प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कुल ऋणों की भी कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 जनवरी, 1975 को जारी किए गए एक निदेश के अधीन प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए हैं। इसके अन्तर्गत पहली फरवरी, 1975 को अथवा उसके बाद मंजूर किये जाने वाले

विभिन्न किस्मों के ऋणों, जिनमें पहले दिये जा चुके ऋणों के बकाया भी शामिल होंगे, की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार होगी :—

ऋणों की श्रेणी	निम्न कुल टाइम तथा मांग देयता (टी०डी०एल०) वाले प्राथमिक सहकारी बैंक के मामले में अधिकतम सीमा		
	1 लाख रुपये से कम	1 लाख रुपये अथवा उससे अधिक किन्तु 200 लाख रु० से कम	200 लाख रुपये अथवा अधिक
(क) निदेशक अथवा किसी दूसरी अकेली पार्टी को दिए गए सभी प्रकार के अग्रिम जिनमें प्रतिभूति रहित अग्रिम भी शामिल हैं	5000 रुपये	टी०डी०एल०का 5 प्रतिशत	टी०डी०एल०का 5 प्रतिशत अथवा 10 लाख रुपये जो भी कम हो
(ख) निदेशक अथवा किसी दूसरी अकेली पार्टी को दिए गए प्रतिभूति रहित अग्रिम, जिनमें निर्बन्ध पत्र अथवा बट्टागत मुल्तानी हुंडी तथा क्रय किए गए चैक भी शामिल हैं।	5000 रुपये	5000 रुपये	5000 रुपये
2. (क) सभी निदेशकों को मिलाकर प्रतिभूति रहित अग्रिमों सहित सभी प्रकार का अग्रिम	टी०डी०एल०का 10 प्रतिशत	टी०डी०एल० का 10 प्रतिशत	टी०डी०एल० का 10 प्रतिशत
(ख) सभी निदेशकों को मिलाकर प्रतिभूति रहित अग्रिम	10,000 रुपये	10,000 रुपये	10,000 रुपये
3. समस्त सदस्यों को कुल प्रतिभूति रहित अग्रिम	टी०डी०एल० का 33-1/3 प्रतिशत	टी०डी०एल० का 33-1/3 प्रतिशत	टी०डी०एल० का 33-1/3 प्रतिशत

यह कदम उठाना इसलिए आवश्यक हो गया था कि न तो बैंकों के निदेशकों को प्रतिभूति ऋण मंजूर करने संबंधी उनकी उपविधियों के उपबन्ध एक समान थे और न ही सीमा निर्धारित करने का आधार ही तर्कसंगत था, जिसके परिणामस्वरूप कुछ प्राथमिक सहकारी बैंकों के अग्रिम कुछ ही पार्टियों और निदेशक मण्डलों के सदस्यों के हाथों में संचित हो गए हैं। इसलिए एक प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक द्वारा निदेशक अथवा निदेशकों के ग्रुप और एक पार्टी को दिये जाने वाले कुल ऋणों तथा प्रतिभूति रहित ऋणों के बारे में अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, बैंक द्वारा अपने सभी सदस्यों को कुल मिलाकर दिये जाने वाले प्रतिभूति रहित ऋणों की कुल रकम पर अधिकतम सीमा निर्धारित करना भी आवश्यक समझा गया है। ये प्रतिबन्ध बैंकों का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने में मदद देने के लिए लगाए गए हैं। बैंक यदि कोई विशिष्ट कठिनाई अनुभव करते हैं, तो बैंक द्वारा आवेदन पत्र दिये जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें इस निदेश के किसी अथवा सभी उपबन्धों से छूट दी जा सकती है।

सूखा पीड़ित लोगों को ऋण देने के लिए राज्यों को निर्देश

1817. **श्री के० मालन्ना :**
चौधरी रामप्रकाश :
श्री गजाधर मांझी :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखापीड़ित लोगों को ऋण देने के बारे में राज्यों को केन्द्रीय सरकार ने निर्देश दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गाय, भैंस, पम्पिग सेट केखरीदने और पानी की नालियों का निर्माण करने के लिए वर्ष 1974–75के दौरानविभिन्न राज्यों द्वारा अब तक कितने ऋण दिये गये हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण

1818. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार देश के सभी चीनी मिलों केराष्ट्रीयकरण केबारेमें विचार कर रही है अथवा केवल संकटग्रस्त चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेबपी० शिन्दे): (क) और (ख) क्योंकि चीनी उद्योगके राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है इसलिए फिलहाल यह कहना सम्भव नहीं है कि क्या देश की सभी चीनी मिलोंका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा अथवा केवल रुग्ण चीनी मिलों का ही राष्ट्रीयकरण किया जाएगा।

गुजरात में सूखा राहत कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता

1819. **श्री प्रसन्न भाई मेहता:** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छटे वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित सूखा राहत कार्यों के लिए केन्द्र की इस नीति का गुजरात राज्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है कि राज्यों को सूखा राहत पर व्यय अपनी स्वयं की विकास योजना के भाग के रूप में करना होगा;

(ख) यदि हां, तोक्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से कहा है कि अभूतपूर्व सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए उसे सहायता देने काकोई रास्ता भी निकाला जाये ;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने आयोजना व्यय कटौती करके सूखा राहत कार्यों के लिये इस वर्ष 38 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया हैं ; और

(घ) वर्ष 1975-76 के लिए राहत कार्यों के लिए कुल कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है; और केन्द्र सरकार काक्यासहायता देने काविचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही हैऔर सभापटल पर रख दी जाएगी।

सूखा तथा राहत कार्यों के लिये उड़ीसा सरकार को सहायता

1820. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए वर्ष 1974-75 के दौरान उड़ीसा सरकार ने कोई धनराशि खर्च की है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कुल कितनी धनराशि खर्च की है और मदवार व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उड़ीसा राज्य में सूखा राहत कार्यों पर व्यय करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को कोई सहायता दी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए 31-1-75 तक निम्नलिखित धन राशि व्यय की है :

(लाख रुपये)

(1)	परीक्षण के तौर पर राहत कार्य	189.00
(2)	मुफ्त सहायता	8.12
(3)	माल का परिवहन	0.64
(4)	तकावी ऋण	34.00
	कुल	231.76

(ग) केन्द्रीय सरकार ने 1974-75 के दौरान सूखा राहत कार्यों के लिए उड़ीसा सरकार को 7.91 करोड़ रु० के लिए अग्रिम सहायता के तौर पर स्वीकृत किए हैं।

मिदनापुर जिले के बाढ़ और सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सहायता

1821. श्री समर गुह : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल को 1974 में मिदनापुर जिले के बाढ़ और सूखे से प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास और विभिन्न राहत कार्य पुनः शुरू करने के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ;

(ख) क्या यह राशि पश्चिमी बंगाल सरकार निकाल चुकी है ; और यदि हां, तो क्या यह राशि मिदनापुर जिले पर खर्च की गई है और यदि नहीं, तो क्या ऐसी केन्द्रीय राशि के अन्य कार्यों पर खर्च की अनुमति है ;

(ग) क्या बैंकों से ली गई छोटी पूंजी से कार्य करने वाले अधिकांश ठेकेदारों को राज्य सरकार द्वारा 1974 में ऐसे बाढ़ तथा सूखा राहत कार्य के लिए उनको देय भुगतान नहीं दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इससे 300 छोटे ठेकेदारों और 50,000 मजदूरों के बेरोजगार हो जाने की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकार को यह कहने का है कि वह मिदनापुर के ठेकेदारों को देय राशि का भुगतान करें ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभापटल पर रख दी जाएगी।

बैजनाथ हायर सेकेन्डरी स्कूल, नई दिल्ली के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि

1822. **श्री धनशाह प्रधान :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैजनाथ हायर सैकेण्डरी स्कूल, ईश्वर नगर, नई दिल्ली के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अनेक वर्षों से वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जा रही है ;

(ख) क्या उक्त स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा उन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के विरुद्ध दमनकारी और परेशान करने वाली कार्यवाहियां की जाती हैं ;

(ग) क्या उक्त स्कूल के प्रिंसिपल ने विद्यार्थियों द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पिटाई तक करवाई ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की शीघ्र जांच कराने और उक्त प्रिंसिपल के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार स्कूल के चतुर्थ श्रेणी के कुछ कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान करने में कुछ कार्यवाही सम्बन्धी देरी हो गई थी। इन मामलों को अब नियमित कर दिया गया है तथा अगस्त, 1974 में बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दुधारू पशुओं का निर्यात

1823. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारत के अन्य भागों को प्रतिवर्ष कितने दुधारु पशुओं का निर्यात किया जाता है ;

(ख) जिन स्थानों पर ये पशु ले जाये जाते हैं, वहां, विशेषकर, बम्बई और कलकत्ता में ये पशु कितने वर्ष दूध देते हैं ;

(ग) उन पशुओं के कितने प्रतिशत बच्चे जीते हैं और चार वर्ष या इससे अधिक की उम्र तक पहुंचते हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने इन पशुओं के निर्यात-स्थानों का रिकार्ड नहीं रखा है और अच्छी किस्म के दुधारु पशुओ और बच्चों को नष्ट होने दिया है यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

खाद्यान्न का अभाव

1824. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन ने भारत में खाद्यान्न के गम्भीर संकट की आशंका व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) विश्व खाद्य सम्मेलन के लिये तैयार किये गये 'एसेसमेंट आफ द वर्ल्ड फूड सिचुएशन–प्रेजेंटएण्ड फयूचर नामक पत्रक में किये गये अग्रिम मूल्यांकन में यह उल्लेख किया गया है कि खाद्यान्नों की सप्लाई तथा मांग की वर्तमान प्रवृत्ति 1985 तक जारी रहेगी यदि इस नीति में कोई मुख्य परिवर्तन न किया जाए तो अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य स्थिति में गम्भीर असंतुलन हो सकता है । वर्ष 1985 तक विकासशील देशों में खाद्यान्नो की कमी लगभग 850 लाख मीटरी टन तक बढ़ने की सम्भावना है, जबकि वर्ष 1969-72 में निवल आयात को केवल 160 लाख मीटरी टन की कमी थी । इस पत्रक में यह भी उल्लेख किया गया है कि गत प्रवृत्तियों को ध्यन में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि विकासशील देश अनुमान से अधिक खाद्यान्न उगा सकते हैं तथा 'वर्ल्ड फूड प्रोब्लेम–प्रोपोजल फार नेशनल एण्ड इन्टरनेशनल एक्शन' नामक दूसरे पत्रक में उत्पादन की अधिक क्षमता प्राप्त करने के लिये कुछ आवश्यक कार्यकारी कार्यक्रमो पर भी प्रकाश डाला गया है । इस पत्रक में इस सम्बन्ध में भारत का कोई विशेष हवाला नहीं दिया गया है, लेकिन भारत सुदूर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आता है अतः भारत में भी मांग और सप्लाई के बीच असंतुलन का अनुमान लगाया गया है ।

(ख) भारत सरकार इस समस्या से अवगत है और पंचम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिये उल्लिखित कदमों पर कार्यवाही की जा रही है ।

उर्वरकों की सीमित उपलब्धि के अन्तर्गत कृषि उत्पादन बढ़ान के बारे में गोष्ठी

1825. श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांड : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों की सीमित उपलब्धि के अन्तर्गत कृषि उत्पादन को अधिकाधिक बढ़ाने के बारे में नई दिल्ली में एक गोष्ठी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार का क्या निर्णय है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) भारतीय उर्वरक संघ ने (जोकि उर्वरकों के देशी विनिर्माताओं का एक प्राइवेट संघ है) इस विषय पर एक विचार-गोष्ठी आयोजित की थी । खाद्य तथा कृषि संगठन ने भी इस विचार-गोष्ठी को सहयोग प्रदान किया था ।

(ख) विचार-गोष्ठी के निष्कर्षों और सिफारिशों की एक सूची संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—9059/75]** भारतीय उर्वरक संघ ने इन सिफारिशों को सम्बन्धित सरकारी तथा अन्य एजन्सियों को भेजा है। कोई निर्णय लेने से पहले इनकी विभिन्न सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा इनकी विस्तृत रूप मे जांच की जाएगी।

खरीफ फसल की वसूली

1826. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री समर मुखर्जी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1975 तक राज्य सरकारों द्वारा खरीफ फसल के खाद्यान्नो की कितनी मात्रा में वसूली की गई;

(ख) क्या वसूली गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बहुत कम रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) और (ख) एक विरण संलग्न है जिसमें चालू खरीफ मौसम, 1974-75 के दौरान 31 जनवरी, 1975 तक राज्यवार खरीफ के अनाजों की आधिप्राप्ति की मात्रा की पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान अधिप्राप्त मात्रा के साथ तुलना की गई है। यदि विदित होगा कि इस वर्ष पिछले वर्ष की उसी अवधि की अपेक्षा चावल की लगभग 3 लाख मीटरी टन और सभी खरीफ अनाजो को 4 लाख मीटरी टन कम अधिप्राप्ति हुई है।

(ग) इस वर्ष 31 जनवरी 1975 तक पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में अधिप्राप्ति के आंकड़ो में लगभग 3 से 4 लाख मीटरी टन का अन्तर होने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी बाद में अधिप्राप्ति प्रारम्भ हुई क्योंकि मौसम की स्थिति अनिश्चित रहने के कारण देश भर में खरीफ की फसल की कटाई देर से प्रारम्भ हुई थी।

(2) नियमित मानसून के दौरान वर्षा के असफल रहने के कारण उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में धान की फसलों को भारी क्षति पहुंची थी।

(3) उत्तर-पूर्वी मानसून के असफल रहने के कारण तमिलनाडु में सम्भा फसल की क्षति, आदि।

विवरण

चालू खरीफ मौसम 1974-75 के दौरान 31 जनवरी, 1975 पिछले वर्ष 1973-74 की उसी अवधि की तुलना में खरीफ के खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति (31 जनवरी, 1975 तक स्थिति)

(आंकड़े हजार मी० टन में)

राज्य	अधिप्राप्ति			1973-74 में उसी अवधि की स्थिति		
	चावल (चावल के हिसाब से धान)	मोटे अनाज	कुल खरीफ के अनाज	चावल	मोटे अनाज	कुल
1. आन्ध्र प्रदेश . .	384	..	384	333		333
2. असम . . .	75	..	75	98	..	98
3. बिहार . . .	28	..	28	24	..	24
4. गुजरात . . .	9	1	10	14	10	24
5. हरियाणा . . .	98	Neg.	198	337	..	337
6. जम्मू तथा कश्मीर . .	24	..	24	38	1	39
7. कर्नाटक . . .	61	3	64	68	Neg.	68
8. केरल . . .	12	..	12	15	..	15
9. मध्य प्रदेश . .	89	81	164	135	4	139
10. महाराष्ट्र . . .	29	59	88	121	101	222
11. उड़ीसा . . .	22	..	22	112		112
12. पंजाब . . .	708	..	708	755	61	816
13. राजस्थान . .	7	1	8	..	25	25
14. तमिलनाडु . .	215	..	215	97	..	97
15. उत्तर प्रदेश . .	190	15	205	246	57	303
16. पश्चिमी बंगाल . .	102	..	102	75		75
17. अन्य . . .	11	..	11	8	..	8
कुल .	2158	160	2318	2476	259	2735

कोसी नदी पर बहु-उद्देशीय उच्च बांध

1827. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री 9 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3776 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोथार के निकट कोसी नदी पर एक बहु उद्देशीय ऊंचा बांध बनाने के लिए नेपाल सरकार की सहमति मांगी गई है और योजना प्राक्कलन, समयावधि, अनुमानित लागत और उससे होने वाले लाभ के बारे में अंतिम निर्णय कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रुई की नयी किस्में

1828. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री पी० गंगादेव :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने रुई की नयी किस्में जारी करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उन्हें कब तक जारी किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, बम्बई कपास के रेशे की क्वालिटी से संबंधित अध्ययन करती है । यह कपास की नयी किस्में रिलीज़ नहीं करती । फिर भी, यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार प्रायोजना को, उसके अंतर्गत विकसित नयी किस्मों/संकर किस्मों के रेशे की क्वालिटी से संबंधित आवश्यक आंकड़े प्रदान करके नयी किस्म रिलीज़ करने में सहायता करता है ।

दिसम्बर, 1974 में कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्वर्ण जयंती के सिलसिले में आयोजित एक विचार गोष्ठी के दौरान औपचारिक रूप से कपास की पांच नयी किस्में रिलीज़ की गयीं । उपर्युक्त पांच किस्मों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :—

1. किस्म "एम सी यू-8" (ई० एल० 0162)	यह हिरसुटम की किस्म है । तमिलनाडु के कम्बोडिया कपास क्षेत्र की सिंचित गर्मी की फसल में एम सी यू-4 किस्म के बदले में उगाने के लिए इसकी सिफारिश की गयी है । इसमें उपज क्षमता अधिक होने के साथ ही डोंडे के गुलाबी कीड़े का रोधी गुण भी है । इसके रेशे की लम्बाई 1-3/32 इंच होती है, जिससे 60 एस काउंट के धागे काते जा सकते हैं। 1973 में राज्य कृषि परिषद ने इसको रिलीज किया था ।

2. किस्म "एस० आर० टी-1"	यह हिरसुटम की किस्म है। 1973 में कपास कार्य-गोष्ठी पैनल ने इसे आशाजनक पाया। 1974 में गुजरात स्टेट ऐग्रो स्को ने इसे रिलीज किया। यह 'दिग्विजय" की अपेक्षा औसतन 27 प्रतिशत से 34 प्र० श० अधिक उपज देती है और उससे 2 महीने पहले तैयार हो जाती है।"दिग्विजय" की अपेक्षा रेशे की क्वालिटी और कताई मान की दृष्टि से अधिक अच्छी है।
3. किस्म "सुवीन"	बहुत लम्बे रेशे वाली बारबैडेंस की किस्म है। जून 1972 में हुई अखिल भारतीय कार्यगोष्ठी में इसे तमिलनाडु के क्षेत्रों के लिए आशाजनक बताया गया। इसका कताई मान प्रयोगशाला की स्थितियों में 122 एस एच० एस०सी० तथा मिल की स्थितियों में 100 एस से 120 एस तक पाया गया। इसे मिस्र से आयातित सर्वोत्तम कपास 'गिजा-45' के समकक्ष माना गया। इसकी उपज-क्षमता 20 से 30 क्विंटल प्रति हैक्टर है। 1974 में इसे विकसित करने के लिए वस्त्र उद्योग ने प्रोत्साहित किया। तमिलनाडु कृषि परिषद द्वारा शीघ्र ही इसे रिलीज़ किये जाने की आशा है।
4. किस्म "आई० ए० एन-579" (188) (विष्णु)	अधिक उपज देने वाली तथा अच्छी क्वालीटी वाली यह हिरसुटम की किस्म कपास अनुसंधान केन्द्र, सूरत में विकसित की गयी थी। इसे 1972 में अखिल भारतीय कार्यगोष्ठी में मान्यता मिली। 1973 में गुजरात स्टेट ऐग्रेस्को ने इसे रिलीज किया।" "देविराज" किस्म की प्रति हैक्टर 1672 किलो० उपज की तुलना में इसकी औसत उपज 1979 किलो प्रति हैक्टर मिली। कताई क्वालिटी (गुण) में यह 'देविराज' से लगभग 20 काउंट से आगे है।
5. ज्योति (सी सी 1-1-3)	आरबोरियम की यह किस्म कपास अनुसंधान केन्द्र जलगांव में विकसित की गयी। 1973 में कपास कार्य-गोष्ठी में महाराष्ट्र के खांदेश क्षेत्र में "वाई-1" किस्म के स्थान पर उगाने के लिए रिलीज करने के निमित्त इसे मान्यता दी गई। 1973 में महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ ऐग्रेस्को ने इसे अनुमोदित किया।"वाई-1" किस्म के प्रति हैक्टर 459 किलो उपज की तुलना में इसकी औसत उपज प्रति हैक्टर 515 किलो मिली। किलो में इसका कताई मान भी बेहतर (32 एस०एच०एस०सी०) पाया गया।

कर्नाटक में छोटे समेकित मत्स्य बन्दरगाहों के लिए केन्द्रीय सहायता

1829. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक राज्य में छोटे समेकित मत्स्य बन्दरगाहों की स्थापना संबंधी एक योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने हाल में कर्नाटक के बन्दरगाहों का दौरा करने के लिये एक दल भेजा है और इस बारे में विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) विश्व बैंक के विशेषज्ञों के एक दल ने भारत सरकार के अनुरोध पर नवम्बर, दिसम्बर 1974 के दौरान, पर्यवेक्षी दल के तौर पर कर्नाटक तथा भारत के अन्य राज्यों में समेकित मत्स्यकी के विकास के लिये सम्भाव्य क्षेत्रों का दौरा किया था। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की है।

Supply of Sugarcane to Sugar Mills

1830. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether adequate quantity of sugarcane was not supplied to sugar mills in the country by the cane growers during current season as the prices of sugarcane have not been increased;

(b) if so, the extent to which the sugar production has been adversely affected and is going to be affected in furture ; and

(c) whether Government are reconsidering the question of increasing the prices of sugarcane ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) No, Sir. In fact, the total production of sugar upto the 15th February, 1976 has registered an increase of about 4.00 lakh tonnes over the production during the corresponding period of the last season.

(c) No, Sir.

भूमि उपयोग समिति आयोग का प्रतिवेदन

1831. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि उपयोग समिति आयोग ने इस बीच अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) प्रारम्भिक समिति की मुख्य सिफारिशें ये हैं :—

(1) भारत सरकार एक केन्द्रीय भूमि उपयोग आयोग स्थापित करे। भारत में भूमि व्यवस्था की समस्याओं पर सतत निगरानी रखना और यह सुनिश्चित करना कि

5—12 LSS/ND/75

उन पर हर स्तर पर पर्याप्त ध्यान दिया जाये, इस आयोग का उत्तरदायित्व हो। यह आयोग देश को भूमि और भू-संसाधनों के निर्धारण और व्यवस्था से सम्बन्धित सभी मामलों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए उच्चतम निकाय का काम करेगा।

(2) दीर्घकालीन कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय सरकार के लिए यह उचित होगा कि वह भूमि और भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में या तो संविधान के अनुच्छेद 368 का संशोधन करके इस विषय को समवर्ती सूची में रखकर या अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत राज्यों की स्वीकृति प्राप्त करके संसद को इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम बना कर सांविधिक अधिकार प्राप्त कर ले।

(3) राज्य सरकारों को सलाह दी जाये कि वे भूमि उपयोग बोर्ड स्थापित करें जिन्हें यथा-सम्भव सर्वोत्तम विधि से भूमि और भूमि संसाधनों का निर्धारण और व्यवस्था करने का अधिकार हो।

(ग) प्रारम्भिक समिति की रिपोर्ट पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जातियों/जनजातियों को अलाट किए गए प्लाट

1832. **श्री राज देव सिंह :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जातियों/जनजातियों को कितने प्लाट अलाट किये गये ;

(ख) उसकी प्रतिशतता कितनी है तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार इसे अनुसूचित प्राप्त स्तर तक कैसे लाने का है ; और

(ग) इस श्रेणी को कितने वाणिज्यिक प्लाट तथा दुकानें अलाट की गयी तथा उसकी प्रतिशतता कितनी है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क), (ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय हाकी संघ के आरोपों की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने की मांग

1833. **श्री निम्बालकर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष ने भारतीय हाकी संघ के आरोपों की जांच करने के लिए एक व्यक्तिवाला आयोग नियुक्त करने के बारे में सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) सरकार ने, अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद के विचार-विमर्श से भारतीय ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष से प्राप्त हुए पत्र की सावधानीपूर्वक जांच की है और इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि भारतीय हाकी संघ के पदाधिकारियों का चुनाव संघ के

प्रतिद्वन्दी दलों के बीच सम्पन्न हुए करार के ठीक अनुसार ही हुआ है और इस स्तर पर मामले पर फिर से विचार करना हाकी के खेल के व्यापक हित में नहीं होगा । आशा है कि संघ सभी सदस्य संघों से यह अनुरोध कर सकेगा कि खेल की उन्नति के हित में अपना पूरा सहयोग दें । सरकार, संघ को सभी आवश्यक सहयता प्रदान करेगी ।

संसदीय सौध का निर्माण

1834. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसदीय सौध तथा लोक सभा एवं राज्य सभा के स्वागत कार्यालयों के लिये क्रमश: दो नई ईमारतों के निर्माण पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ;

(ख) उनके पूर्ण निर्माण पर कुल कितना व्यय किया जाना है ;

(ग) इनका निर्माण कार्य इस समय किस अवस्था पर है ; और

(घ) इनके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया): (क) 2,81,29,758 रुपये ।

(ख) लगभग 3,37,60,000 रुपये ।

(ग) प्लाट नं० 114 पर संसद सचिवालय विस्तार भवन का तथा प्लाट नं० 118 पर स्वागतकक्ष और विद्युत उप-घर का संरचना सम्बन्धी कार्य पूर्ण हो गया है । कतिपय अन्य कार्य जसे विद्युत वातानुकूलन तथा उद्यान-कार्य पूर्ण होने वाले हैं ।

(घ) संसद सचिवालय विस्तार भवन के जून, 1975 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है । स्वागत कक्ष तथा विद्युत उप-घर का निर्माण कार्य मार्च, 1975 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

Jhuggi-Jhonpris in Delhi

1835. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the total number of Jhuggi-Jhonpris in Delhi and the places where they are located ;

(b) whether some of the inhabitants there have been given lease rights or are proposed to be given such rights ; and

(c) if so, the facts there of ?

The Minister of Works & Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghu Ramiah) : (a) According to a study made by the Town and Country Planning Organisation there are 1,41,755 Jhuggies in 1373 settlements. These are spread over the Walled City, West Delhi, North and North West Delhi, New Delhi and South Delhi, East Delhi (Trans-Jamuna area) and Rural Delhi.

(b) No, Sir.

(c) The question does not arise.

हरियाणा राज्य में बड़ी सिंचाई परियोजनाएं

1836. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा राज्य में उन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : हरियाणा को पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

पटियाला में बहुद्देशीय पशु वंश का विकास

1837. **श्री एन० ई० होरो** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटियाला में भारत-स्विझजरलैंड पशु विकास परियोजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत विदेशी रक्त वाले एवं बहुद्देशीय पशु वंश का विकास किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) पटियाला फार्म में 50 प्रतिशत विदेशी-ब्राऊन-स्विस ब्रीड का विकास किया गया है । 50 प्रतिशत विदेशी पशुओं के मेल से एक नई नस्ल को विकसित किया गया है । भावी प्रजनन हेतु अंतर-प्रजनन का कार्य भी किया जाएगा । देशी नस्लों में हरियाणा मादा नस्ल को चुना गया है जिसका संकर प्रजनन ब्राऊन-स्विस नर नस्ल, ब्राउन-स्विस साही वाले नस्लों के संग किया जाएगा ।

कावेरी जल-विवाद की समस्या

1838. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी जल-विवाद की समस्या को हल करने के लिए कावेरी घाटी प्राधिकरण की स्थापना के बारे में एक प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक राज्य सरकार इस प्राधिकरण को सांविधिक अधिकार देने के पक्ष में नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) से (ग) कावेरी जल के उपयोग में की जाने वाली किफायत का प्रबोधन तथा जल सप्लाई का नियमन करने के हेतु कावेरी घाटी प्राधिकरण की स्थापना करने पर 28 और 29 नवम्बर, 1974 को हुई अन्तर्राज्यीय बैठक में मतैक्य हो गया था । 15 और 16 फरवरी 1975 को हुई अन्य अन्तर्राज्यीय बैठक में इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया । इस बैठक में किसी सर्वमान्य हल पर नहीं पहुंचा जा सका । बहरहाल, व्यक्त किए गए विचारों के रौशनी में इस जटिल समस्या को मैत्रीपूण ढ़ंग से हल करने के लिए और प्रयास करने का इरादा है ।

पश्चिमी बंगाल में चावल की वसूली का लक्ष्य

1839. **श्री रानेन सेन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में चावल की वसूली संबंधी लक्ष्य क्या है और अब तक कितने चावल की वसूली हुई है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम अनेकों नये एजेन्ट नियुक्त करने के बावजूद भी धान की नाममात्र की मात्रा की ही वसूली कर सका है; और

(ग) यदि हां, तो इस असफलता के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पश्चिमी बंगाल का चालू खरीफ मौसम 1974-75 के लिए चावल की अधिप्राप्ति का लक्ष्य 5 लाख मी० टन है जिसमें से 25 फरवरी, 1975 तक 1.43 लाख मी० टन (चावल के हिसाब से धान सहित) अधिप्राप्त किया गया था ।

(ख) जी नहीं, 25 फरवरी, 1975 तक, पश्चिमी बंगाल में 1.14 लाख मी० टन से अधिक धान की अधिप्राप्ति की गयी थी । यह अधिप्राप्ति पिछले वर्ष की उसी अवधि की 1.09 लाख मी० टन की अधिप्राप्ति से अधिक ही है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों को जाना

1840. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1961-71 दशक के दौरान बड़े शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों से इतनी बड़ी संख्या में लोगों के शहरी क्षेत्रों को आने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) 1961-71 के दौरान 100,000 और इस के ऊपर की जन संख्या वाले नगरों की जनसंख्या में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

(ख) स्थानान्तरण की इस प्रवृत्ति का सामान्य सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित कारण मालूम हुए :—

(i) बड़े शहरों में नौकरी के अच्छे अवसर ।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में अपूर्ण रोजगारी तथा बेरोजगारी ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को बड़े शहरों के लिये बृहत योजनाएं तैयार करने के लिये सहायता प्रदान की थी ताकि उन की और वृद्धि को सीमित रखा जा सके तथा बड़े शहरों के इर्दगिर्द के क्षेत्रों के लिये विकास योजनाएं बनाई जा सकें । राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे बड़े शहरों में उद्योगों तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि पर रोक लगाने हेतु उपायों को अपनाएं और ऐसी गतिविधियों को राज्य के भीतर अन्य विकासशील क्षेत्रों की दिशा की ओर मोड़ दें ।

पांचवीं पंच वर्षीय योजना के मसौदे में केन्द्रीय क्षेत्र में नगरीय विकास की एकीकृत योजना आरम्भ की गई है, ताकि नगरों तथा उप नगरों की जिस में महानगरों के इर्दगिर्द के क्षेत्र शामिल हैं, बृहत योजनाओं पर आधारित नगर विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की सहायता की जा सके राष्ट्रीय नगरीकरण नीति बनाने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ।

भारत एवं अमरीका तथा भारत एवं रूस के बीच शैक्षिक सुविधायें

1841. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में भारत एवं अमरीका और भारत एवं रुस के बीच सुविधाओं को सुधारने के लिये अब तक क्या उपाय किये गये है अथवा किये जाने हैं ;

(ख) ग्रामीण जनसंख्या पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है अर्थात् अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की ग्रामीण जनसंख्या को इस योजना से अपनी शिक्षा समस्याओं के बारे में कहां तक लाभ पहुंचा है ; और

(ग) भारत सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत 1973-74 के दौरान अमरीका और रूस के लिये शिक्षा सुविधाओं के लिये अलग-अलग क्या व्यय किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) अमरीका ।

शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में भारत तथा अमरिका के अध्येताओं के लिए बहुत से अनुमोदित कार्यक्रमों में सुविधाओं प्रदान की गयी हैं । इनमें से कुछ इस प्रकार है :—

(i) भारतीय अध्ययन कार्यक्रम का अमरीकी संस्थान, जिसमें अमरीकी राष्ट्रिकों के लिए अध्ययन और अनुसंधान की व्यवस्था है ।

(ii) फुलब्राइट कार्यक्रम, जिसमें भारत में अमरीकी राष्ट्रिकों तथा अमरीका में भारतीय राष्ट्रिकों के लिए अध्ययन और अनुसंधान की व्यवस्था है ।

(iii) भारत सरकार छात्रवृत्ति कार्यक्रम जिसमें अमरीका में भारतीय राष्ट्रिकों के लिए अध्ययन और अनुसंधान की व्यवस्था है ।

(iv) भारत-अमरीकी पाठ्यपुस्तक कार्यक्रम, जिसमें अमरीकी पुस्तकों के सस्ते संस्करण प्रकाशित करने की व्यवस्था है ।

शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी भारत-अमरीकी उप-आयोग की एक बैठक हाल ही में 3 से 5 फरवरी, 1975 तक नई दिल्ली में हुई थी । शिक्षा, कला और संस्कृति तथा सूचना एवं शिक्षा के जन साधनों के क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रमों के संबंध में सहमति हो गई थी । उप-आयोग ने, वर्तमान व्यवस्था के अलावा, छात्रवृत्तियों और आगन्तुकों के, एक सरकार से दूसरी सरकार के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रस्ताव की भी सिफारिश की थी उप-आयोग की सिफारिशों पर भारत-अमरीकी संयुक्त-आयोग द्वारा विचार किया जायगा ।

सोवियत रुस :

भारत तथा सोवियत रूस के बीच फरवरी, 1960 में एक सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे उक्त करार के अनुसरण में, प्रत्येक दो वर्षों में द्विपक्षीय कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं इन सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों में, प्रोफेसरों, विशेषज्ञों, कलाकारों, लेखकों, खिलाडीयों, पत्रकारों आदि के आदान-प्रदान के जरिए शिक्षा, कला और संस्कृति, खल रेडिओ, टेलीविजन, प्रेस फिल्मों आदि के क्षेत्र में आदान-प्रदानों और सहयोग तथा एक दूसरे देश के राष्ट्रिकों को छात्रवृत्ति यों प्रदान करने की व्यवस्था है इन कायक्रमों में प्रदर्शनियों, प्रकाशनों, रेडियो और टेलीविजन-सूचना सामग्री के आदान-प्रदान तथा एक दूसरे देश के फिल्म समारोहों को आयोजित करने की व्यवस्था है ।

(ख) इन कायक्रमों से सारे देश को लाभ हुआ है जहां तक छात्रवृत्तियों का संबंध है, अन्य बातें समान रहने पर पिछड़े क्षेत्रों और/अथवा पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को तरजीह दी जाती है यह बात अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सदस्यों पर विशेषरूप से लागू होती है।

(ग) सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत आदान-प्रदान की सामान्य पद्धति के अनुसार, भेजने वाला देश उनके द्वारा प्रायोजित व्यक्तियों का अन्तर-राष्ट्रीय यात्रा का खर्च वहन करता है तथा प्राप्त करने वाला देश स्थानीय आतिथ्य का खर्च वहन करता है। जहां तक छात्रवृत्तियों के खर्च का संबंध है, वर्ष 1973-74 के दौरान उन भारतीय छात्रों पर लगभग 69,000 रुपये की राशि खर्च की गयी थी, जो उच्च अध्ययन के लिये सोवियत रूस में गये थे तथा लगभग 40,000 रुपये की धनराशि उन रूसी छात्रों पर खर्च की गयी थी, जो उसी अवधि के दौरान भारत आये थे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के आबंटन के बारे में सरकारी कर्मचारीयों को रियायत

1842. श्री झारखण्डे राय : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लटों के आबंटन के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों को कौनसी रियायतें दी गयी हैं ; और

(ख) क्या सरकार का गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में अन्य वेतन भोगी कर्मचारियों को भी ये सुविधायें देने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघरामैया) : (क) तथा (ख) 50 प्रतिशत फ्लेट किराया-खरीद आधार पर तथा शेष 50 प्र०श० नकद भुगतान के आधार पर आबंटित किए जाते हैं केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिमों पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधो के परिणाम स्वरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कर्मचारियों को ईस श्रेणी की फ्लैटों का किमत का भुगतान किस्तों में अदा करने की अनुकती द दी है। यद्यपि यह छूट सरकारी उपक्रमों तथा स्थानिक निकायों के उन सभी कर्मचारियों को अनुदेय है जो कि केन्द्रिय सरकार द्वारा लगाए गए ईसी प्रकार के प्रतिबन्धो के अन्तर्गत आते है किन्तु यह छूट ऐसे सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्रों के कर्मचारियों पर लागू नहीं है जो इस प्रकार के प्रतिबन्धों से प्रभावित नहीं है।

बंगलोर के मुर्गीपालन फार्म में रानीखेत बीमारी

1843. श्री मधु दंडवते : क्या कृषि और सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० वी० आर० आई० के निदेशक बंगलौर में मुर्गीपालन फार्मों में व्याप्त रानीखेत बीमारी के बारे में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर के कर्नाटक सरकार के मुर्गीपालन विभाग को सूचित करने में असफल रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार/आई० वी० आर० आई० द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं, यद्यपि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अन्तर्गत बंगलौर में खुरपका और मुंहपका रोग का टीका तैयार करने का केवल एक केन्द्र है, परन्तु राज्य के पशुपालन

विभाग और कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर में अच्छे मुर्गी अनुसंधान और विकास युनिट हैं ।

(ख) उपर्युक्त (क) के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है । पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान को एक 'तार' प्राप्त हुआ था जिसे एक निजी फार्म ने भेजा था । इस 'तार' में टीके की क्षमता के नष्ट होने का संदेह व्यक्त किया गया था ।

(ग) रानीखेत बीमारी के टीके की क्षमता की बराबर जांच की जाती है । उक्त निजी फार्म से उपर्युक्त सामग्री, जिसमें अन्वेषण के लिए पक्षियों का सीरम सम्मिलित है, भेजने का अनुरोध किया गया था ।

Damage Caused Due to Erosion By Ganga River

1844. **Shri G. P. Yadav :** Will the Ministery of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether large-scale damage is caused due to erosion by the Ganga river in the districts of Begusarai, Khargaria, North Bhagalpur and Katihar in Bihar every year at the time of floods ; and

(b) if so, whether Government propose to formulate a scheme to save the above areas from erosion by the Ganga ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri K. N. Singh) : (a) Erosion occurs on both banks of the Ganga in Bihar State every year causing damage to crops and property on the land eroded. The places of erosion and its magnitute vary from year to year.

(b) Erosion is continuing process in an alluvial river like the Ganga and is due to a number of factors such as the discharge, sediment load, slope of the river etc. These vary along the length of the river and from time to time and on this account the places and magnitude of erosion cannot be predicted. Formulation of an overall scheme for protection against erosion is therefore not feasible. Further anti-erosion measures are very costly both in initial costs as well as in maintenance and can be economically justified only when protection of large assets, important towns and vital communications are involved. Keeping this in view, schemes are prepared and implemented by the State Government of Bihar from time to time. The important schemes which have been planned or implemented by the State Government during 1974-75 for protection against erosion are as follows :—

(1) Scheme for protection of areas on the left bank of the Ganga in the vicinity of Mansi is estimated to cost about Rupees three crores. This is proposed to be implemented substantially before the floods of 1975.

(2) Anti erosion measures in the Ghoghri Parvatta area of Khagaria sub-division for the protection of the Ghoghri Narainpur embankment costing Rs. 12.55 lakhs have been implemented.

दिल्ली स्कूल टीचर्स को आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड का संशोधन "ले-आउट" प्लान

1845. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री 2 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2734 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड की प्रबन्ध समिति ने संशोधित 'ले आउट' प्लान प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्लान के अनुसार विभिन्न मापों के कितने प्लाट काटे जाने हैं ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, नहीं ।

(क) तथा (ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए केरल और कर्नाटक को केन्द्रीय सहायता

1846. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल तथा कर्नाटक राज्य सरकारों को 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 (अद्यतन) के दौरान वहां मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिये कितनी तुलनात्मक सहायता दी गयी ; और

(ख) कर्नाटक सरकार को पर्याप्त सहायता न देने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) एक विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण

राज्य/वर्ष	विकास के लिये निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता की राशि (लाख रुपये)	
	केरल	कर्नाटक
1. मछली पालकों की विकास एजेंसिया :		
1972-73	कुछ नहीं	कुछ नहीं
1973-74	कुछ नहीं	1.05
1974-75	कुछ नहीं	4.41
2. छोटे बन्दरगाहों पर जहाजों के ठहरने और माल उतारने की सुविधायें		
1972-73	29.14	1.96
1973-74	28.87	6.33
1974-75	कुछ नहीं	कुछ नहीं (प्रस्तावित धन 14 लाख रुपये)

(ख) मात्स्यकी सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए सहायता दी जाती है । कर्नाटक राज्य ने उन मदों पर जिनके लिए केन्द्रीय सहायता मिल सकती थी, की तुलना में कम रुपये व्यय किया था । अतः उसे केन्द्रीय सहायता कम मिल सकी । इस समय, छोटे बन्दरगाहों पर जहाजों के ठहरने और माल उतारने की सुविधाओं के सम्बन्ध में ज़ारी की गई प्रशासनिक स्वीकृतियों में से कर्नाटक के लिये 47.70 लाख रुपये और केरल के लिये 12.94 लाख रुपये की राशि बची हुई है । इसके अतिरिक्त, 217 लाख रुपये की लागत की मालपे मात्स्य की बन्दरगाह के लिए भी स्वीकृति प्राप्त होनी है ।

धान्य उत्पादकों को बोनस

1847. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में धान उत्पादकों को बोनस देने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ;

(ग) क्या अधिकतर राज्य इस प्रस्ताव पर सहमत हो गये है ; और

(घ) क्या पंजाब सरकार ने बोनस पहले ही दे दिया है ?

कृषि और सिंचाई मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) राज्य सरकारों को बोनस देने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है। इस योजना के अधीन, यह बोनस धान उत्पादकों को दिया जाएगा।

(घ) जी नहीं।

लेवी चीनी और खुले बाजार में बेची जाने वाली गैर लेवी चीनी का अनुपात निर्धारित करना

1848. **श्री मधु लिमये :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लेवी चीनी और खुले बाजार में बेची जाने वाली गैर-लेवी चीनी का अनुपात निश्चित करने के बारे में अपनी नीति पुनर्निधारित की हैं ;

(ख) क्या चीनी मिल मालिकों के दबाव पर खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी को 5 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है ;

(ग) क्या चीनी मिल मालिकों ने लेवी चीनी के मूल्यों में वृद्धि करने के बदले जिसकी वे पहले जोर-शोर से मांग कर रहे थे, चीनी के अनुपात में उक्त परिवर्तन करने का सुझाव दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा परिवर्तन करने के क्या मुख्य कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी, हां।

(क) और (ग) जी, नहीं।

(घ) देश में लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य को बिना किसी परिवर्तन के बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया था।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की छटनी

1849. **श्री पी० के० देव :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने हाल ही में विभिन्न प्रदेशों में अपने कर्मचारियो और मजदूरों की छटनी की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और इस प्रकार कितने व्यक्तियों की (वर्ग-वार) छंटनी की गई है ; और

(ग) क्या सरकार ने उन्हें कहीं अन्य काम पर लगाने का कोई प्रयास किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) स्टाक की कम उपलब्धता होने के कारण तथा उसके परिणामस्वरूप गोदाम क्षमता के कम इस्तेमाल होने से निगम ने गोदामों की आवश्यकताओं का जायज़ा लेने के लिए और जिस क्षमता की कोई आवश्यकता नहीं थी उसको छोड़ने के लिए समीक्षा की थी। किराये की गोदाम क्षमता को छोड़ने के परिणामस्वरूप, भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भाण्डागार निगम और पश्चिमी बंगाल राज्य भाण्डागार निगम के कुल 887 कर्मचारी फालतू हो गए और उनको निकाल दिया गया था। इन निकाले गये कर्मचारियों में से, 386 कर्मचारी भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी थे। भारतीय खाद्य निगम के स्टाफ के किसी भी सदस्य को नौकरी से नहीं निकाला गया है।

भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्ध ने भारतीय खाद्य निगम से निकाले गए 325 से 350 कर्मचारियों को मानवीय आधार पर वापिस लेने की पेशकश की है बशर्ते कि, भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ, कलकत्ता यह समझौता करता है कि वह डिपों में औद्योगिक शान्ति और अनुशासन कायम रखेगा।

भारतीय खाद्य निगम के ऊपरी खर्च को कम करना

1850. **श्री एम० बी० कृष्णप्पा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के भण्डारण और उसके लाने ले जाने पर होने वाले खर्च में कमी करने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए नियुक्त समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को सरकार ने क्रियान्वित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने समिति की कुछेक सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है और अन्य कई सिफारिशें कार्यान्वित की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

जल्दी उगने वाली किस्मों के पौधों का लगाया जाना

1851. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री जल्दी उगने वाली किस्मों के पौधों के लगाये जाने के बारे में 18 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 903 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना अवधि के वर्षों के दौरान जल्दी उगने वाली किस्मों के पौधे लगाने सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष-वार अब तक कितनी राशि मंजूर की गई; और

(ख) इस योजना के अधीन उक्त अवधि के दौरान राज्य वार कितनी धनराशि नियत की गई और कितना खर्च हुआ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) अतारांकित प्रश्न संख्या 903 में गत 3 वर्षों की सूचना मांगी गई थी। यह संलग्न विवरण में दी गई है।

अब सम्पूर्ण योजना अवधि के लिए मांगी गई सूचना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

जल्दी उगनें वाली किस्मों के पौधें रोपण संबंधी सूचना

(लाख रुपयों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	किया गया अबंटन			किया गया व्यय		
	1971-72	1972-73	1973-74	1971-72	1972-73	1973-74
1	2	3	4	5	6	7
राज्य						
आन्ध्र प्रदेश	16.81	16.95	16.47	16.82	17.32	16.47
असम	11.40	13.75	14.00	11.41	13.62	13.96
बिहार	21.50	20.16	18.35	20.50	20,16	18.35
गुजरात .	12.54	14.06	17.59	12.62	14.36	17.26
हरियाणा	2.66	3.00	1.50	2.64	1 42	1.49
हिमाचल प्रदेश	13.44	41.38	67.71	13.44	41.44	67.01
जम्मू व कश्मीर	2.25	5.75	6.60	1.58	4.63	5.66
केरल .	15.00	30.00	30.00	15.08	20.00	21.99
मध्य प्रदेश .	39.50	42.22	40.00	35.57	45.07	43.74
महाराष्ट्र	8.25	8.00	4.73	7.25	4.80	4.19
मणिपुर					..	..
मेघालय	0.33	0.33	1.46	0.24	0.33	1.18
कर्नाटक	6.00	24.65	41.00	3.70	19.86	31.30
नागालैंड	2.68	3.75	2.11	1.70	2.74	1.56
उड़ीसा .	18.00	20.70	21.15	16.45	18.32	19.35
पंजाब .	10.22	14.98	11.53	10.17	14.99	11.52
राजस्थान					..	
तमिलनाडु .	10.86	13.26	21.42	16.78	25.45	28.06
त्रिपुरा						..
उत्तर प्रदेश . .	94.34	95.00	100.00	98.74	92.33	103.03
पश्चिमी बंगाल . .	10.85	5.01	3.83	10.68	4.63	3.49

(लाख रुपयों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	किया गया आवंटन			किया गया व्यय		
	1971-72	1972-73	1973-74	1971-72	1972-73	1973-74
1	2	3	4	5	6	7
संघ राज्य क्षेत्र						
अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह						
अरुणाचल प्रदेश .	..					
दादरा तथा नगर हवेली				..		
दिल्ली . .						
गोवा, दमन तथा दीव			..			..
मिजोरम . .	..	..	0.30	..	..	0.32
चण्डीगढ़ . .	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
अखिल भारत .	297.03	373.35	420.15	295.17	361.87	410.33

Increase in Quota by D. D. A. of Flats for S. C. and S. T.

1852. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Works & Housing** be pleaed to state :

(a) whether Delhi Development Authority have raised the quota of flats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes from 15 per cent to 25 per cent;

(b) if so, the conditions on which these flats will be given to them ; and

(c) whether flats will only be allotted keeping in view the financial capacity of these castes or they would be allotted to every applicant from these castes ?

The Minister of Works & Housing and Parliamentary Affairs (Shri Raghu Ramiah) : (a) Yes, Sir. The enhanced reservation to 25% is, however, confined only to "Janta" and "Community Services Personnel" categories of flats.

(b) The persons concerned are required to get themselves registered with the DDA in advance registration schemes. The flats are allotted to persons so registered by draw of lots.

(c) These flats will be allotted only to those who have income within the limits prescribed for the scheme.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन रिहायशी आवास को कार्यालय के उपयोग के लिये किराये पर दिया जाना

1853. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन कुछ रिहायशी आवासों को कार्यालय के रूप में उपयोग के लिए किराये पर दे दिया है ;

(ख) क्या सरकारी उपक्रमों ने रिहायशी आवासों को कार्यालय के उपयोग के लिए किराये पर लिए हैं ; और

(ग) यदि हां, तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) कुछ गैर-सरकारी रिहायशी भवनों को कार्यालय उपयोग हेतु किराये पर दिया गया है ।

(ख) तथा (ग) सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा रिहायशी क्षेत्रों में कई मकान कार्यालय उपयोग हेतु किराये पर लिये गये है । जिन मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण की, विशेष अपील द्वारा स्वीकृति के बगैर ऐसा किया गया है, उन मामलों में मालिकों तथा किरायेदारों पर दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 29(2) के साथ पठित धारा 14 के अधीन मुकदमा चलाया जाता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का मनाया जाना

1854. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के समारोह के एक अंश के रूप मेंसरकार ने कौन-कौनसे कार्यक्रम बनाये हैं; और

(ख) क्या इनके अन्तर्गत आदिवासी महिलाओं के लाभ के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष को मनाने के लिए अभी तक निम्नलिखित कार्यक्रम तैयार किये गये हैं : —

(1) शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं, पंचायत राज्य संस्थाओं आदि में शिक्षाप्रद सामग्री का वितरण ताकि समाज में स्त्रियों की स्थिति का बृहत ज्ञान हो सकें;

(2) विभिन्न सर्वदिशी संचार माध्यम द्वारा प्रचार के उपाय जिन में देश की महिलाओं के जीवन से सम्बन्धित विभिन्न पहलु शामिल हैं ;

(3) देश में स्त्रियों के सामने आई विशेष समस्याओं पर युवा पीढी के बीच विचारों को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय जिला स्तर निबन्ध प्रतियोगिता का संचालन;

(4) विशेष संस्मारक पुस्तकों/लेखों आदि का प्रकाशन ;

(5) स्त्रियों के लिये विशेष खेल-खूद का आयोजन ;

(6) स्त्रियों कोहैसियत और स्त्रियों के कल्याण से सम्बन्धित समस्याओं पर अनुसंधान का का प्रवर्तित कार्यक्रम ;

(7) **16फरवरीको अखिल भारतीय महिला दिवस का मनाना**—देश में 16 फरवरी 1975 को "अखिल भारतीय महिला दिवस" के रूपमें मनाया गया है ताकि समाज में स्त्रियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में समाज में जागृति लायी जा सके ।

2. इस क्षेत्र में राज्य सरकारों और मुख्य स्वयंसेवी संगठनों को निदेशजारीकरदिए हैं कि वर्ष के दौरान स्त्रियों के कल्याण के कार्यक्रम पर कम से कम खर्चा हो और मनाने का कार्यक्रम उत्पादक हो ।

3. सामान्य कार्यक्रम जैसे प्रसूति अस्पतालों की स्थापना फैक्टरीज ऐक्ट के अधीन कामगार स्त्रियों के कल्याणहेतु कार्यक्रमों आदि के अतिरिक्त स्त्रियों के लाभ के लिए बहुत से विशेष कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहे हैं भले ही ये कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं है। दूसरी वस्तुओं के साथ-साथ इनमें, स्त्रियोंकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रेरणादायक योजनाएं प्रौढ स्त्रियोंके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के लिए शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम, स्त्रियों के लिए आर्थिक, सामाजिक कार्यक्रम, काम करने वाली स्त्रियों के लिए छात्रावास सुविधाओं का विस्तार, महिला-मण्डलों को सुदृढ बनाना, कामगार स्त्रियों को प्रशिक्षण आदि शामिल है। पांचवीं योजना प्रारूप में इन सभी योजनाओंके लिए 129.54 करोड़ रुपये की कुल व्यवस्था की गई है। स्त्रियों के लाभ के अगले कार्यक्रमों को नियोजित करने के लिए भारत में स्त्रियों की हैसियत से सम्बद्ध समिति की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

4. अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के समारोह के एक अंश के रूप में मनाते हुए केवल आदिम-जाति स्त्रियों के लाभ के लिए अभी तक कोई विशेष कार्यक्रम तयार नहीं किया गया है। फिर भी जब कभी कोई योजना तैयार की जाएगी आदिम जाति स्त्रियों की विशेष आवश्यकताओं को, क्रियान्विति के समय ध्यान में रखा जायेगा।

लन्दन के खाद्य उत्पादक देशों का सम्मेलन

1855. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ ही दिनों में प्रमुख खाद्य उत्पादक, उपभोक्ता और खाद्य व्यापार करने वाले देशों का एक सम्मेलन लन्दन में आयोजित होगा ;

(ख) क्या भारत सरकार उक्त सम्मेलन में एक उच्चाधिकार प्राप्त प्रतिनिधि मण्डल भेजेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) ब्रिटिश सरकार ग्रामीण विकास और खाद्यान्नों का उत्पादन बढाने के लिए कामनवेल्थ के संसाधन जुटाने के सम्बन्ध में 4 से 12 मार्च, 1975 तक लन्दन में कामनवेल्थ मंत्रियों की एक बैठक बुला रही है। इस बैठक में कृषि और सिंचाई राज्य मंत्री श्री शाहनवाज खां की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मण्डल भेजने का विचार है। प्रतिनिधि मण्डल के अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

1. श्री आर० एन० आजाद, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
2. काउन्सेलर (वाणिज्यिक), भारतीय हाई कमीशन, लन्दन।
3. वैज्ञानिक (डा० टन्डन), भारतीय हाई कमीशन, लन्दन।

दिल्ली स्कूल अध्यापकों के वेतनमानों के बारे में अभ्यावेदन

1856. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट में दिल्ली के स्कूल अध्यापकों के बारे में असंगतियों को समाप्त करके दिल्ली अध्यापकों को न्याय दिलाने के लिए आल इण्डिया फैडरेशन आफ टीचर्स एसोसिएशन्स के क्षेत्रीय सचिव ने 5 फरवरी, 1975 को प्रधान मंत्री को अभ्यावेदन दिया था ; और

(ख) उक्त मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां। (ख) मामला विचाराधीन है।

महाराष्ट्र में सूखा

1857. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष महाराष्ट्र के कौन-कौन से जिले सूखा-पीड़ित हैं;

(ख) इस सूखे का प्रभाव किस सीमा तक पड़ा है ; और

(ग) इस सूखे का सामना करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र को कितनी सहायता दी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित क्षेत्र अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं :—

जिला	गांव
भण्डारा	1227
चन्द्रपुर	1208
कोलाबा	472
सांगली	101

(ग) 1974–75 में सूखे से राहत के लिए महाराष्ट्र सरकार ने न तो कोई केन्द्रीय सहायता मांगी थी और न ही दी गई है। फिर भी, छटे वित्त आयोग की रिपोर्ट में की गई व्यवस्था के अनुसार 'मारजिन मनी' के रूप में ऐसे कार्य के लिए राज्य सरकार के लिए 417 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है।

केरल को खाद्यान्न का अतिरिक्त मात्रा में आबंटन

1858. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में खाद्यान्न की गम्भीर कमी को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्नों का अतिरिक्त मात्रा में आबन्टन करने के लिए केरल सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य ने खाद्यान्नों का कितनी अतिरिक्त मात्रा में आबन्टन करने के लिए अनुरोध किया है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) से (ग) केरल सरकार खाद्यान्नों का अधिक आबन्टन करने के लिए अनुरोध करती रही है। हाल के एक पत्र में राज्य सरकार ने यह अनुरोध किया है कि उनका खाद्यान्नों का मासिक कोटा बढ़ाकर 85,000 मी० टन कर दिया जाए। केन्द्रीय भण्डार में खाद्यान्नों की सीमित उपलब्धता और सूखे से प्रभावित विभिन्न राज्यों की बढ़ी मांग के बावजूद, केन्द्रीय भण्डार से केरल को खाद्यान्न का मासिक आबन्टन 80,000 मी० टन पर बनाए रखा गया है।

गंडक परियोजना के अधीन नहरों का निर्माण

1859. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंडक परियोजना के अधीन नहरों का निर्माण पूरा हो गया है ; और

(ख) क्या यह परियोजना इस वर्ष पूरी हो जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदारनाथ सिंह): (क) तिरहुत मुख्य नहर को छोड़ कर बिहार की सीमा के अन्दर गण्डक परियोजना की मुख्य नहरों तथा शाखाओं का निर्माण कार्य प्रायः पूर्ण हो गया है। तिरहुत मुख्य नहर की आर० डी० 909 तक की कुल लम्बाई में से आर० डी० 704 तक कार्य पूर्ण हो चुका है तथा बाकी हिस्से पर कार्य चल रहा है। वितरण प्रणालियों पर भी कार्य चल रहा है।

उत्तर प्रदेश में, मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर (11–6 से 81–5–275 मील तक), बिजली घर इस्केप (नेपाल लाभ स्कीम), मेरी इस्केप और मंझारिया इस्केप पर कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्य नहर पर 98 मेसन्स संरचनाओं में से 95 पूर्ण हो चुकी हैं तथा शेष तीन पर कार्य चल रहा है। धारायणी तथा देवरिया शाखाओं पर कार्य पूरा होने वाला है। वितरण प्रणालियों का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य 1975–76 वर्ष के दौरान पूरा कर दिया जायेगा।

(ख) यह परियोजना 1980–81 तक पूर्ण होनी अनुसूचित है।

त्रिपुरा के अभावग्रस्त क्षेत्रों में राशन की दुकानें

1860. **श्री बीरेन दत्त**: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के अभावग्रस्त क्षेत्रों में राशन की दुकानें नहीं खोली गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा में भूख से पीड़ित लोगों के जीवन को बचाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) और (ख) उचित मूल्य की दुकानों/राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केन्द्रीय भण्डार में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता, कमी वाले अन्य राज्यों की आवश्यकताओं, स्थानीय उपलब्धता तथा अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए त्रिपुरा सरकार को राज्य के अन्दर सरकारी वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति माह यथा सम्भव अधिक से अधिक खाद्यान्न सप्लाई किये जा रहे हैं। त्रिपुरा सरकार ने सूचित किया है कि हालांकि राज्य के अन्दर कमी वाले क्षेत्र हैं लेकिन वे पूर्णतया उचित मूल्य की दुकानों के अन्तर्गत ही आते हैं और जहां कहीं आवश्यक होता है वहां और भी दुकानें खोली जाती हैं।

Posts for Official Language Work

1861. **Shri Yamuna Prasad Mandal**: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the number and names of the posts sanctioned in his Ministry/Department for official language Hindi work and the rules governing recruitment thereof;

(b) whether regular appointments have not been made to many of these posts and Departmental persons have been appointed to some of these posts on ad-hoc basis and if so the reasons therefor; and

(c) the stape being taken to make regular appointments?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) to (c) A statement is attached. **[Placed in the Library See No. L. T. 9960/75.]**

लेवी चीनी और खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी का दिया जाना और चीनी मिलों द्वारा अर्जित किया गया लाभ

1862. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 में, माहवार कितनी कितनी मात्रा में (1) लेवी चीनी, और (2) खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी दी गई;

(ख) वर्ष 1974 में महीनेवार (1) लेवी चीनी (2) खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है ;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि चीनी मिल मालिकों ने वर्ष 1974 में प्रति माह 17-18 करोड रुपये का अप्रत्याशित लाभ कमाया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी के खुदरा मूल्य बढ़ने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) एक विवरण अनुबन्ध-1 संलग्न है जिसमें 1974 के दौरान लेवी और खुली बिक्री की चीनी की माहवार निर्मुक्ति का ब्यौरा दिया गया है ।

(ख) दिसम्बर, 1972 में लेवी चीनी का खुदरा मूल्य 2.15 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 1974 के दौरान चुनीदा केन्द्रों पर खुली बिक्री की चीनी का मास के अन्त में (शुक्रवार) खुदरा मूल्य बताने वाला एक अनुबन्ध-2 संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9061/75**।]

(ग) और (घ) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई आरोप नहीं लाया गया है। तथापि, 'इकानामिक्स टाइम्स' के सितम्बर, 1974 के अंक में प्रकाशित समाचार में यह बताया गया कि चीनी उद्योग की खुली बिक्री की चीनी के मूल्यो में भारी वृद्धि होने के कारण उनके सामान्य लाभ के अलावा, 18 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था अर्थात अगस्त में 6 करोड़ रुपये और सितम्बर, में 12 करोड़ रुपये। यह स्थिति 18 नवम्बर, 1974 को माननीय सदस्य और अन्य सदस्यों द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 965 के उत्तर में स्पष्ट की गई थी। तथापि, दिसम्बर, 1974 से खुली बिक्री की चीनी में गिरावट की प्रवृत्ति आयी है।

विवरण

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

मास	लेवी कोटा	मुक्त बिक्री का कोटा	जोड़
1974			
1. जनवरी . . .	2.00	1.05	3.05
2. फरवरी . . .	2.00	1.05	3.05
3. मार्च . . .	2.00	1.05	3.05
4. अप्रैल . . .	2.00	1.05	3.05
5. मई . . .	2.00	1.05	3.05
6. जून . . .	1.90	0.90	2.80
7. जुलाई . . .	1.80	0.80	2.60
8. अगस्त . . .	1.80	0.80	2.60
9. सितम्बर . . .	1.80	0.80	2.60
10. अक्तूबर . . .	1.80	0.80+ 0.25*	2.60+ 2.25*
11. नवम्बर . . .	1.80	0.80+ 0.25*	2.60+ 0.25*
12. दिसम्बर . . .	1.80	0.80	2.60

*त्यौहारों के लिए मुक्त बिक्री की अतिरिक्त निर्मुक्ति ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में मौलिक सुविधाओं की कमी

1863. श्री राज गर्जसिंह देव: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कुछ कालोनियों में अभी भी अनेक मौलिक सुविधाओं जैसे नियमित बाजार, शौचालय, सड़कों पर समुचित प्रकाश व्यवस्था और सफाई सुविधाओं आदि का अभाव है ;

(ख) क्या फ्लैटों के निर्माणमें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस्तेमाल की गई भवन निर्माण सामग्री भी घटिया किस्म की है और अनेक फ्लैटोंमें दरारे पड़ गई हैं ; और

(ग) यदिहां, तो तो क्या सरकारने इस बारे में कोई जांच की है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कष निकले हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) दिल्लो विकास प्राधिकरण ने लगभग अपनी सभी कालोनियो में अपेक्षित आयोजना मानकोंके अनुसार नियमित मार्किटो, मार्गों, जलनिर्यास, जलपूर्ति, सड़क कीरोशनी, मल निर्यास आदिजैसी मूलभत सुविधाओ की व्यवस्था की है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के कृषकों को विद्युत, डीजल तथा पानी की सप्लाई

1864. श्री एस० एन० मिश्र : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्याइस समय हरियाणा, पंजाबतथा उत्तरप्रदेशके कृषकों को विद्युत, जल तथा डीजल की सप्लाई कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का विचार विद्युत, डीजल तथा पानी की खपत को युक्तियुक्त बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ताकि कृषकोंको उनकी समय पर सप्लाई सुनिश्चित की जा सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) और (ख) परिवहन आदि की गड़बड़ी केकारण अस्थायीऔर स्थानीय कमियों को छोड़कर हाल में डीजल तेल की सामान्य कमी की कोई सूचना नहीं है। तथापि, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्यों में पम्पों से सिंचाई करने के लिए बिजलीकी सप्लाईकी कमीमहसूसकी जा रही है क्योंकि इन राज्यों में बिजली की आवश्यकता उसकी उपलब्धि से अधिक है ।

(ग) किसानोंको समय पर बिजली, डीजलऔर पानीकी निश्चित रूप सेसप्लाई करने के लिए इनकी खपत को तर्कसम्मत बनाने की दिशा में किये जाने वाले प्रस्तावित उपायों में ये शामिल है :—

(i) बदरपुर स्थित केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्र से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को बिजली का नियमन और नियतन ।

(ii) सिंचाईकेलिए बिजली की अत्याधिक मांग के समय घरेलू खपत सहित गैर-कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत पर प्रतिबन्ध लगाना ।

(iii) डीजल तेल की आवश्यकता का वास्तविक अनुमान लगाना और इस आधार पर कृषि क्षेत्र में उपभोक्ताओं की डीजल नियतन कार्ड जारी करना ताकि ऐसे उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई सुनिश्चित की जा सके।

(iv) परिवहन के क्षेत्र में हाई स्पीड डीजल तेल की खपत में किफायत करने के उपाय करना।

(v) त्यौहारों के प्रयोजनों के लिए डीजल तेल का प्रयोग करके बिजली पैदा करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाना।

(vi) वर्तमान सिंचाई की सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने के लिए सिंचाई प्रणाली को ठीक हालत में रखना और सृजित की गई नई क्षमता के उपयोग पर अधिकतम बल देना।

शिक्षा के लिये पांचवी योजना का पुनर्मूल्यांकन

1865. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चौमुखी अभियान में शिक्षा के लिए पांचवीं योजना का पुनर्मूल्यांकन करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस पुनर्मूल्यांकन के क्या कारण हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने नवम्बर 1974 में हुई अपनी बैठक में उपलब्ध संसाधनों की काफी तंगी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा सम्बन्धी विकास की नीति पर विचार किया और एक चार-सुत्री नीति की सिफारिश की जो इस प्रकार है:——

(i) माध्यमिक और उच्च शिक्षा का योजनाबद्ध विस्तार; (ii) अभिज्ञाद महत्व और प्राथमिकता के कुछ कार्यक्रमों पर प्रयास केन्द्रीत करना जैसे कि प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापिकरण कोटि सुधार के कार्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायिकरण, 10+2+3+की नई पद्धति को अपनाना, युवक सेवाओं का विकास; (iii) शिक्षा के सभी स्तरों पर गैर-परम्परागत शिक्षा लागू करना; और (iv) अध्यापकों, विद्यार्थियों और समुदाय की व्यापक रूप से शामिल करके सभी शक्षिक संस्थाओं में ओजपूर्ण और सतत कार्य करने के वातावरण का निर्माण करना। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अन्तिम रूप देते समय इन सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के 37वे सत्र में अपनाई गई नीति के ब्यौरे संकल्प संख्या (iii) में दिये गए ह। संकल्पों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

त्रिपुरा में मध्यम सिंचाई परियोजना

1866. **श्री दशरथ देव** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान त्रिपुरा में कोई मध्यम सिंचाई परियोजनायें आरम्भ की जा रही हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार त्रिपुरा के आदिम जाति क्षेत्र में कुछ मध्यम सिंचाई, परियोजनाएं आरम्भ करने क लिए पहल करेगी?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) और (ख) हाल ही में, त्रिपुरा सरकार ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग से हुवा तथा खोदाई नदियों के अपवाह क्षेत्रों के क्रमबद्ध सर्वेक्षण करने के लिए अनुरोध किया है और 1975-76 में इस कार्य के लिए 2 लाख रुपये रखने का प्रस्ताव किया है। सिंचाई के लिए पाँचवीं योजना में अर्नान्तिम प्रावधान 9 लाख रुपये का है तथा यह केवल सिंचाई परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा आवषणों के लिए है। इसलिए ऐसी स्थिति में राज्य में (जनजातीय क्षेत्र सहित) अगले वित्तीय वर्ष में किसी मध्यम सिंचाई परियोजना को हाथ में लेने का प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात राज्यपाल राहत निधि

1867. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री बेकारिया :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में अभाव की स्थिति का सामना करने के लिए गुजरात राज्यपाल राहत निधि नाम से एक कोष आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कोष में अब तक कुल कितनी राशि एकत्र हो चुकी है ; और

(ग) इस राशि को किस प्रकार खर्च किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में भूकम्प

1868. श्री अजित कुमार साहा :

श्री मान सिंह भौरा :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 तथा 20 जनवरी, 1975 को हिमाचल प्रदेश में आये भूकम्प के कारण कितने व्यक्ति मारे गये ; और

(ख) मृतकों के आश्रितों तथा बेघर हुए लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार भूकम्प के कारण 42 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

(ख) भूकम्प के तुरन्त बाद इस क्षेत्र में वायुयान एवं ट्रकों द्वारा आटा, चावल, दाल, गुड़, चाय, नमक, खाने के तेल, मिट्टी का तेल, कच्चा कोयला, जलाने की लकड़ी, आदि की सप्लाई शुरू की गई और ये चीजें संकट में फंसे व्यक्तियों को बांटी गयी। राशन के अलावा इस क्षेत्र को काफी संख्या में तम्बु, तिरपाल तथा कम्बल भी भेजे गए, ताकि बेघरबार हुए व्यक्तियों एवं जिनके मकान असुरक्षित मकानों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए तुरन्त पनाह दी जा सके। जहां तक प्रभावित व्यक्तियों के स्थायी पुनर्वास का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार एक तकनीकी समिति की स्थापना कर रही है। समिति इस बात की जंच करेगी कि भूकम्प वाली इस पहाड़ी पट्टी में किस डिजायन के मकान बनाये जाने चाहिए। सिंचाई तथा पेय जल की नहरों, पशुओं, बकरियों, भेड़ों, भवनों, सड़कों, कृषि भूमि, आदि की हानि का अनुमान लगाने के लिए एक सर्वेक्षण भी किया जा रहा है, ताकि पुनर्निर्माण, भूमि सुधार तथा मुदा संरक्षण के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

केरल में समुद्र से भूमि कटाव रोकने संबंधी परियोजना

1869. श्री वरके जार्ज : क्या कृषि और सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में समुद्र से भूमि कटाव रोकने सम्बधी परियोजना का कार्य धनराशि के कमी के कारण कुछ ठप्प पड़ गया है ; और

(ख) क्या केरल सरकार ने इस परियोजना के लिए दो करोड़ रुपय की राशि की मांग की है ; और यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) केरल राज्य में धन की तंगी के कारण इस वर्ष के दौरान समुद्र कटावरोधी कार्यों को गति को मन्द करना पड़ा था। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य योजना में समद्र-कटावरोधी कार्यों के लिए रखी गयो एक करोड़ रुपय ी पूरी रक्कम अक्तूबर, 1974 क खर्च हो चुकी थी । ताजा सूचना के अनुसार 1974-75 वर्ष के दौरान दिसम्बर, 1974 के अन्त तक वास्तव में 158 लाख रुपय व्यय हो चके थे। 1974-75 के अंतिम तिमाही के दौरान 73 लाख रुपय खर्च होने की प्रत्याशा है।

(ख) राज्य सरकार, 1974-75 वर्ष के दौरान समुद्र-कटावरोधी कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता देने पर जोर दे ती रहीथी तथा उसने एक करोड़ रुपये तुरन्त देनेके लिए अनुरोध किया था । हाल ही में केन्द्रीय सरकार, 1974-75 के दौरान एक करोड़ रुपये की ऋण सहायता देने के लि सहमत हो गयी है ।

गुजरात राज्य सरकार की और से अधिक राशि का आबंटन

1870. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या कृषि और सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने राज्य में अभतपूर्व सूखे तथा अकाल स्थिति को दखते हुए और अ क राशि राज्य को देने के लिए उनसे अनुरोध किया है ;

(ख) यदिहां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिए राज्य सरकार को कितनी राशि आवंटित की गई है ;

(ग) राज्य सरकार ने कुल कितनी राशि की मांग की थी तथा वित्तीय सहायता की उसकी कितनी मांग पूरी की गई है ; और

(घ) क्या इससे राज्य को पहले आबन्टित की गई राशि में वृद्धि हुई है ; और क्या चालू वर्ष में राशि के आबन्टन में इस पर विचार किया जाएगा ?

कृषि और सिंचाईमंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) से (घ) राज्य सरकार ने केन्द्रीय अध्ययन दल को प्रस्तुत किये गये अपने अनुमान में 50.22 करोड़ रुपये की सहायता के लिए अनुरोध किया था औरइसमें गरै-योजनाकी सहायता भी शामिलहै। तथापि, 1-4-1974 से राज्यों को राहत सम्बन्धी कार्यों के व्यय के लिए तदर्थ सहायता देनेकी पुरानी नीति छोड़ दी गई है। नईनीति के अनुसार केवल अग्रिम योजना सहायता, जोकि आगामी वर्षों में राज्यों को देय केन्द्रीय सहायता में समायोजित की जातीहै, प्रभावित क्षेत्रों में राहतकार्यों के कार्यक्रम तजीसे शुरू करने के लिए उनको दी जासकती है । भारत सरकार ने नईनीति के अनुसार गुजरात राज्य की 19-4-75 में 14.14 करोड़ रुपये की सीमा तकयोजना के लिए अग्रिम सहायता कीस्वीकृति दी है। उन्होंने कृषि-आदानों के लिए 10 करोड़ रुपये के ऋण की अल्पकालीन मंजूरी भी की है।

गुजरात के लिये अभाव राहत आयुक्त की नियुक्ति

1871. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या कृषि और सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के लिए किसी अभाव राहत आयुक्त की नियुक्ति की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कार्य क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) अभाव राहत आयुक्त का कार्य सामान्यतः राज्य में अभाव से राहत के विभिन्न कार्यों का मार्गदर्शन, समन्वय और पर्यवेक्षण करना है ।

वर्ष 1974 के दौरान बाढ और सूखापीडित राज्यों को केन्द्रीय सहायता

1872. श्री समर गुह : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के दौरान विभिन्न राज्यों के बाढ़ और सूखापीड़ीत लोगों के कल्याण के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई अथवा देने का प्रस्ताव था ;

(ख) इस प्रकार की सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ग) विभिन्न राज्यों में भेजी गई तथ्य निर्धारण समिति के प्रतिवेदनों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इन प्रतिवेदनों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) छठे वित्त आयोग की सिफारिशोंको स्वीकार करने के परिणामस्वरूप सरकारने प्राकृतिक आपदाओंका सामना करने के लिये राज्यों को दी जाने वाली तदर्थ केन्द्रीय सहायता की पिछली योजना 1-4-1974 से समाप्त कर दी है। अतः अब सूखे या बाढ़ राहत कार्यों के लिए राज्य सरकारोंकोकोई केन्द्रींय सहायता नहीं दी जाती । तथपि आपतकालिन स्थिति में योजना के कार्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य को प्रदान की गई "मार्जिन" धनराशि अपर्याप्त रहने पर केन्द्र द्वारा अग्रिम योजना सहायता दी जा सकती है ।

(ग) तथा (घ) नई नीति के अनुसार और प्रभावित राज्योंकादौरा करने वाली केन्द्रीय अध्ययन दलों की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने निम्नलिखित योजना सम्बन्धी अग्रिम सहायता स्वीकृत की थी, जिसको आगामी वर्षो में समायोजित किया जायेगा :

राज्य	धनराशि (करोड़ रुपयों में)
असम	4.00
बिहार	4.00
गुजरात	14.14
हरियाणा	2.000
मध्य प्रदेश	6.50
उड़ीसा	7.91
राजस्थान	10.24
तमिल नाडु	7.50
पश्चिम बंगाल	2.25

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में नियुक्त इंजीनियर

1873. श्री एस० डो० सोमसुन्दरम: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान तथा निकोबार में नियुक्त केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग के इंजीनियरों ने उन्हें ऐसा अभ्यावेदन दिया है कि प्रशासकों की तुलना में उनके साथ मुख्य भूमि की स्थानान्तरण, जहाजों में केबिन श्रेणी के स्थान की व्यवस्था, नीची श्रेणी केक्वार्टर, रिहायशी स्थान, स्कूटरों का आवन्टन, राज्य समारोहों में नियंत्रण प्रतिनियुक्ति भत्ता, छूटटी रिजर्व पदों की मंजूरी के मामले में भेदभाव किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा दी गई शिकायतों और मांगों का ब्यौरा क्या है और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): (क) तथा (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कनिष्ठ इन्जीनियरों की एसोसिएशन ने निम्नलिखित विषयों पर अभ्यावेदन दिया है :—

(i) अन्दमान में तैनाती की अवधि तथा तैनाती की अवधि के पूर्ण होने पर स्थानान्तरण

(ii) अन्दमान में तैनात इंजीनियरों को प्रतिनियुक्ति भत्ता

(iii) रिहायशी वास के आबन्टन में भेदभाव

(iv) पोतों में कक्ष का आबन्टन

(v) स्कूटरों के विशेष कोटे का निर्धारण

(vi) चिकित्सा सुविधाएं

(vii) अवकाश आरक्षित पदों की स्वीकृति ।

अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन अभ्यावेदन में उठाये गए विषयों पर मुख्य इन्जीनियर, अन्दमान लोक निर्माण विभाग के परामर्श से विचार कर रहा है ।

मांग की तुलना में उर्वरकों का उत्पादन

1874. श्री के० लकप्पा : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मांग की तुलना में उर्वरकों का वर्तमान उत्पादन कितना है ; और

(ख) इस कमी को दूर करने के लिए कितनी मात्रा में उर्वरक आयात किया जा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) खरीफ 75 तथा रबी 75–76 के दौरान कृषि कार्यों के लिए उर्वरकों की मांग और फरवरी, 1975 से जनवरी, 1976 तक की अवधि के दौरान होने वाला अनुमानित देशी उत्पादन नीचे दिया जा रहा है :—

(लाख मीटरी टनों में)

कृषि कार्यों के लिए उर्वरकों की मांग	अनुमानित देशी उत्पादन
एन 34.00	15.53
पी 10.35	3.62
के 6.50	..

(ख) अब तक भारत सरकार 7.84 लाख मीटरी टन 'एन' 3.65 लाख मीटरी टन 'पी' और 0.46 मीटरी टन 'के' के आयात लिए करार तय कर सकी । इसके अतिरिक्त मौजूदा भण्डारों और पहले से तय हुए करारों के अनुसार प्राप्त होने वाले उर्वरकों की अनुमानित मात्रा 3.36 लाख मीटरी टन एन० 1.78 लाख मीटरी टन पी० और 2.57 लाख मीटरी टन के है। कमी को पूरा करने के लिए उर्वरकों की और मात्रा आयात करने के सम्बन्ध में प्रयास किये जा रहे हैं ।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने के कारण बृहत्तर कलकत्ता में राशनिंग व्यवस्था का बिगड़ना

1875. **श्री वरके जार्ज :**

श्री सी० एम० सिन्हा:

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा अनिश्चित काल तक हड़ताल करने के कारण बृहत्तर कलकत्ता में राशनिंग व्यवस्था बिगड़ सकती है ;

(ख) क्या खुले बाजार में चावल के मूल्य अधिक उत्पादन करने वाले मिदनापुर, बीरभूम और बर्दवान जिलों, में भी लगभग बढ़ रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का जनता को राशन के वितरण में बिगड़ी हुई स्थिति में सुधार के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) राज्य में राशन की दुकानों उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्नों के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है । पश्चिमी बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि यद्यपि बृहत्तर कलकत्ता में राशन व्यवस्था पर काफी दबाव बना हुआ है लेकिन अब स्थिति में सुधार हो गया है क्योंकि सभी दुकानों को राशन की वस्तुओं की पर्याप्त सप्लाई की गई है ।

अक्तूबर, 1974 में बाजार में चावल के आने से चावल के थोक मूल्यों में नरमी का रुक आया । यह प्रवृत्ति नवम्बर, 1974 के अन्त तक बनी रही । दिसम्बर, 1974 के दौरान मूल्यों में मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई थी लेकिन जनवरी, 1975 के दौरान आम-तौर पर सख्ती का रूप बना रहा । इस के बाद, फरवरी 1975 के दौरान मूल्यों में या तो गिरावट आयी या स्थिर रही है।

भूमि को रहने योग्य कालोनी बनाने सम्बन्धी योजना (लैण्ड कालोनाइजेशन स्कीम)

1876. **श्री धामनकर:** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ चुने हुए स्थानों पर अतिरिक्त ग्रामीण श्रमिकों के पुनर्वास हेतु भूमि को रहने योग्य कालोनी बनाने सम्बन्धी योजना के कार्यान्वयन हतु सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां तो इस योजना की महत्वपूर्ण बात क्या हैं ; और

(ग) इसके कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) भारत सरकार फालतू ग्रामीण श्रमिकों के पुनर्वास हेतु लैण्ड कालोनाइजेशन की किसी योजना पर विचार नहीं कर रही है। किन्तु पांचवीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में भूमि के कालोनाइजेशन के माध्यम से काफी रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना के विषय में भारत सरकार विचार कर रही है। इससे किसी हद तक भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बसाने में सहायता मिलेगी ।

(ख) प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत लगभग 500 हैक्टर के कम्पेक्ट यूनिटों में कालोनियां बसाई जाएंगी। प्रत्येक कालोनी में लगभग 200 परिवार बसाए जाएंगे और इन क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल सकेगा। यूनिट आत्म-निर्भर होंगे और भविष्य में अपनी सभी जरूरतें आप पूरा करेंगे ।

(ग) इस योजना पर भारत सरकार विचार कर रही है ।

पांचवी योजना में कृषि पोलिटैक्निक्स

1877. **श्री धामनकर** : क्या कृषि और **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में कृषि पोलिटेक्निक्स स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है / प्रगति हुई है ; और

(घ) महाराष्ट्र में कितने कृषि पोलिटेक्निक्स स्थापित किए जायेंगे और किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) कृषि व्यवसाय के विस्तृत क्षेत्र में सम्बद्ध लोगों को तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की एक परियोजना है ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने कृषि-जलवायु, प्रौद्योगिकी और सामाजिक-आर्थिक विचारों के आधार पर पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 32 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना सम्बन्धी एक परियोजना प्रस्तावित की है। कृषि और उससे सम्बन्धित विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों और किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र के वैज्ञानिक तरीकों का तकनीकी प्रशिक्षण देना तथा ग्रामीण युवकों के लिए स्वत: रोजगार प्राप्त करने की सम्भावनाएं विकसित करना इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्य होंगे। प्रस्तावित परियोजना के वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद, विभिन्न राज्यों के लिए एतत्सम्बन्धी व्यय निर्धारित किया जाएगा ।

(ग) वित्त मंत्रालय द्वारा इस परियोजना की स्वीकृति की प्रतिक्षा की जा रही है।

(घ) केन्द्र स्थर पर, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद में एक लघु समिति की स्थापना की जाएगी, जो राज्य सरकारों, कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं के परामर्श से कार्यक्रम के क्रियान्वयन, केन्द्रों के लिए स्थान के चयन और वित्तीय सहायता की राशि निर्धारित करने में मदद करेगी। महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या और उनके लिए स्थान आदि का फैसला उपर्युक्त समिति द्वारा किया जाएगा ।

Power Houses Under C.P.W.D. in Madhya Pradesh

1878. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Works and Honceing** be pleased to state :

(a) whether there are any power houses in Madhya Pradesh under the Central Public works Department and if so, the locations thereof ; and

(b) the number of employees working in each of these power-houses, category-wise ?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramiah) : (a) & (b) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

Projects For Drinking Water

1879. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether Central Government have sanctioned some projects regarding supply of drinking water to rural areas in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghu Ramiah) : (a) As Rural Water Supply is under the State Sector Programme, financial sanction for such schemes from the Central Government is not required. No such schemes have therefore been sanctioned by the Ministry during 1974-75.

(b) Does not arise.

Additional Sugar Quota to Madhya Pradesh

1880. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have requested the Central Government to raise their sugar quota ; and

(b) whether the Government have given any additional quota of sugar to the State during December, 1974 ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

Land Utilisation Board in M. P.

1881. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government have agreed to set up a Land Utilisation Board in accordance with the directions of the Central Government; and

(b) if so, the time by which this Board will be set up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) and (b) A State Land Use Board has been already set up by the Madhya Pradesh Government.

डी० आई० जेड० क्षेत्र में स्कूल भवनों के लिए भूमि

1882. **श्री शशि भूषण :** क्या निर्माण और आवास मंत्री 18 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 847 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट चार स्कूलों में से प्रत्येक स्कूल ने भूमि के लिये धन राशि कब जमा की और प्रत्येक स्कूल ने कितनी धनराशि जमा की ;

(ख) एडवर्ड स्क्वायर में जैन हैपी स्कूल को भूमि न देने के विशेष कारण क्या हैं जबकि आर० एम० आर्य गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नामक एक अन्य स्कूल को एडवर्ड स्क्वायर में भूमि सौंप दी गई है; और

(ग) जैन हैपी स्कूल को कब तक भूमि देने का विचार है और कितनी भूमि किस जगह देने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा संसदिय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया):

(क)

	राशि	तिथि
	रुपये	
(i) आर० एम० आर्य कन्या प्राथमिक विद्यालय	6,245.00	8-12-1970
(ii) यूनियम एकेडमी स्कूल . .	1,600.00	14-2-1939
(iii) जैन हैप्पी स्कूल . .	6,815.00	18-7-1967
(iv) सेन्ट कोलम्बस स्कूल . .	14,745.00	14-1-1966

(ख) पेशवा रोड के संरक्षण को बदलने के कारण जैन हैप्पी स्कूल के लिए निर्धारित प्लाट पर प्रभाव पड़ा था परन्तु आर० एम० आर्य कन्या प्राथमिक विद्यालय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(ग) डिज़ाइन ग्रुप द्वारा बनाये गए विस्तृत प्लान को सरकार द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृत किए जाने के आधार पर जब इस क्षेत्र की वीस्तृत योजना बनायी जायेगी तो जन हैप्पी स्कूल को नया प्लाट आबन्टन करने के मामले पर विचार किया जायगा।

खिरोई नदी पर स्लूस गेट एवं पुल की योजना

1883. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि और सिचाई मंत्री 2 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2768 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के दरभंगा जिले में हरिहरपुर और कालीगांव गांवों के बीच और मुरठा के निकट खिरोई नदी पर स्लूस गेट एवं पूल बनाने के लिए योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है या दिया जा रहा है; और

(ख) उल्लिखित दो योजनाओं में से प्रत्येक पर कितना व्यय होने का अनुमान है?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथसिंह) : (क) और (ख) इसी विषय पर 28-8-1974 को लोक सभा में अतारान्कित प्रश्न संख्या 3768 के उत्तर में यह बताया गया, था ;

"बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे इस स्कीम को तैयार करने के लिए अगले दो वर्षों के दौरान और निस्सरहण आंकड़े एकत्र करना अपेक्षित है"।

इस लिए इस समय स्कीम को तैयार करने तथा इसे अन्तिम रूप देने का प्रश्न नहीं उठता।

Cancellation of Membership of Co-Operative House Building Society

1884. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether membership of some persons of Works, Housing and Home Ministries Co-operative House Building Society has been cancelled on one or the other pretext just before the final decision regarding allotment of land to society by Government;

(b) the manner in which the Ministry can help in ensuring justice to persons affected the cancelling of membership of old shareholders and enrolling new share-holders just beore allotement of land and the procedure and the measures to be adopted therefor ; and

(c) if so, the facts of the case ?

The Minister of Works & Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghu Ramiah) : (a) There is no such society by the name of Works, Houseing and Home Ministry's Cooperative Housing Building Society. However, there is the Ministry of Works, Housing and Supply Cooperative House Building Society. No cancellation of the membership of any person of this society has been made so far.

(b) & (c) The question does not arise.

विभिन्न राज्यों में छोटे कृषक विकास एजेंसियों और सीमान्त कृषक कृषि श्रमिकों के अन्तर्गत योजना को क्रियान्वित करना

1885. श्री टूना उरांव :

श्री एस० एन० सिंह देव :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमबंगाल, बिहार, आसाम, त्रिपुरा, नागालैण्ड, उड़ीसा, मेघालय, मनीपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में कितने जिलों को छोटे कृषक विकास एजेंन्सीयों (एस० एफ० डी० ए०) और सीमान्त कृषक केकृषि श्रमिकों (एम० एफ० ए० एल०) के अन्तर्गत योजना को क्रियान्वित के लिए शामिल किया गया है ;

(ख) इन राज्यों में छोटे और सीमान्त कृषकों की स्थिति में सुधार करने के लिए इन एजेन्सियों ने क्या प्रगति की है ; और

(ग) उक्त एजेन्सियों ने राज्यवार, जिलावार और परियोजनावार कितनी धनराशि खर्च की है ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गई छोटी किमान विकास एजेन्सीओं (छो० की० वी० ए०) तथा सीमान्त किसान और खेतिहर मजदूर विकास एजेंन्सियों (सी०की० खे० म०) और पांचवीं योजनाके लिए स्वीकृत छोटा किसान विकास एजंन्सियों की सूची अनुबन्ध 1 पर दी गई है।[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-9062/75**] अरुणाचल और मिजोराम की चौथीयोजनामेंऐसी कोई परियोजनाएं मंजूर नहीं की गई थीं। पांचवीं योजना में अरुणाचल प्रदेश की 1 छोटा किसान एजेन्सी परियोजना आंबन्टित की गईहै, किन्तु इस केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासन से उसके बारेमें अयुक्त प्रस्ताओं की अभी प्रतीक्षा है ।

(ख) देश में चोथी योजना के दौरान आरम्भ की गई कुल 87 छोटा किसान विकास एजेंसियों तथा सीमान्त किसान और खेती हर मजदूर विकास एजेन्सियों मेंसे 24एजेन्सियां प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों (अरुणाचल प्रदेशऔर मिजोरम को छोड़कर) को मंजूरकी गई थी। पांचवीं योजनामें परियोजनाओं की कुल संख्या 41 तक पहुंच जायेगी। इनमें अरुणाचल प्रदेश को आवन्टित की जाने वाली एक परियोजना भी शामिल है। ये एजेन्सियां चुने गए छोटे तथा मार्जिनल किसानों को विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन लाभ पहुंचा रही हैं। ये कार्यक्रम हैं—अधिक उपज देने वाली किस्मों को खेती करना बहु सस्योपादन, बागवानी, भू-सरंक्षण, भूमिविकास, सुधरे कृषि औजार, लघु सिंचाई और सहायक कारावारों के कार्यक्रम जैसे डेरी, कुक्कुटादिपालन, सूअरपालन आदि। इन सभी कार्यक्रमों पर एजेंसियों द्वारा छोटी/सीमान्त किसानों की विभिन्न योजनाओं में लगाई जाने वाली पूंजीगत लागत पर क्रमश: 25 प्रतिशत/33—1/3 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है। इसके अलावा, सीमान्त किसानों को निवेशों पर एक मौसम में 100 रुपये तक और 2 मौसमों के लिए अधिकतम 200 रुपये तक का उपदान दिया जाता है। ग्राम निर्माण कार्यक्रम जो सीमान्त किसान और खेतिहर मजदूर तथा संयुक्त परियोजनाओं का एक भाग है, केअधीन कृषि मजदूरों को जब काम नहीं होता है तब मौसम के बाद

का रोजगार दिया जाता है। एजेंसियों द्वारा इन्हें डेरी, कुक्कुटादिपालन, सूअरपालन तथा ऐसे अन्य सहायकव्यवसाय आरम्भ करने के लिए भी सहायता दी जाती है। चौथी योजना में गठित की गई परियोजनाओं को आरम्भ से लेकर दिसम्बर, 74 के अन्त तक की प्रगति अनुबन्ध मे 2 दी गई है [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-9062/75**]

विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न एजेंसियों द्वारा आरम्भ से लेकर दिसम्बर, 74 के अन्त तक किया गया व्यय अनुबन्ध 3 में दिया गया है [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-9062 75**] असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्यों में छोटा किसान विकास एजेंसी/सीमान्त किसान और खेतिहर मजदूर परियोजनाएं एक जिले अथवा उसके भाग तक सीमित हैं मणिपुर, मेघालय और नागालैण्ड में परियोजना क्षेत्र में एक जिले से अधिक का क्षेत्र आता है।

निम्न और मध्यम आय समूह आवास योजनाओं के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिए नियतन

1886. श्री टूना उरांव :
श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न और मध्यम आय समूह आवास योजनाओं के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मेघालय, नागालैण्ड मणिपुर, और अरुणाचल प्रदेश के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और योजना-वार कितनी धनराशि मंजूर की गई; और

(ग) इन राज्यों में किन किन स्थानों पर ये परियोजनाएं प्रारम्भ की गई है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): (क) तथा (ख) निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई निम्न तथा मध्यम आय वर्ग आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं ; चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से, सामाजिक आवास योजनाओं सहित समस्त राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए कुलमिलाकर उनके लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता 'सम्मेकित ऋणों' तथा 'सम्मेकित अनुदानों' के रूप में दी जाती है। अतः राज्य सरकारें समेकित सहायतामें से, विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए उनके द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार निधियां स्वीकृत करने तथा उनका नियतन करनेमें स्वतन्त्र हैं।

(ग) चूंकि राज्य सरकारें इन योजनाओंके अन्तर्गत परियोजनाएं बनाने तथा स्वीकृत करने में स्वयं सक्षम हैं, अतः राज्य सरकारें अपेक्षित सूचना इस मंत्रालय को नहीं भेजती।

सघन कुक्कुट पालन कार्यक्रम

1887. श्री टुना उरांव : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस० एफ० डी० ए०/एम० एफ०ए० एल० की योजना के अधीन देश के कितने जिलों में सघन कुक्कुट पालन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है; और

(ख) उपर्युक्त योजनाओं पर राज्य-वार और जिला-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) और (ख) छोटे सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों के लाभ के लिए दूसर कार्यक्रमों के साथ साथ कुक्कुट पालन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहीं छोटा किसान विकास एजेन्सियों (छो० कि० वि० ए०) तथा सीमान्त

किसान और खेतिहर मजदूर एजेन्सियों (सी० कि० खे० म०) की सूची और इन एजेन्सियों द्वारा सभी कार्यक्रमों पर राज्यवार किया गया कुल व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-9063/75] चौथी योजना के दौरान 87 छोटा किसान विकास एजेन्सियां/सीमान्त किसान और खेतिहर मजदूर परियोजनाएं मंजूर की गई थीं, जिनके अन्तर्गत देश के कुल 95 जिलों को लाया जाना था।

DEVELOPMENT OF NEW AYURVEDIC FERTILIZER

1888. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) whether a farmer of Parnar, Ahmedabad, has developed an ayurvedic fertilizer, which is better than the chemical fertilizer and can yield 30 per cent more produce

(b) if so, whether Government's attention has been drawn to it ; and

(c) whether Government propose to encourage the same ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) to (c) The Government of India have no information about the development of an Ayurvedic Fertilizer by a farmer of Farnar. Govenrment will examine its utility when the details become available.

Accounts of England Tour of Indian Cricket team

1889. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Education, Social Wel fare and Culture** be pleased tostate :

(a) whether the Cricket Control Board of India has not so far cleared the accounts of the Indian Cricket Team that toured England ;

(b) whether the amount of bonus payable to each player has not been paid so far and only one instalment has been paid ;

(c) whether in view of poor performance of the said Indian team, the Board does not intend to release the second instalment ; and

(d) if so, full facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) to (d) The Board of Control for Cricket in India has intimated that their accounts for the Indian Cricket Teams tour of U.K. in 1974 have since been completed and audited, and that fullbonus, including thesecondinstalment,has already been paid to the concerned players.

Request for Central Grant for Famine Stricken Rajasthan

1890. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Government of Rajasthan have sought 20 crores for famine relief work during 1974 and whether grave famine conditions are prevailing in most of the districts of Rajasthan ; and

(b) if so, the number of times the Central Government have given money to the Government of Rajasthan for famine relief measures during 1972-73 and 1973-74 indicating the amount of money given to the State each time ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table ofthe Sabha,as soon as itis received.

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किया गया घटिया किस्म का दूध प्रस्ताव ।

1892. **श्री नारायणचन्द पराशर :** क्या कृषि और सिंचाईमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले घटिया किस्म के दूध के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होने पर योजना के अधिकारी यह सुनिश्चित करते ह कि उसे बदला जाये ; और

(ख) यदि हां तो अधिकारियों ने इस बारे में शिकायतों को दूर करने के लिये क्या व्यवस्था की है ?

कृषि **और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) तथा (ख) यदि सिलबन्द बोतल में घटिया किस्म का दूध होने के बारे में कोई शिकायत हो, तो शिकायत्त करने वाले से नमूने की बोतल तुरन्त प्राप्त कर ली जाती है और दिल्ली दुग्ध योजना की क्वालीटी नियंत्रण प्रयोगशाला में इसका सावधानी से परिक्षण किया जाता है । दूध के घटिया होने के बारे में थोड़ा भी सन्देह होने पर ग्राहक को बदल में दूध की दूसरी बोटल मूफ्त में दी जाती है ।

विकलांग हरिजनों का पुनर्वास

1893. **श्री नारायणचन्द पराशर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री विकलांग हरिजनो और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी योजना के बारे में 9 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3592 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए जो सेवाएं प्रदान की जाती है, विकलांग हरिजन भी उनके लिए पात्र हैं। इन जातियों के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई विशिष्ट धनराशि नहीं रखी गई है ।

हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए एक खाद्य जोन बनाना

1894. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब के राज्यों के लिए एक ही खाद्य जोन बनाने के लिए कोई अभ्यावेदन भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) अगले रबी मौसम की नीति तैयार करते समय इस मामले पर विचार किया जाएगा ।

सिंचाई के लिए संयुक्त राज्य परियोजना की स्थापना

1895. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्यों में मध्यम दर्जे को और उठाऊ कृषि परियोजनाओं की स्थापना के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार उक्त क्षेत्र में कोई केन्द्रीय अथवा संयुक्त राज्यपरियोजनाएं स्थापित करने के बारे में योजना बना रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) सिंचाई राज्य का विषय है और सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी विकासात्मक योजनाओं के ढांचे के अन्दर किया जाता है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक-ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी खास स्कीम, स्कीम-समूह अथवा विकास के शीर्ष के साथ जुड़ी नहीं होती

(ख) जी, नहीं।

Housing Problem of the Central Government Employees

1896. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) Government's future scheme and policy for solving the housing problem of the Central Government employees ;

(b) the extent to which Government have achieved success in this regard during the last two years ; and

(c) the number of employees likely to be provided accommodation by Government in the ensuing financial year?

The Minister of Works & Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghu Ramiah) : (a) The Government's policy s to build, in areas of large concentration of employees principally in the bigger cities, or where considered necessary, in the interest of its work, a certain number of houses for its employees. It also has a scheme of giving House Rent Allowance, to assist the employees in hiring private accommodation in some of the bigger cities, where due to the pressure of population, houses may not be available on a cheap rate of rent. This benefit is also extended to people residing in their own houses, so that they may not ask for government accommodation. It also has a scheme of giving House Building Advance to enable employees to build their own houses, as far as possible.

These policies/schemes, have been there for sometime, are proposed to be continued in future also.

(b) The size and pace of the building programme as also of the grant of house building advance, depend on the availability of funds and other resources. During 1972-73 and 1973-74, 1379 houses and 320 apartments were built in the general pool, and a sum of Rs. 23.42 crores was sanctioned as house building advance.

(c) About 1,870 residential units are likely to be ready for allotment to Central Government employees during the year 1975-76 in general pool.

विशेषज्ञ समिति के ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा प्रस्तुत योजना

1897. श्री रोबीन काकोटी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ समिति के ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण आयोग के सुझाव के अनुसार डिब्रूगढ के ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण और भूमि कटाव केन्द्र के पूर्वी क्षेत्र द्वारा कोई योजना प्रस्तुत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक प्रस्तुत की गई थी और इसे कब अन्तिम रूप से मंजूरी दी गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) और (ख) ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग ने अपने सलाहकारों के बोर्ड की सिफारिशों के आधारपर कटावसे भेजनें क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक स्कीम तैयार की थी और यह स्कीम जनवरी, 1975 में केन्द्र को प्राप्त हुई थी। केन्द्रीय जल आयोग में इसकी जांच करनेके पश्चात इस स्कीम में कुछ परिवर्तन किये गये तथा उसके पश्चात ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग के सलाहकारों के बोर्ड ने 24 जनवरी, 1975 को हुई अपनी बैठक में 58.5 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर इस स्कीम को स्वीकृति दे दी थी। केन्द्रीय जल आयोग ने बाढ नियंत्रण स्कीमों पर कार्यवाही करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया की अपेक्षाओं के अनुसार इस स्कीम को कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति देने हेतु, योजना आयोग को भेज दिया है।

मदर्स इंटरनेशनल स्कूल, नई दिल्ली में नर्सरी विंग का बन्द होना

1898. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित मदर्स इंटरनेशनल स्कूलने अचानक अपना नर्सरी विंग बन्द कर दिया है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप 5 से 10 वर्ष के सेवा वाले एक दर्जन अध्यापक भी बेरोजगार हो गये हैं ;

(ग) क्या इसी स्कूलने दो वर्ष पूर्व लगभग 20 अध्यापकों को बर्खास्त कर दिया था ;

(घ) क्या उस समय सरकारने स्कूल को नियंत्रण में लेने का निर्णय किया था लेकिन बाद में प्रबन्धकों द्वारा आश्वासन दिये जाने पर उक्त योजना को त्याग दिया था; और

(ङ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, स्कूल का नर्सरी विभाग, जो मान्यता प्राप्त नहीं है, हाल ही में बन्द कर दिया गया है। नर्सरी कक्षाएं बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप, लगभग 10 अध्यापकों की सेवाएं प्रबन्धकों द्वारा समाप्त कर दी गई हैं। अध्यापकों की सेवा अवधि के बारे में मालूम किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) चूंकि यह नर्सरी स्कूल दिल्ली प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है इसलिए दिल्ली प्रशासन द्वारा इसे अपने नियन्त्रण में लिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब सरकार को उर्वरक विक्रेताओं के विरुद्ध मामले वापिस लेने का निदेश

1899. **श्री हरी सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को दानेदार की चड़ की उर्वरक के रूप में कथित बिक्री में अन्तर्गस्त लुधियाना जिले के उर्वरक विक्रेताओं के विरुद्ध मामले वापिस लेने के बारे में केन्द्रीय सरकारने पंजाब सरकार को निदेश दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) तथा (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच सम्बन्धी अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया था कि पंजाब सरकार के अधिकारियों ने पहले जिन विक्रेताओं के विरुद्ध शिकायत दायर की थी उनको कुछ अन्य व्यक्तियों ने धोखा

दिया था। उन व्यक्तियोंने बनावटी उर्वरक को वास्तविक आयातित डी० ए० मी० के रुप में इन विक्रेताओं को बेच दिया था। वास्तव में इन विक्रेताओं ने ऐसे उर्वरकों के लिए सामान्य मूल्य के आधार पर पूरी अदायगी की थी। इस पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कृषि मंत्रालयसे अनुरोध किया था कि वे पंजाब राज्य के अधिकारियों को सुझाव दे कि वे इन विक्रेताओं के विरुद्ध मामलों को वापस लें ले। ऐसी स्थिति में कृषि मंत्रालयने पंजाब सरकार को ऐसा करने का सुझाव दिया था? इस मामले की विस्तृत स्थिति के सम्बन्ध में पंजाब के पुलिस अधिकारियोंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों के साथ भी विचार विमर्श किया था। इसके पश्चात पंजाब सरकार के अधिकारियोंने इन विक्रेताओं के विरुद्ध मुकदमें वापिस ले लिए। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दोशी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक मुकदमा न्यायालय में दायर कर दिया है

Scheme for Providing Drinking Water to the Adivasis Area

900. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether thousands of Adivasis in Karhal Sub-division of district Morena (M.P.) do not have the facility of drinking water ;

(b) whether the Central Government have formulated any scheme for providing drinking water in that area ;and

(c) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Works & Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghu Ramia) : (a) Rural Water Supply is in the State Sector, and is included under the Minimum Needs Programme during the V Plan. The particular information has been called from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the Table o, the Sabha.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

राज्य सरकारों को सूखे और राहत कार्यों के लिए आबंटित धन राशि का दुरुपयोग

1901 श्री अनादि चरण दास :

श्री डी० डी० देसाई :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री पी० गंगादेव :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को सूखे और राहत कार्यों के लिये आबन्टित धनराशि का दुरुपयोग किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार उक्त धनराशि के उपयोग पर निगरानी रखेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अण्णासाहिब पटेल) : (क) से (ग) मुख्यतः यह राज्य सरकारोंका ही उत्तरदायित्व है कि वे प्राकृतिक संकटों के राहत कार्यों पर होनेवाले खर्च पर बड़ी निगरानी रखते हुए यह सुनिश्चित करें कि दी गई धनराशि का सदउपयोग हुआ है या नहीं। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है इस कार्य के लिए दी गई वित्तीय सहायता का निर्धारण खर्च लेखा परीक्षित आंकडों के आधार पर ही किया जाएगा।

2. छटे वित्त आयोग जिसने सहायता सम्बंधी कार्यो पर खर्च होने वाले धन की व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया था, का मत है कि सूखा से राहत देने के नाम पर होने वाले खर्च में काफी धन की बरबादी होती है और यदि ठीक तरीके से योजना बनाई जाए तो अधिक स्थायी लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि राहत कार्यो पर व्यय होने वाले खर्च के एक बड़े भाग को उन योजनाओं पर लगाया गया है जो जल्दी में तैयार की गई हैं और वे प्रायः अलाभकर सिद्ध हुई हैं। उनसे सूखा तथा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में कोई स्थायी सुधार नहीं हुआ है। अतः उन्होंने सिफारिश की है कि राहत कार्यो पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए राज्यों को सहायता देने हेतु जो प्रबन्ध चौथी योजनावधि के अंत तक लागू थे उनमें पूरी तरह परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उनकी सिफारिश के अनुसार सूखे तथा बाढ़ों से प्रभावित क्षेत्रों के स्थायी सुधार के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए और उन्हें योजना मे पूरी तरह से शामिल किया जाना चाहिए। राहत कार्यो के लिए राज्यों को दी जाने वाली कोई भी सहायता योजना के भाग के रूप में समझी जानी चाहिए और उसे समग्ररूप से योजना के लिए राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में समायोजित किया जाना चाहिए। इस सम्बंध में वित्त आयोग की सिफारिशें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं और चालू वित्तीय वर्ष से गैर-योजना खर्च के लिए केन्द्रीय सहायता देने की पिछली नीति को रद्द कर दिया गया है वर्तमान नीति के अनुसार केन्द्रीय सहायता आवश्यकतानुसार स्टेट प्लान सम्बन्धी अग्रिम सहायता या सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम आदिवासी विकास की योजना के उपबंधों आदि के अंतर्गत दी जाएगी

3. चूंकि केन्द्रीय सहायता केवल योजना सहायता की अग्रिम राशि के रूप में होगी, अतः सामान्य प्लान स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति राहत योजनाओं और खर्च पर भी लागू होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त स्थिति पर नजर रखने के लिए प्रभावित राज्यों से पाक्षिक रिपोर्ट भी मांगी जाएगी।

गुजरात में राहत कार्य के लिए ऐच्छिक सामाजिक एजेंसी का कार्यक्रम

1902. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री बैकारिया :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में राहत कार्य के लिए कोई ऐच्छिक सामाजिक एजेन्सियां कार्य कर रही हैं ;

(ख) क्या उक्त एजेन्सियों ने कोई सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात सरकार को राहत कार्यों के लिए वित्तीय सहायता

1903. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री डी० पी० जडेजा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने राज्य में अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों पर व्यय के लिए कितनी वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध किया है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने 31 दिसम्बर, 1974 तक कुल कितनी धनराशि दी; और

(ग) धनराशि क्षेत्र-वार किस प्रकार खर्च की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) 50.22 करोड़ रुपये।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

द्रुत रोजगार कार्यक्रम के लिए राज्यों को धनराशि का आबंटन

1904. **श्री ... :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में द्रुत रोजगार कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को आबन्टित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न राज्यों ने कितनी धनराशि खर्च की और उन्होंने किस प्रकार के काम किये;

(ग) कितने रोजगारों के अवसर उत्पन्न किए गए और कितने अवधि के लिए किए गए;

(घ) क्या उक्त योजना जारी रहेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है, जिसमें वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 में राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को आबन्टित की गई निधियां, व्यय की गई धनराशि, पैदा किया गया रोजगार और लघु सिंचाई, भू-संरक्षण, ग्रामीण सड़कों आदि के अलावा शुरू किए गए निर्माण कार्य दिए गये हैं। **(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–9064/75)** मजदूरों को भिन्न भिन्न अवधियों के लिए रोजगार प्रदान किया गया था।

(घ) जी नहीं। यह योजना 1 अप्रैल, 1974 से बन्द कर दी गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात के अभावग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य

1905. **श्री बेकारिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों में आरम्भ किये गये सहायता कार्यों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) गत छः महीनों में महावार तथा जिलावार कितनी धनराशि निर्धारित की गई तथा कितनी कम की गई; और

(ग) अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अरालम फार्म, केरल के बारे में प्रतिवेदन

1906. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अरालम राज्य फार्म के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं की जांच करने वाले सरकारी दल ने अभी तक अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं और प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) केरल में अरालम राज्य फार्म के कार्य-कलापों के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए स्थापित किये हुए सरकारी दल ने अभी तक सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। दल को भूमि विकास, मृद संरक्षण सिंचाई आदि अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के विकास और फार्म में अपनाये जाने वाले फसल-सम्बन्धी कार्यक्रमों के विषय में जानकारी एकत्र करनी थी और इस सारे कार्य में कुछ समय लगेगा। आशा है केन्द्रीय दल शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

इण्डियन हिस्टोरिकल वर्क्स इन एडिक्युएट शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1907. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 फरवरी, 1975 के स्थानीय दैनिक में "इण्डियन हिस्टोरिकल वर्क्स इन एडिक्युएट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्रों में प्रकाशित टिप्पणियां एक व्यक्ति का दृष्टिकोण है और वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। ऐसी पुस्तकें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, जिनमें भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलु दिये गये हैं।

भारतीय विश्वविद्यालयों में ट्युटोरियल प्रणाली समाप्त करना

1908. **श्री राम सहाय पांडे :**
श्री हरी सिंह :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विश्वविद्यालयों में सुस्थापित ट्यूटोरियल प्रणाली समाप्त करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) देश के केवल थोड़े से विश्वविद्यालयों में ही ट्यूटोरियल प्रणाली अच्छी प्रकार से स्थापित की गई है। इस प्रणाली को समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन नहीं है।

पिसाई के लिए निर्धारित लाभ और गेहूं उत्पादों के लिए निर्धारित मूल्य

1909. **श्री शरद यादव:** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार ने विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बेलन मिलों के लिए मिलर का लाभ कोई निर्धारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष, 1972, 1973 और 1974 में पिसाई (मिलिंग) के लिए कितना लाभ निर्धारित किया गया ;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 1972, 1973 और 1974 में केन्द्र और राज्यों ने गेहूं उत्पादों के कोई मूल्य निर्धारित किए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पं० शिन्दे): (क) से (घ) विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की रोलर आटा मिलों के लिए सूजी, मैदा आदि (फाइन्स) के बारे में स्वीकृत पिसाई लाभ 1972 में 90 रुपये से 98.6 रुपये प्रति मी० टन, 1973 में 90 रुपये से 97.4 रुपये प्रति मी० टन और 1974 में 98 रुपये से 117.3 रुपये प्रति मी० टन भिन्न भिन्न रहा है। होल मी० आटा के लिए यह 1972 में 50.2 रुपये से 51.2 रुपये प्रति मी० टन, 1973 में 49.2 रुपये से 50.2 रुपये प्रति मी० टन और 1974 में 54.9 रुपये प्रति मी० टन था।

केन्द्र सरकार ने 1972, 1973 और 1974 में गेहूं के उत्पादों के जो मूल्य निर्धारित किए थे उन्हें संलग्न अनुबंध– 1 में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9065/75**] गेहूं की नई नीति लागू होने के कारण राज्य सरकारों से यह कहा गया था कि वे खुले बाजार में चल रहे गेहूं के मूल्यों और बाद में विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित किए गए थोक मूल्यों पर जो कि अधिकांश मामले में 170/– रुपये प्रति क्विटल के आस पास थे, केन्द्रीय पूल से दिए गए गेहूं के आधार पर गेहूं के पदार्थ के मूल्य निर्धारित करे। इस प्रकार, केन्द्रीय सरकार की सहमति से विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित गेहूं उत्पादों के मूल्य संलग्न अनुबन्ध–2 में दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9065/75**]

नेत्रहीनों को रोजगार

1910. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण** और **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न वर्कशापों में प्रशिक्षित नेत्रहिनों को रोजगार प्रदान करने के लिए आगे क्या कार्यवाही कि गई है ; और

(ख) क्या उनके मामले में कुछ रियायतें दी गई है और यदी हां, तो उक्त रियायतें क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) विकलांग व्यक्तियों के लिए समाज कल्याण विभाग की छात्रवत्तियों की योजना का संशोधन कर दिया गया है ताकि 14 से 40 वर्ष तक की आयु के विकलांग व्यक्तियों को जिनमें नेत्रहिन व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र देहरादून के प्रशिक्षणार्थ शामिल हैं। 100 रुपए प्रति मास के वजीफे पर एक वर्ष तक की अवधि के लिए स्वीकृत औद्योगिक संस्थापनों में इम्प्लांट प्रशिक्षणार्थीयों के रुप में लगाया जा सके।

किसी विशिष्ट संस्था के व्यक्तियों के संबंध में कोई ढील दिए जाने की इजाजत नहीं है। श्रेणी 3 और श्रेणी 4 केन्द्रीय सेवाओं में प्रवेश के प्रयोजन के लिए विकलांग व्यक्तियों को, जिनमें नेत्रहीन व्यक्ति भी शामिल हैं, उच्च आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है।

तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण

1911. **श्री एस० एम० बनर्जी:** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्लीमेंतीसरी और चौथीश्रेणी केकर्मचारियों केलिये मकानों के निर्माणहेतु और क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इसप्रयोजनोंकेलिए पांचवी योजनामें कितनी धनराशि स्वीकृतकी गई है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) अगस्त 1973 में सरकारनेऐसेनएनिर्माणकार्यअथवाकार्योंकोशुरुकरने पर प्रतिबंध लगा दिया था जो कुरसीस्तर से उपर नहींबनेथे। यह प्रतिबंध अभी लागू है । अत: केवल ऐसी पुरानी और चल रहीयोजनाएं पूर्ण की जा रही हैं जो प्रतिबंध लगने से पूर्व कुरसीस्तर पर कर चुकी थी। श्रेणी III तथा IV श्रेणी के कर्मचारि सामान्यतया टाईप–II और टाईप I के मकानोंकेपात्र हैं। चल रही योजनाओं में, 1974–75के दौरान टाईप IIके 148 मकान बनाए गए हैं तथाटाईप I और टाईप II के 580 मकान निर्माणाधिन है। वर्ष 1975–76 के दौरान टाईप I तथा टाईप II के लगभग 500 मकानों का निर्माण कार्य आरंभ करने का प्रस्ताव है यदि इन्हें प्रतिबंध से छुटमिल जाए।

(ख) चूंकि पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सामान्य पूलवास का निर्माण करने के लिए कोई निश्चित नियतन नहीं किया गया है, अत: श्रेणी III औरश्रेणी IV -के कर्मचारियों के लिए मकानों के निर्माण हेतु कोई विशिष्ट राशि स्वीकृत नहीं की गई .तथापि, अधिकतर निर्माण केवल निम्न आयवर्ग के कर्मचारियों, के लिए ही किए जाते हैं ।

गवर्नमेंट बायज हायर सेकन्डरी स्कूल मादीपुर दिल्ली के प्रिंसिपल के विरुद्ध जांच की मांग ।

1912. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेन्ट बायज हायर सैकण्डरीस्कूल, मादीपुर, नईदिल्लीकेशिक्षकवर्गने 2 फरवरी 1972केअपने एक संयुक्तआवेदनमें उक्त स्कूल के प्रिन्सिपलकेविरुद्ध, उसके द्वाराकिए गए धनराशि के कथित दुरुपयोग तथाबहुतसी भूल-चूकतथा कथित गलत कार्यों के लिए जांच की मांग की है ;

(ख) क्याकुछ संसद सदस्योंनेभी इस मामलेके सम्बन्धमें दिल्ली प्रशासन को लिखा है;

(ग) क्याप्रिन्सिपल ने शिक्षक वर्ग को परेशान करनातथा उनकेविरुद्ध कार्यवाही करना आरम्भ कर दिया था ; और

(घ) यदिहांतो उनके मंत्रालय का विचार शिक्षक वर्ग के हितों को किस प्रकार सुरक्षित रखने का है और शिक्षक निदेशालय ने गत तीन वर्षों से किन कारणों से कार्यवाही नहीं की ?

शिक्षा और समाज कल्याणमंत्रालयतथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) और (ख) जी, हां;

(ग) और (घ) शिक्षा निदेशालय को 1972 में ही इस शिकायत की जानकारी थी और उसने जांच-पड़ताल शुरू करदीथी जो अभीभी जारीहै। निदेशालय को इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है कि प्रिन्सिपल कर्मचारियों को परेशान तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है।

राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रादेशिक केन्द्र

1913. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्य मुख्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना के अनेक प्रादेशिक केन्द्र स्थापित किये थे जिनमें कर्मचारियों के पास कोई काम-काज नहीं है;

(ख) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के एक अधिकारी ने इस बारे में मंत्रालय को लिखा था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या वित्तीय कठिनाइयों के इन दिनों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिये उनके मंत्रालय का विचार राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के सभी प्रादेशिक केन्द्रों को तुरन्त बन्द करने और यह काम सीधे विश्वविद्यालयों को सौंप देने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय सेवा योजना का कारगर ढंग से कार्यान्वयन तथा विभिन्न युवक कार्यक्रमों के आकार तथा उनकी बढ़ती हुई संख्या में समन्वय करने के लिए, राज्य तथा विश्वविद्यालय स्तर पर सम्पर्क स्थापित करने हेतु, राष्ट्रीय सेवा योजना के 4 क्षेत्रीय केन्द्र अहमदाबाद, कलकत्ता, चण्डीगढ तथा मद्रास में, और राष्ट्रीय सेवा योजना के 11 क्षेत्रीय केंद्र बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, पटना, पुना, गोहाटी. जयपुर और त्रिवेन्द्रम में कार्य कर रहे हैं। ये कार्यालय, राज्यों तथा विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना के न केवल उपयुक्त कार्यान्वयन तथा भूतपूर्व स्वस्थता कोर के शेष कार्य को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है अपितु विभिन्न राज्यों तथा विश्वविद्यालयों में अन्य युवक कार्यक्रमों को देखभाल करने के लिए भी जिम्मेदार है। ये, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा अन्य युवक कार्यक्रमों के आयोजन तथा कार्यान्वयन में भी सहायक करते हैं। इन्होंने, राष्ट्रीय सेवा योजना के एक भाग के रूप में, 1973 के दौरान युवक बनाम अकाल अभियान तथा 1974-75 के दौरान युवक बनाम गन्दगी तथा बीमारी अभियान के अन्तर्गत विशेष शिविरों के आयोजन तथा कार्यान्वयन में सहायता की है। इन कार्यालयों की मासिक रिपोर्टों से यह पता चलता है कि ये अपने कार्य में सक्रिय रहे हैं।

2. पांचवीं योजना में युवक कल्याण की महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन को सक्रिय बनाने तथा उसमें मदद देने के लिए इन अधिकारियों का उपयोग करने की आवश्यकता को देखते हुए इन कार्यालयों को बन्द किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, छात्र तथा गैर छात्र युवक कार्यक्रम के बढ़े हुए क्षेत्र और आकार के बावजूद, क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नही की जा रही है।

राज्य सरकारों को राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कर्मचारियों के लिये सहायता अनुदान दिया जाना

1914. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय राज्य सरकारों को यात्रा भत्ते, साइकल अग्रिम धन राशि, मोटर गाड़ी अग्रिम धनराशि, त्यौहार अग्रिम धनराशि, गृहनिर्माण अग्रिम धनराशि, राष्ट्रीय अनुशासन योजना के कर्मचारियों के वार्षिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, आदि से सम्बन्धित राष्ट्रीय स्वस्थ्यता कोर के कर्मचारियों के लिये सहायतानुदान नहीं दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत वर्ष में मद-वार, जैसाकि ऊपर लिखा गया है और राज्यवार, कितना सहायता अनुदान दिया गया ?

शिक्षा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कार्मिकों तथा राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कार्य के लिए राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध किए गए प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों का खर्चा वहन करने के लिए राज्य सरकारों को सहायक अनुदान संस्वीकृत किए जाते हैं। अग्रिम धन संस्वीकृत करने के लिए राज्य सरकारों को कोई धनराशि नहीं दी गई है। पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है।

(ख) इन अनुदेशकों से संबंधित प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों को स्थानान्तरित करना, उन्हें आखिरकार राज्य सेवा में खपाने के लिए उठाया गया कदम है। इस संक्रमण काल के दौरान, इन अनुदेशकों तथा प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तो का खर्चा वहन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय बीज निगम का कार्यकरण

1915. **श्री वीरेंद्र सिंह राव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री राष्ट्रीय बीज निगम के कार्यकरण के बारे में 11 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 128 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर में उल्लिखित जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) राज्यसभा के सदस्य श्री वी० एन० गाडगिल तथा राष्ट्रीय बीज निगम के निदेशक की अध्यक्षता में नियुक्त हुई समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और सरकार उस पर विचार कर रही है। जहां तक बंगाला देश को आलू के बीजों के निर्यात सम्बन्धी व्यापार की जांच का सम्बन्ध है, जांच अधिकारी ने सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उनके निष्कर्ष से पता चलता है कि इस व्यापार में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा उठाई गई हानि के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले आरोप सही नहीं हैं। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि परिवहन सम्बन्धी करार के मामले में कोई अनियमितता नहीं की गई है। सरकार ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है।

रबी फसल अनाज के बारे में निर्बंध व्यापार नीति

1916. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 24 जनवरी, 1975 के अंग्रेजी के एक स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार का पता है जिसमें लिखा था कि फेडरेशन आफ आल इण्डिया फुडग्रेन डीलर्स एसोसिएशन ने आगामी रबी फसल से अनाज के बारे में राष्ट्रीय निर्बन्ध व्यापार नीति बनाने की मांग की है ;

(ख) क्या उक्त फेडरेशन ने गेहूं वसूली मूल्य की वर्तमान 105 रुपये प्रति क्विटल की दर से बढ़ा कर 130 रुपये प्रति क्विटल कर देने के विचार का भी समर्थन किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त मांग पर विचार किया है और उसके क्या परिणाम निकले है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित ऐसे समाचार देखे हैं।

(ग) रबी विपणन मौसम, 1975-76 के लिए मूल्य और अधिप्राप्ति नीति राज्य सरकारों के परामर्श से बहुत ही जल्द तैयार की जाएगी।

CENTRAL ASSISTANCE FOR DEVELOPMENT OF IRRIGATION IN BIHAR

1917. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Bihar Government has forwarded a scheme to his Ministry for development of irrigation in Bihar during the year 1975-76 and has asked for assistance for the implementation thereof;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri K. N. Singh :(a) & (b) The Government of Bihar has requested for assistance of Rs. 17.33 crores, outside the State plan ceiling, for execution of 346 minor irrigation schemes to benefit 0.85 lakh hectares (2.0 lakh acres) of land in Chotanagpur and chronically drought prone districts of South Bihar.

(c) According to the present indications, all available resources from all sources have been assessed within which the Fifth Five Year Plan has been formulated. Therefore, question of provision of any outside the Plan assistance to States to be accounted for as a separate allocation not connected with the approved/to be approved Fifth Plans of States does not arise.

On the basis of the avaiable resources, the tentative outlay presently under consideration of the Planning Commission for the overall Fifth Plan of Bihar amounts to Rs. 1267.43 crores of which allocation proposed for minor irrigation is Rs. 84 crores. The outlay approved for 1974-75 and that under consideration for 1975-76 for minor irrigation are Rs. 10.50 crores and Rs. 12.45 crores respectively.

खेल कूद पर खर्च की गई धनराशि

1918. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 में खेल-कूद की सभी प्रकार की गतिविधियों पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) फुटबाल और हाकी पर वास्तव में कितनी धनराशी खर्च हुई; और

(ग) विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों को कितने खेल अनुदान दिये गये हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग मे उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) 93.92 लाख रुपये।

(ख) फुटबाल के लिए एक लाख रुपये, हाकी के लिए 1.83 लाख रुपये।

(ग) 23 विश्वविद्यालयो को 8.91 लाख रुपये।

आयातित खाद्यान्न की लागत में वृद्धि

1919. **श्री अनादि चरण दास :**
श्री पी० गंगादेव :
श्री श्री किशन मोदी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित खाद्यान्न की लागत में अत्यधिक वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) विश्व की मंडियों में खाद्यान्नों के मूल्यों और भाड़े की दरों में असाधारण वृद्धि हो जाने के कारण, 1973 के मुकाबले में 1974 में आयातित खाद्यान्नों की कीमत में काफी वृद्धि हुई है। तथापि, विश्व के बाजारों में जनवरी, 1975 से खाद्यान्नों के मूल्यों में कुछ नरमी आयी है। भारत सरकार का खाद्यान्नों के मूल्यों और भाड़े की दरों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों पर कोई नियन्त्रण नहीं है ये तो विश्व की सप्लाई तथा मांग स्थिति पर निर्भर करते हैं।

नर्मदा पर बांध का निर्माण

1920. **श्री नाथूराम सिंह चौधरी:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश को नर्मदा तथा उसकी सहायक नदियों पर बार्गी, पुनासा तथा अन्य बांध बना कर फालतू पानी का उपयोग करने के लिये कार्यवाही करने की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं जब कि नर्मदा नदी की आश्वासित जल योजना गुजरात द्वारा मांगी गई मात्रा से बहुत बड़ी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : जुलाई, 1974 में वादो राज्यो के बीच हुए समझौते के अनुसार मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच जल के बटवारे का प्रश्न नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया गया है। न्यायनिर्णयन संबंधी कार्यवाही चल रही है। बहरहाल, केन्द्र द्वारा दोनो राज्यों में न्यायाधिकरण के सम्मुख उनके कार्यों पर बिना कोई प्रभाव डाले, इस बेसिन में कुछ स्कीमों के निर्माण कार्य को हाथ में लेने के लिए मैत्रीपूर्ण हल ढूंढने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग के वन बागान

1921. **श्री टुना उरांव :**
श्री शक्ति कुमार सरकार :
श्री कुमार माझी :
श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपयोग वन बागान के बारे में 18 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 904 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में वन विकास के अधीन औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिये व्यावसायिक बागान योजना का राज्यवार कार्यक्रम क्या है ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) अतारांकित प्रश्न संख्या 904 द्वारा देश के उत्तरी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गई थी। मणिपुर के अतिरिक्त इस क्षेत्र में स्थिति सभी राज्यो और संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त हो गई है जिसे विवरण में दे दिया गया है। मणिपुर से जानकारी प्राप्त होनी है और प्राप्त होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा। यह एक राज्य क्षेत्र की योजना है।

विवरण

उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में राज्यों और संघ राज्यो क्षेत्रों द्वारा 1974–75 के दौरान औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए व्यावसायिक बागान योजना के लिये किये गये आवंटन

(लाख रुपये)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1974–75 के दौरान किये गये आबंटन
राज्य	
असम	26.33
बिहार	11.00
मणि पुर	अभी नहीं प्राप्त हुई
मेघालय	6.00
नागालैण्ड	2.75
उड़ीसा	13.50
त्रि पुरा	10.67
पश्चिम बंगाल	9.60
संघ राज्य क्षेत्र	
अरूणाचल प्रदेश	5.60
मिजोराम	2.00

घमरा उडीसा में मछली पकडने का पत्तन

1922. **श्री अर्जुनसेठी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा के बालासोर जिले में घमरा में मछली पकड़ने के पत्तन के बारे में अतिरिक्त जानकारी का अपेक्षित स्पष्टीकरण राज्य सरकार से प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पांचवीं योजना में पत्तन परियोजना को क्रियान्वित करने के बारे में अन्तिम निर्णय कब तक हो सकेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय म उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) सरकार इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

उडीसा में पेय जल की कमी

1923. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा राज्य में अधिकांश ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों में पेय जल की सुविधाओं को कमी का पता है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में चालू वित्तीय वर्ष में क्या योजना बनाई है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में इस प्रयोजन के लिए कितने "वाटर टेंकर" सप्लाई किये गये और उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिबपी० शिन्दे): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि उद्योग समूहों की स्थापना के लिये बुल्गारिया से पेशकश

1924. **सरदार स्वर्णसिंह सोखी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुलगारिया ने देश के विभिन्न भागों में कृषि-उद्योग समूह स्थापित करने की पेशकश की है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य के लिये उत्तर तथा दक्षिण बिहार में स्थानों का चयन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो बिहार में किन-किन स्थानों का चयन किया गया है और कृषि-उद्योग समूहों की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) नयी दिल्ली में 7 से 11 अक्तूबर, 1974 के बीच हुई भारत-बुलगारिया संयुक्त आयोग की पहली बैठक में, भारत और बुलगारिया के बीच सहयोग के लिए जिन मुद्दों पर सहमति हुई, उनमें से एक भारत में दो कृषि-उद्योग कम्प्लेक्स की स्थापना थी। इनमें से एक की कर्नाटक में तथा दूसरी की बिहार में स्थापना की जाएगी। बिहार में इस कृषि-उद्योग कम्प्लेक्स की स्थापना के लिए वैशाली जिले में प्रायोगिक तौर पर एक स्थान का चयन कर लिया गया है। इस कृषि-उद्योग कम्प्लेक्स की प्रमुख विशेषताएं सम्बद्ध क्षेत्र में, बागबानी और अन्य कृषि-संबंधित जिन्सों के उत्पादन, संसाधन और विपणन को समाकलित (संघटित) करना है, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो तथा लाभकारी रोजगार के और अधिक साधन उपलब्ध हों।

राज्यों द्वारा नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के बारे में कानून बनाया जाना

1925. **श्री डी० बी० चन्द्रगोडा :**

श्री चौधरी राम प्रकाश :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के बारे में कानून पास किये हैं; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के बारे में कानून बनाने का निर्णय किया है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जम्मू तथा कश्मीर शहरी सम्पत्ति (अधिकतम सीमा) विधेयक, 1971, राज्यपाल की अनुमति प्राप्त करने के बाद 11-10-1971 को अधिनियम बना। तथापि, अधिनियम को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

असम, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान के राज्यों की विधान सभाओं ने शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर कानून पारित कर दिये हैं। उन्हें अभी तक राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) निम्नलिखित राज्यों ने संसद को कानून बनाने के लिये प्राधिकृत कर दिया है:—

(1) आन्ध्र प्रदेश

(2) गुजरात

(3) हरियाणा

(4) हिमाचल प्रदेश

(5) कर्नाटक

(6) महाराष्ट्र

(7) उड़ीसा

(8) पंजाब

(9) त्रिपुरा

(10) पश्चिम बंगाल

कर्नाटक को मुख्य, मध्यम और छोटी सिंचाई योजना के लिए वित्तीय सहायता

1926. **श्री के० लकप्पा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कर्नाटक को मुख्य, मध्यम और छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) चालू वर्ष में कितनी धनराशि दिये जाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय है और सिंचाई योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा उनकी विकास की कुल योजनाओं के ढांचे के अंतर्गत की जाती है। राज्य योजनाओं में धन लगाने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है पर यह ब्लाक ऋणों और अनुदानों की शक्ल में होती है और यह विकास के किसी शीर्ष अथवा परियोजना से जुड़ी नहीं होती।

पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्षों के दौरान कर्नाटक को दी गई ब्लाक केन्द्रीय सहायता निम्न-लिखित है :—

1972–73	35.50 करोड़ रुपये
1973–74	35.46 करोड़ रुपये
1974–75	35.46 करोड़ रुपये

इसके अतिरिक्त कर्नाटक को 1972–73 के दौरान आपाती कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत 529.9 लाख रुपये तथा 1973–74 के दौरान राज्य के भू–जल संगठनोंकी मजबूत करने लिए सहायता की शक्ल में 11.00 लाख रुपये दिए गए थे।

वर्ष 1975 में राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उर्वरक की सप्लाई

1927. श्री के० लकप्पा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों की उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उर्वरकों को सप्लाई करने संबंधी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) कर्नाटक को वर्ष 1974 में कितने उर्वरकों का आबंटन किया गया और वर्ष 1975 में कितने आवंटन करने का विचार है ; और

(ग) इस से राज्य की कितनी आवश्यकता पूरी होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं। भारत सरकार राज्यों को उर्वरकों की सप्लाई करने के मामले में कोई विशेष कठिनाई अनुभव नहीं कर रही है।

(ख) 74 के खरीफ तथा 74–75 के रबी के मौसमों के दौरान राज्य की उर्वरकों की निवल मांग लगभग 2.84 लाख मीटरी टन थी, जिसमें से उन्हे 2.71 लाख मीटरी टन की मात्रा अलाट की गई थी। 1975 के खरीफ मौसम के लिए राज्य की उर्वरकों की निवल मांग लगभग 1.61 लाख मीटरी टन होगी। इसमें से राज्य को 0.8 लाख मीटरी टन की मात्रा अलाट की जा चुकी है। 75 के खरीफ मौसम के लिए अगली अलाटमेंट अप्रैल, 1975 में की जायेगी।

(ग) 75 के खरीफ के लिये अभी और अलाटमेंट होनी है। इसके अतिरिक्त अभी रबी 75–76 की मांग का अनुमान भी लगाया जाना है अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि वर्ष 1975–76 में कर्नाटक राज्य की मांग को किस सीमा तक पूरा किया जा सकता है।

वर्ष 1974 में कर्नाटक को आबंटित खाद्यान्न

1928. श्री के० लकप्पा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 में केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्नाटक को, वस्तुवार, कितना खाद्यान्न आबंटित किया गया; और

(ख) चालू वर्ष में कितना खाद्यान्न आबंटित करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) केन्द्रीय भण्डार से खाद्यान्न का आबंटन राज्य सरकारों की आवश्यकताओं स्टाक, की उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रति माह किया जाता है। कर्नाटक को 1974

के दौरान, 1.03 लाख मी० टन गेहूं और 1.24 लाख मी० टन मोटा अनाज आबंटित किया गया था। 1975 की पहली तिमाही के लिए उस राज्य को 35,000 मी० टन गेहूं और 20,000 मी० टन मोटा अनाज आबंटित किया गया है।

Handling Charges of F. C. I.

1929. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**

Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Food Corporation of India incurred Rs. 26 per bag as handling charges in its wheat trade; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) The handing charges comprising of procurement and distribution cost incurred by the Food Corporation of India for 1974-75 on wheat is estimated at Rs. 24.98 per quintal as under :—

		Per quintal
1.	Procurement cost . . .	Rs. 9.93
2.	Distribution cost	Rs. 15.05
	Total	Rs. 24.98

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का कारोबार

1930. **श्री राजदेव सिंह : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में लारेंस रोड पर किस दर से भूमि अर्जित की थी;

(ख) इसके विकास पर कितनी लागत आई;

(ग) वाणिज्यिक तथा बड़े रिहायशी प्लाटों की नीलामी से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कितना लाभ कमाया; और

(घ) निम्न/मध्य आय वर्ग के लोगों को यह भूमि किस दर पर आवंटित की गई है?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैय्या) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये फ्लैटों के बारे में शिकायतें

1931. **श्री राजदेव सिंह : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकारी को शिकायतें मिली है कि एन०बी०सी०सी० के माध्यम से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये फ्लैट निर्माण, पलस्तर सामग्री और चिनाई के अन्य कार्यों की दृष्टि से घटिया हैं और उनमें अभी तक बिजली के सारे प्वाइंट नहीं लगाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार कोई उपचारात्मक कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है?

8—12 LSS (ND)/75

निर्माण और आवास मंत्री (श्री के० रघुरामैय्या): (क) पलस्तर के लिये घटिया किस्म की सामग्री के इस्तेमाल के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। बिजली की फिटिंग न करने के बारे में भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) जहां तक पलस्तर की सामग्री का प्रश्न है, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में परीक्षण करने के बाद इसे संतोषजनक पाया गया था। संरचनात्मक कठिनाइयों के कारण कुछ मकानों में बिजली की कुछ फिटिंग की व्यवस्था करने में देरी हो गई थी लेकिन यह काम अब दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आरंभ कर दिया है।

नवम्बर 1974 से जनवरी 1975 तक उड़ीसा को आबंटित किया गया तथा सप्लाई किया गया गेहूं।

1933. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को नवम्बर, दिसम्बर, 1974 और जनवरी, 1975 के लिए कितना गेहूं आबंटित किया गया;

(ख) क्या गहूं के कोटे में वृद्धि की गई है ;

(ग) इन महीनों के लिए उड़ीसा सरकार ने कितना गेहूं मांगा था; और

(घ) क्या नवम्बर और दिसम्बर, 1974 तथा जनवरी, 1975 में उड़ीसा को कुछ चावल सप्लाई किया गया था, और यदि हां, तो कितना ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) नवम्बर, 74 से जनवरी, 75 तक के दौरान उड़ीसा द्वारा मांगी गई और उसे आबंटित की गई गेहूं की मात्रा इस प्रकार है :—

माह	मांगी गई मात्रा	आबंटित मात्रा
नवम्बर, 74	33.5	25.0
दिसम्बर, 74	25.5	23.0
जनवरी, 75	20.0	23.0

(घ) अक्तूबर, 1974 में उड़ीसा को आबंटित धान की 5000 मी० टन की मात्रा में से 3000 मी० टन नवम्बर, 74 में सप्लाई की गई थी और शेष 2000 मी० टन को राज्य में स्थित भारतीय खाद्य निगम कुटवा रहा है ताकि उसे चावल के रूप में सप्लाई किया जा सके। उड़ीसा को चावल की कोई और मात्रा आवंटित नहीं की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद की पुरानी जानकारी वाली पाठ्यपुस्तकें

1934. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन:** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत कुछ पाठ्य-पुस्तकों में सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक मामलों के बारे में बहुत ही पुरानी जानकारी है ;

(ख) क्या समाज विज्ञान की कुछ पुस्तकों में निम्न स्तर का साम्यवाद विरोधी प्रचार है; और

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य पुस्तकों की विषय-वस्तु में सुधार करने और भविष्य में श्रेष्ठतर विषय-वस्तु रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग) सरकार को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तयार की गई पाठ्य-पुस्तकों को समय समय पर संशोधित किया जाता है और प्रत्येक नए संस्करण में से किसी भी विषय से संबंधित पुरानी पड़ गई सूचना निकाल दी जाती है और उसके स्थान पर अद्यतन सूचना शामिल कर दी जाती है। इसके अलावा, उद्देश्यात्मक विषयों को प्रस्तुत करने का ही लक्ष्य होता है और इनमें किसी प्रकार का भी प्रचार नहीं होता है।

निरक्षरता उन्मूलन के लिये स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

1935. श्री सी० के० चन्द्राप्पन: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में निरक्षरता उन्मूलन के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों की सहायता के लिए सरकार ने क्या योजनाएं बनाई तथा उन्हें कितनी धनराशि प्रदान की;

(ख) उन संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें इस सम्बन्ध में 1973–74 और 1974–75 में 1,00,000 रुपये या इससे अधिक धनराशि प्राप्त हुई तथा उनमें से प्रत्येक संगठन द्वारा किये गये कार्य की रुपरेखा क्या है ; और

(ग) निरक्षरता उन्मूलन की ये योजनाएं कितनी सफल तथा प्रभावकारी रही ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) सरकार प्रौढ़ शिक्षा (निरक्षरता के उन्मूलन सहित) के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करने की एक योजना का संचालन करती है। वर्ष 1973–74 के दौरान योजना के लिए 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी, और चालू वर्ष 1974–75 के लिए भी इतनी ही राशि निर्धारित की गई है।

(ख) पश्चिम बंगाल निरक्षरता उन्मूलन समिति को छोड़कर, कोई अन्य संगठन उस वर्ग के अन्तर्गत नहीं आता है, जिसे वर्ष 1973–74 तथा वर्ष 1974–75 के दौरान एक लाख रुपये से अधिक राशि अनुदान के रूप में प्राप्त हुई थी। इस संगठन ने 1375 प्रौढ़ साक्षरता केन्द्रों का आयोजन किया, 33,176 प्रौढ़ों को साक्षर बनाया, 2 प्राइमर (प्रत्येक की 50,000 प्रतियां) और चार्टों के 100 सैट प्रकाशित किए। प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों और पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिलों में सामूहिक साक्षर अभियान के लिए भी वे बंगला (प्रत्येक की 25,000 प्रतियां) और नेपाली प्रत्येक की 5,000 प्रतियां) में 4–4 पुस्तकें तैयार कर रहे हैं।

(ग) प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए गए अनेक योजनाओं में यह केवल एक योजना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य, स्वैच्छिक संगठनों को इस क्षेत्र में उनके कार्यक्रमों के संचालन में सहायता व प्रोत्साहन प्रदान करना है। यह सीमित उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है और कारगर सिद्ध हुआ है। पिछले चार वर्षों के दौरान, लगभग 1.4 लाख प्रौढ़ों के लिए 4,300 से अधिक साक्षरता केन्द्र आयोजित किए गए हैं, लगभग 50,000 नवसाक्षरों तथा उत्तर-साक्षरों के लिए

300 गश्ती पुस्तकालय आयोजित किए गए हैं, और इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त संगठनों द्वारा लगभग 110 प्रकाशन (पत्रिकाओं सहित) प्रकाशित किए गए हैं।

Acreage of land under irrigation during Fifth Plan

1936. Shri Shaankr Dayal Singh : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the State-wise area of irrigated land un-irrigated land in the country ;

(b) the acreage of land proposed to be irrigated in each State during the Fifth Five Year Plan and the total expenditure involved thereon ; and

(c) the acreage of un-irrigated land which remains uncultivated ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) State-wise area irrigated (gross) and unirrigated (gross) in 1971-72, according to the land utilisation for 1971-72, the latest year for which statistics are available, is given in the Annexure I. [*Placed in the Library. See No. L. T.*—9066/25].

(b) Additional gross irrigated area likely to be benefited during the Fifth Plan and expenditure likely to be incurred are given in Annexure II. [*Placed in the Library. See No. L. T.*—9066/75].

(c) The difference between the total cultivable land and the net area sown for 1971-72 which represents un-irrigated land not under cultivation during the year is given in Annexure III. [*Placed in the Library. See No. L. T.* 9066/75].

हरियाणा में पेय जल की कमी

1937. श्री राम प्रकाश : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा राज्य में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें और नगर पंचायतें हैं जहां पेय जल की कमी है ;

(ख) उक्त क्षेत्रों में पेय जल की कमी दूर करने के लिये क्या योजनाएं बनाई गई हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्य के लिये जल की कितनी टंकियां (टैंकर्स) सप्लाई की गई और उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री के० रघुरामैया): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना हरियाणा सरकार से एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नीति परिवर्तन का भारतीय खाद्य निगम की वसूली पर प्रभाव

1938. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन ने स्वीकार किया है कि नीति में परिवर्तनों तथा कई राज्यों द्वारा अपने खाद्य निगमों की स्थापना के बाद देश में खाद्यान्नों की वसूली की मात्रा में कमी हुई है ;

(ख) क्या चेयरमैन ने यह भी कहा है कि भारतीय खाद्य निगम की गतिविधियों में विविधता लाने तथा इस प्रकार उसकी तकनीकी जानकारी संसाधनों तथा फालतू जन शक्ति का प्रयोग करने के प्रयत्न किए जाते रहे ; और

(ग) यदि हां, तो नीति संबंधी इन परिवर्तनों का खाद्यान्न वसूली पर कितना प्रभाव पड़ा है तथा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष ने 1974–75 के रबी मौसम के दौरान खाद्य निगम द्वारा की गई अधिप्राप्ति और उसकी गतिविधियों के वर्गीकरण की आवश्यकता के बारे में टिप्पणी की है। चालू मौसम के दौरान गेहूं और चावल की अधिप्राप्ति अब तक क्रमशः 18.99 लाख मी० टन और 26.11 लाख मी० टन हुई है। गेहूं और चावल की अधिप्राप्ति में कमी मुख्यता गेहूं और चावल के उत्पादन में गिरावट आने के कारण हुई है।

किसानों को उनके स्थान पर सुविधायें उपलब्ध कराना

1939. श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

श्री के० एम० मधुकर :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का मंत्रालय किसानों को उन के स्थान पर कुछ सुविधाय उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में टी० ए० पाई समिति की रिपोर्ट को पुरी तरह क्रियान्वित कर दिया गया है ; और

(ग) समिति की अन्य सिफारिशें क्या थी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) से (ग) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—9067/75**]

राष्ट्रीय शिशु बोर्ड

1940. श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने एक राष्ट्रीय शिशु बोर्ड की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कार्य क्या-क्या होंगें ;

(ग) उक्त बोर्ड कब स्थापित किया गया ; और

(घ) उक्त बोर्ड के गठन के बाद से अब तक इस का कार्य निष्पादन कैसा रहा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (घ) राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन सरकार के संकल्प संख्या एफ 01–14/74 एन० सी० डी० दिनांक 3 दिसम्बर, 1974 के अधीन किया गया था। इस संकल्प की प्रति 4 दिसम्बर, 1974 को सभा के पटल पर रखी गई थी।

इस बोर्ड के कार्य नीचे दिए गए हैं :—

1. बालकों की आवश्यकताओं के बारे में जनबोध उत्पन्न करना तथा उसे बनाए रखना ;
2. बालकों के कल्याण से सम्बंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में लगी विभिन्न सरकारी और असरकारी संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले प्रयत्नों का समन्वय करना तथा उन्हें समेकित करना ;

3. विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना;

4. वर्तमान सेवाओं में कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करने के लिए उपायों का सुझाव देना ;

5. विभिन्न कार्यक्रमों को दी जाने वाली प्राथमिकताओं में परिवर्तन के विषय में समय-समय पर सुझाव देना ।

कुछ सम्बन्धित राज्य सरकारों से नामांकनों की प्रतीक्षा की जा रही है। इसलिए बोर्ड की कोई भी बैठक अब तक नहीं हो सकी है।

Talks with social welfare Ministers of various states on Prohibition

1941. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have held talks on prohibition with the Social Welfare Ministers of various States during the last two years ; and

(b) if so, the outcome thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) and (b) The Government have held discussions with the Ministers of States who are in charge of Prohibition at two meetings of the Central Prohibition Committee held on 24th March 1973 and 26th March 1974. In States, Social Welfare Ministers are not in charge of Prohibition. A list of the main points of agreement in the Central Prohibition Committee meeting held on 24-3-1973 is attached. (*Placed in the Library. See No. L. T.*—9068/75). These points were pursued in the subsequent meeting also. Follow-up action on these points is being taken.

Water Pollution Act

1942. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether rules and sub-rules have been framed under the Water Pollution Act ;

(b) if not, the reasons therefor ;

(c) the states in which Boards have been set up under the said Act, the dates on which each Board was set up and the composition of each Board ;

(d) in case Boards have not been set up, the reasons therefor ; and

(e) whether due to non-enforcement of the provisions of the aforesaid Act strictly the water of the rivers is being polluted and the health of people is affected ?

The Minister of Works & Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramiah) : (a) & (b) Out of the 15 items on which the Central Government have to make rules under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, rules pertaining to 12 items have since been issued. Rules on the remaining items are being finalised in consultation with the concerned authorities.

(c), (d) & (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

तिलहन और तेल के मूल्यों में वृद्धि

1943. श्री आर० एन० वर्मन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट से पहले होने वाले सट्टेबाजों के कारण तिलहन तथा तेल के मूल्यों में वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं। दरअसल हाल के सप्ताहों में देश को विभिन्न महत्वपूर्ण मंडियों में प्रमुख तिलहनों और तेलों के भाव सामान्यतः गिरे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

परामर्शदात्री समिति की अध्यक्षता

1944. श्री मधु दण्डवते : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के कार्यकरण संबंधी नियम क्या हैं;

(ख) क्या किसी समिति की अध्यक्षता किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गयी थी जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे अध्यक्ष की कार्यवाही को उचित माना गया है?

गृह और निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की परामर्शदात्री समितियों के कार्यकरण संबंधी ऐसे कोई नियम नहीं है। तथापि सन् 1969 में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यकरण को विनियमित करने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं की सलाह से सरकार द्वारा कुछ मार्ग-निर्देशिकाएं तैयार की गयी थीं। (माग-निर्देशिकाओं की एक प्रति संलग्न है) **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी-9069/75]**

(ख) और (ग) पिछले अन्तःसत्र के दौरान अर्थात् 22 दिसम्बर, 1974 से 16 फरवरी, 1975 तक, बाईस परामर्शदात्री समितियों ने अपनी बैठकें की। इन में से 4 फरवरी, 1975 को हुई योजना मंत्रालय के लिए परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता योजना आयोग के उप-चेयरमन द्वारा की गई थी जो कि संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधान मंत्री दवारा की जानी थी। परन्तु अस्वस्थता के कारण उन्हें अपना कार्यक्रम बैठक शुरू होने के थोड़ी देर पहले ही रद्द करना पड़ा। उप-चेयरमन महोदय ने समिति के माननीय सदस्यों के प्रति प्रधान मंत्री का खेद प्रकट किया। जब समिति के एक सदस्य ने उप-चेयरमन द्वारा बैठक की अध्यक्षता किए जाने पर आपत्ति की तो उन्होंने इस बात का निणय समिति के सदस्यों पर छोड़ दिया। एक सदस्य को छोड़कर सभी उपस्थित सदस्यों ने मत प्रकट किया कि योजना आयोग के उप-चेयरमन को इस बैठक का संचालन करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में सदस्यों द्वारा प्रकट की गई इच्छा प्रबल रही।

सरकार माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहती है कि उसका अभिप्राय समिति अथवा समिति के किसी सदस्य के प्रति कोई अशिष्टता दिखाने का नहीं था।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में खाद्यान्न की कमी

1945. श्री मधु दण्डवते : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लगातार गत तीन वर्षों में संघ राज्य क्षेत्र अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में कितने खाद्यान्न की कमी रही; और

(ख) वहां खाद्यान्न उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के संघ शासित प्रदेश में पिछले तीन वर्षो के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन आन्तरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हुआ था। 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में खाद्यान्नों प्रमुखत: चावल का उत्पादन क्रमश: 10,400, 16,500 और 11,700 मी० टन हुआ था। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय पूल से 1972, 1973 और 1974 दौरान क्रमश: 6,000, 11,000 और 12,000 मी० टन खाद्यान्नों की सप्लाई की गई थी।

संघ शासित प्रदेश में खाद्यान्नों के बारे में आत्म निर्भरता प्राप्त करने की दिशा में जो पग उठाये गए हैं उनमें उर्वरक और खाद सप्लाई करने, बीज गुणन और वितरण, पौध संरक्षण, उन्नत कृषि कार्यों को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम और किसानों के खेतो में दर्शन करने, भू-संरक्षण, सिंचाई आदि जैसे सघन कृषि विकास कार्यक्रम शामिल है।

अण्डमान में वन सम्पत्ति का विदोहन

1946. **श्री मधु दण्डवते:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान में वन सम्पति के विदोहन के लिये कोई दीर्घावधि योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हाँ।

(ख) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के 4.182 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के दुर्गभ वनो का उपयोग करने के लिय अन्दमान तथा निकोबार वन विकास निगम की स्थापना के सम्बन्ध में एक समेकित परियोजना तैयार की गई है और भारत सरकार इस परियोजना पर विचार कर रही हैं। इस परियोजना की मुख्य बातें नीचे दी जा रही हैं :-

(1) 5 वर्षों की अवधि के दौरान इस निगम की स्थापना पर लगभग 26.1 करोड़ रुपये की रकम व्यय होगी और प्राप्त होने वाला कुल राजस्व 29.32 करोड़ रुपये होगा।

(2) 18,122 हेक्टर क्षेत्र से 9,43,500 घन मीटर इमारती लकड़ी प्राप्त होगी।

(3) पांच वर्ष की अवधि के दौरान 4060 हैक्टर क्षेत्र में वनरोपण किया जाएगा और 5,397 हैक्टर क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से वृक्ष उग जायेंगे।

(4) उत्तरी अन्दमान में लुगदी लकड़ी का एक कारखाना, एक आरा मिल तथा एक नोक डाउन फर्नीचर विनिर्माण एकक, छोटे अन्दमान में एक आरा मिल तथा लुगदी लकड़ी का संयत्र और ग्रेट निकोबार में एक आरा व तथा संरक्षण संयंत्र तथा विनीयर यूनिटों को स्थापित करने का विचार है।

(5) इस परियोजना से प्रबंधकीय कर्मचारियों के अलावा प्रतिवर्ष लगभग 3,600 मजदूरों को रोजगार प्राप्त होगा।

Standard of Hockey and Cricket

1947. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the standard of Hockey and Cricket games has gone down in India ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government propose to take certain measures to raise the standard of those games ; and

(d) if so, salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry Education and Social Welfare and the Department of Culture (Shri Arvind Netam): (a) & (b) Government is conscious of the prevailing low standards of sports and games in the country. It has, however, to be appreciated that sports and games at competitive level are managed by the respective National Sports Federations/Associations which are autonomous bodies. Nevertheless in so far as Hockey is concerned the Indian team maintained its position as runners-up in the Asian Games, 1974. The Indian Cricket Team has also succeeded in rehabilitating its prestige in International Cricket by winning two out of the five Test matches in the India-West Indies Test series, 1974-75.

(c) & (d) Astatementisattached. [Placed in the Library. See No. L. T.—9070/75]

दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, दिल्ली के कार्यों के बारे में जांच प्रतिवेदन

1948. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 2 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2606 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड दिल्ली के कार्यों की जांच करने के लिये नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को इस बीच जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन के आधार पर अंतिम रूप से निश्चित किये गये उक्त समिति के वे सदस्य कौन-कौन से हैं, जो प्लाटों के आवंटन के हकदार हैं ; और

(ग) उक्त समिति की प्रबन्ध समिति के चुनाव कराने भूमि के विकास तथा सदस्य को प्लाटों के आवंटन आदि के लिये क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): (क) जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर दिल्ली प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

(क) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक के गेहूं के कोटे में वृद्धि

1949. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य के गेहूं के कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने गेहूं के आवंटन में वृद्धि करने के लिए कहा था। उन्हें यह सुचित किया गया था कि कठिन स्टाक स्थिति होने के कारण आवंटन में वृद्धि करना सम्भव नहीं हुआ है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में मत्स्य पालन के विकास की सम्भावना

1950. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में मत्स्य पालन के विकास की काफी सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाईमंत्रालयमें उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) जी हां।

(ख) मुख्य भूभाग के मछुवाहों को बसाने, उन्हें प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने, द्वीपसमूह में मीन-उद्योग विकास को मजबूत बनाने, हिम तथा शीतागार संयंत्रों की स्थापना करने, यंत्रीकृत नौकाओं को प्रारम्भ करने और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निजी उद्यमों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में कदम उठाए गए हैं।

चीनी उत्पादन में वृद्धि के लिए की गई कार्यवाही

1951. श्री पी० आर० शिनाय: क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में भारतीय चीनी की बहुत मांग है; और

(ख) यदि हां, तो देश में चीनी के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) जी हां। चीनी के निर्यात से जो अच्छा मूल्य मिल रहा है उसे देखते हुए भारी मांग है।

(ख) देश में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं:—

(1) आंशिक नियन्त्रण की नीति जारी रखना;

(2) उत्पादन शुल्क में छूट के रूप में प्रोत्साहन देना;

(3) नई फैक्ट्रियों को चालू करना और मौजूदा फैक्ट्रियों के विस्तार कार्यक्रम में तेजी लाना;

(4) गन्ने की मात्रा तथा उसकी किस्म की दृष्टि से विकास करना।

चीनी जांच आयोग की सिफारिशें

1952. श्री आर० वी० स्वामीनाथन: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चीनी जांच आयोग की तीन सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सिफारिशें स्वीकार की गई हैं;

(ग) अन्य सिफारिशों की क्या स्थिति है; और

(घ) आयोग की सिफारिशों को कब क्रियान्वित किया जायेगा?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) चीनी उद्योग जांच आयोग की जो तीन सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और जिन्हें कार्यान्वित कर दिया गया है, वे निम्नलिखित मामलों से संबंधित हैं:—

1. फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने का देय न्यूनतम मूल्य का निर्धारण करने के लिए 85 प्रतिशत पर मूल उपलब्धि निर्धारित करना।

2. पूर्ण अनुपातिकता के आधार पर ऊंची उपलब्धि के लिए गन्ने का अधिक मूल्य देने की अनुमति देना।

3. फैक्ट्रियों द्वारा खुली बिक्री की चीनी से प्राप्त अधिक राशि को गन्ना उत्पादन के साथ बराबर-बराबर बांटना।

2. चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण समेत उसके युक्तियुक्त और कुशल संगठन से संबंधित सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

3. गन्ना/चीनी उद्योग के अनुसंधान/विकास से सम्बन्धित शेष सिफारिशें राज्य सरकारों सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालयों/संगठनों को उनके विचार प्राप्त करने के लिए उन्हें भेजी गई है। राज्य सरकारों के विचार अभी प्राप्त होने हैं।

उर्वरकों के मूल्य पर लगे नियंत्रण को हटाना

1953. श्री मधु लिमये : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भिन्न-भिन्न प्रकार के उर्वरकों के मूल्यों पर लगे नियंत्रण को पूर्णतया हटा दिया गया है ; और

(ख) 1 जनवरी, 1974 और 1 जनवरी, 1975 के बीच भिन्न-भिन्न प्रकार के उर्वरकों के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभूदास पटेल) : (क) जी, नहीं। युरिया, एमोनियम सल्फेट और कलशियम एमोनियम नाईट्रेट उर्वरकों के अधिकतम बिक्री मूल्य सांवधिक रूप से नियंत्रित है ।

(ख) 1 जनवरी, 1974 और 1 जनवरी, 1975 के बीच की अवधि में कुछ प्रमुख उर्वरको के मूल्यों में हुई वृद्धि के विषय में संलग्न विवरण में जानकारी दे दी गई है।

विवरण

उर्वरक का नाम	1-1-74 को फुटकर मूल्य	(रु० प्रति मीटरी टन) 1-1-75 को फुटकर मूल्य (1-6-74 से लागू)	वृद्धि
यूरिया 46 प्रतिशत एन . .	1050	2000	950
एमोनियम सल्फेट 21 प्रतिशत एन . .	600	935	335
कैलशियम एमोनियम नाईट्रेट 26 प्रतिशत एन .	845	1145	500
एमोनियम सल्फेट नाईट्रेट 26 प्रतिशत एन* .	775	1145	370
डी-एमोनियम फासफेट (18-46-0) * .	1335	3005	1670
एमोनियम नाईट्रोफासफेट (20-20-0) * .	1200	1855	655
म्यूरेट आफ पोटाश 60 प्रतिशत के 2 ओ * .	670	1220	550
सल्फेट आफ पोटाश 50 प्रतिशत के 2 ओ * .	800	1565	765
एन० पी० के० (15-15-15) * .	1375	1700	325

*केन्द्रीय फर्टीलाइजर पूल से जारी किये गये उर्वरकों के आंकड़े है।

बिड़ला इन्स्टीटयूट आफ टेक्नालाजी के छात्रों का आन्दोलन

1954. **श्री मधु लिमये :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष के आरम्भ में बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी के छात्र ने आन्दोलन आरम्भ किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उस आन्दोलन का स्वरूप क्या था ;

(ग) उनकी मुख्य शिकायतें क्या थी ; और

(घ) उन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) से (घ) बिड़ला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान के छात्रों ने अन्य बातों के साथ साथ भोजन पर अधिक खर्च के विरोध में एक आन्दोलन आरम्भ किया। उन्होंने, कक्षाओं का बहिष्कार, भूख हड़ताल तथा प्रदर्शन का आयोजन किया। राजस्थान सरकार ने जनता वितरण प्रणाली से संस्थान के लिए खाद्यान्न तथा चीनी के आवंटन की मात्रा बढ़ा दी है।

चौथी पांचवी योजना के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भूमि का वितरण

1955. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी भूमि अर्जित की गई है तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन कृषि श्रमिकों को कितनी भूमि अलाट की गई है तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी भूमि अलाट की जाएगी; और

(ख) देश में चौथी योजना के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को कितनी भूमि राज्य-वार अलाट की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों की क्रियान्विति होने के फलस्वरुप फालतू घोषित होने वाली भूमि तथा सरकार के पास परती और अन्य श्रेणियों की उपलब्ध भूमि और वितरित की गई भूमि के आंकड़े के चतुर्थ योजना के विषय में अलग से उपलब्ध नहीं है, फिर भी पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों के आधार पर एक वितरण तैयार किया गया है (विवरण क) [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-9071/75**]

गत कुछ वर्षो में भूमि की अधिकतम सीमा-संबंधी कानूनों के लागू होने के फलस्वरुप फालतू भूमि के रूप में उपलब्ध हुई व वितरित की गई भूमि के विषय में आंकड़े दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-9071/75**]

अभी हाल के भूमि की अधिकतम सीमा-संबंधी कानूनों की क्रियान्विति होने के फलस्वरुप उपलब्ध होने वाली फालतू भूमि के क्षेत्रफल के उपलब्ध अस्थायी अनुमान विवरण 'ग' में दे दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-9071/75**]

बीकानेर नहर के जल का बटवारा

1956. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और राजस्थान सरकारों में बीकानेर नहर के जल के बटवारे में विवाद है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इस समस्या को सुलझाने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या उपाय कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) और (ख) बीकानेर नहर (अभिकल्पित क्षमता 2720 क्यूसेक्स) से निकलती हुई 22 क्यूसेक की क्षमता की कनियानवाली माइनर के पंजाब सरकार द्वारा अपने क्षेत्रों की सिंचाई के लिए निर्माण करने पर पंजाब और राजस्थान सरकारों के बीच मत-भेद उत्पन्न हो गए हैं ।

पंजाब सरकार के अनुसार कनियावाली नहर को देने के लिए जब भी अतिरिक्त जल की आवश्यकता होती है, वह पंजाब द्वारा अपने हिस्से के जल में से बीकानेर नहर के शीर्ष पर छोड़ा जाता है । यह विश्वास किया जाता है, कि यह राजस्थान के साथ बहुत पहले हुए एक समझौते के अनुसार किया गया है । बहरहाल, राजस्थान सरकार ने इस माइनर के निर्माण पर आपत्ति की है कि इस माइनर के निर्माण के संबंध में राजस्थान सरकार की कोई निश्चित स्वीकृति नहीं ली गई है और पंजाब बीकानेर नहर का प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है । जबकि उसने उक्त समझौते के शेष भागों को कार्यान्वित नहीं किया है जिसने राजस्थान को लाभ प्राप्त होने थे । इस मामले पर दोनों सरकारें विचार कर रही हैं ।

कृषि अपशिष्टों के उपयोग के बारे में सर्वेक्षण

1957. श्री भानसिंह भौरा : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अपशिष्टों के उपयोग के बारे में किसी समिति द्वारा सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के क्या निष्कर्ष हैं तथा सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) वर्ष 1972 में विज्ञान तथा तकनौलाजी विषयक राष्ट्रीय समिति ने पांचवी पंचवर्षीय योजनावधि के लिए एक विज्ञान तथा तकनौलोजी योजना तैयार करने का काम शुरू किया था । इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान स्थिति पर विचार करने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी कमियों का पता लगाना और निकट भविष्य के लिए भारत की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना था ।

'यूटिलाइजेशन एण्ड रिसाइकलिंग आफ वेस्टस' के क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि अपशिष्टों की उपयोगिता की वर्तमान स्थिति का पुनरीक्षण करने और उनके उपयोग की सम्भाव्यताओं का मूल्यांकन करने के लिए विज्ञान तथा तकनौलोजी विषयक राष्ट्रीय समिति ने कृषि अप-शिष्टों की उपयोगिता के सम्बन्ध में एक योजना दल का गठन किया था । उपयोग-कर्ता मंत्रालयों, एजेन्सियों, अनुसंधान संगठनों और इस विषय में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों की सलाह से योजना दल ने अपशिष्टों की प्राप्ति की स्थिति का अनुमान लगाया था । उसने कोई सर्वेक्षण नहीं किया था ।

योजना दल ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1974 में प्रस्तुत की थी । इस रिपोर्ट में ऐसे विभिन्न अपशिष्टों/उप-उत्पादों के विषय में जानकारी दी गई है जिनका या तो कभी भी उपयोग नहीं किया गया था या आंशिक रूप से उपयोग किया गया था । रिपोर्ट में ऐसे विभिन्न लाभदायक उत्पादों के विषय में भी जानकारी की गई है जो अपशिष्टों या उप-उत्पादों

से प्राप्त हो सकते हैं । प्रत्येक विषय का अध्ययन करते समय मुख्यतः निम्नलिखित दो पहलुओं को ध्यान में रखा गया है :—

1. अपशिष्टों/उप-उत्पादों का सम्भावित उपयोग, तकनीलोजी की वर्तमान स्थिति, उपलब्धि की स्थिति और अपशिष्टों/उप-उत्पादों की रासायनिक संरचना ।

2. इन अपशिष्टों को उपयोग करने में मुख्य समस्याएं और उनके बेहतर उपयोग के लिए सुझाव ।

योजना दल ने 42 अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं का चयन किया है जिन पर 6.72 करोड़ रु० की रकम व्यय होगी । विज्ञान तथा तकनीलोजी विषयक राष्ट्रीय समिति ने यह मामला योजना आयोग के पास विचारार्थ भेजा है ।

वन विकास निगम

1958. **श्री वसन्त साठे: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तम और समेकित विकास तथा वन संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिये एक वन विकास निगम स्थापित करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र राज्य वन विकास निगमों की स्थापना कर रहे हैं ।

(ख) इन निगमों की मुख्य बातें नीचे दी जा रही हैं :—

(1) सड़कों तथा मशीनरी पर उचित रूप से विनियोजन करके सम्बन्धित राज्यों में दुर्गम बनों का उपयोग करना ;

(2) राज्य और देश की लुगदी लकड़ी, औद्योगिक लकड़ी और इमारती लकड़ी सम्बन्धी मांग को पूरा करने के लिये चुनींदा किस्मों के वृक्ष लगाना ।

(3) वन कटाई के कार्यक्रमों को गतिमान करने के फलस्वरूप काटी गई लकड़ी का उपयोग करके वन-उद्योगों को बढ़ाना और पुनः लगाई गई वन-सामग्री का उपयोग करना ; और

(4) वन-उत्पाद पर आश्रित उद्योगों के विकास के लिये कम्पनियों, फर्मों. संस्थाओं या उपक्रमों को प्रोत्साहन और पूंजी तथा ऋण संसाधनों से किसी व्यक्ति या कम्पनी को वित्तीय सहायता देना ।

'आयल सार्डीन्स पोटेंशियल अंटेप्ड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1959. **श्री वसन्त साठे : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जनवरी, 75 के अंग्रेजी के एक दैनिक समाचारपत्र में 'आयल सार्डीस पोटेंशियल स्टिल अंटेप्ड' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) 'आयल सार्डीन' के पकड़ने का कार्य मौसमी आधार पर होता है और उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/खाद्य और कृषि संगठन की सहायता से 1971 में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की खोज करने के लिये एक परियोजना की स्थापना की गई थी, जिसने अन्य वार्तों के अतिरिक्त आयल सार्डीन की बहुलता तथा उनके वितरण की समस्याओं का अध्ययन करना था। अब तक किये गये अन्वेषणों के हमारे ज्ञान में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अतिरिक्त संसाधनों का पता लगाने के लिये भी उपाय किये गये है।

कर्नाटक में अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता

1960. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य के उन जिलों के नाम क्या है जिन्हें अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत 6 महीनों में राहत कार्यों के लिए कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में क्या राहत कार्य आरम्भ किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय को नियत की गई धनराशि

1961. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान काय करने के लिए विश्वविद्यालयों को कुछ धनराशि नियत की गई है ;

(ख) क्या धनराशि की अपर्याप्तता के बारे में विश्वविद्यालयों की ओर से अनुरोध प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक विश्वबिद्यालय को कितनी धनराशि नियत की गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :(क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्व टेबिल टैनिस प्रतियोगिता के लिए टिकट

1962. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में हुई विश्व टेबल टैनिस प्रतियोगिता के लिए जनता से 'सीज़न टिकटों' की खरीद की बहुत कम मांग हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इतनी कम मांग के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच समिति बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो आयोजकों को कितनी हानि होने की संभावना है और इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) भारत के टेबिल टेनिस संघ के तत्वावधान में 33वीं विश्व टेबिल टेनिस प्रतियोगिता हुई थी । संघ के अनुसार प्रतियोगिता के लिए टिकटों की बिक्री अत्यधिक उत्साहवर्धक थी और उससे 40 लाख रुपए की राशि से भी अधिक आय हुई थी । हालांकि यह बताया गया है कि लेखे तैयार किए जा रहे हैं फिर भी, संघ को आशा है कि उन्हें प्रतियोगिताओं के आयोजन से कोई हानि नहीं होगी ।

कृषि के लिये प्राथमिकता निर्धारित करना

1963. **श्री नवल किशोर शर्मा**: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि के लिए ठोस प्राथमिकताएं निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन प्राथमिकताओं को प्रायोगिक आधार पर, किन किन राज्यों में, विशेषकर राजस्थान में, निर्धारित किया जायेगा और उन्हें कब तक निर्धारित किया जायेगा ; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप देश में खाद्यान्न में अनुमानतः कितनी वृद्धि होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय म उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सैनिक (मिलिट्री) डेरी फर्मों के माध्यम से दुग्ध क्रान्ति

1964. **श्री नवल किशोर शर्मा** :

श्री वयालार रवि :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिनांक 6 फरवरी, 1975 के अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्र में 'मिलिट्री फार्म केन पायनीयर व्हाइट रिवोल्यूशन' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो देश में बढ़ती हुई दूध की मांग को पूरा करने के लिये दूध का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) दुधारु पशुओं का वध करने से रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) मिलिटरी डेरी फार्म देश भर में विभिन्न स्थानों पर तैनात सैनिकों की ही जरूरतों को पूरा करने के लिए दूध उत्पादन हेतु स्थापित किए गए हैं। इस समय इन डेरी फार्मों का दुग्ध उत्पादन काफी नहीं है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें प्राईवेट ठेकेकारों तथा विभिन्न राज्य सरकारों/सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाई जाने वाली दुग्ध योजनाओं से भी दूध खरीदना पड़ता है । सैनिकों की बढ़ती हुई दूध की मांग को पूरा करने के लिए मिलिटरी फर्मों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं ;

(ग) दुधारु पशुओं के वध पर देश भर में प्रतिबंध लगा हुआ है ।

कीटनाशी औषधियों का आयात

1965. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार 18,000 मीटरी टन की कीटनाशी का आयात करने जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होने की संभावना है और ये कीटनाशी किन किन देशों से आयात किये जायेंगे तथा आयात करने के क्या कारण हैं ;

(ग) आयातित कीटनाशी किस सीमा तक डी०डी०टी० तथा अन्य स्वदेशी की कीटनाशियों से बेहतर हैं ; और

(घ) इन कीटनाशियों का किन-किन राज्यों में, राजस्थान का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए, उपयोग किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) 1975-76 के लिये कृषि में प्रयुक्त की जाने वाली 63,000 मीटरी टन पूर्णतया विशुद्ध किस्म की विभिन्न कीटनाशी औषधियों की अनुमानित आवश्यकताओं की तुलना में, 47,000 मीटरी टन देश में बनी कीटनाशी औषधियों का अनुमान लगाया गया है । इसलिये लगभग 16,000 मीटरी टन तक कीटनाशी औषधियों का आयात करना जरूरी होगा। इस मद पर 33 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के व्यय होने का अनुमान लगाया गया है । जिन देशों में ये रासायनिक औषधियां उपलब्ध हैं और आमतौर पर जिनसे आयात किया जाता है, उनके नाम ये हैं—संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मन संघीय गणराज्य, जापान, यूनाइटिड किंगडम, हालैण्ड, स्विट्जरलैंड, इटली, रूस और पूर्वी यूरोपीय देश ।

(ग) कीटनाशी औषधियों के आयात की जो व्यवस्था की जाती है, वह विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की समग्र कमी और देश में हुये उत्पादन को ध्यान में रखकर की जाती है और न कि इस आधार पर कि आयात की गई कीटनाशी औषधियां देश में बनी कीटनाशी औषधियों से बेहतर होती हैं ।

(घ) समस्त राज्यों में कीटनाशी औषधियों का उनके वनस्पति रक्षण उपायों के लिये उपयोग किया जाता है । वर्ष 1975-76 के लिये राजस्थान के सम्बन्ध में पूर्णतया विशुद्ध किस्म की 3,000 मीटरी टन की कीटनाशी औषधियों की जरुरतों का अनुमान लगाया गया है ।

इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन और इंडियन हाकी फेडरेशन में मतभेद

1966. श्री वयालार रवि : क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और इंडियन हाकी फेडरेशन में विद्यमान मतभेदों के भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल घट रहा है और इसका अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय टीमों के कार्यकरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या का कोई समाधान खोजने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है, तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में तथा संस्कृति विभाग उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) और (ख) सरकार को बड़े खेद के साथ उन कठिनाइयों का पता है जो कि सरकार के तत्वावधान में 27 दिसम्बर, 1974 को आयोजित अधिकारियों के नए चुनावों के होने के पश्चात् यथाविधिवत गठित किए गये भारतीय हाकि संघ के सामान्य कामकाज में अभी तक भी विद्यमान हैं । अखिल भारतीय खेलकूद परिषद के परामर्श पर, सरकार ने, भारतीय हाकी के कार्यों के प्रबन्ध हेतु इसके कार्यों को पूरा करने के लिए सभी सम्भव तरीकों से विधिवत गठित भारतीय हाकी संघ की सहायता करने का निर्णय किया है ;

9—12 LSS (ND)/75

इन परिस्थितियों में, सरकार ने भारतीय औलम्पिक संघ को अन्तर्राष्ट्रीय संघ से अपनी अनुषंगिक सदस्यता को वापिस लेने की सलाह दी है जो भारतीय हाकी संघ के पदाधिकारियों के चुनावों के होने तक के लिए स्वीकृत की गई थी तथा जो 27 दिसम्बर, 1974 को हुए भारतीय हाकी संघ के पदाधिकारियों के देय चुनाव होने के पश्चात अनिश्चित काल तक नहीं बनी रह सकती थी। इस स्थिति के अनुरूप सरकार ने, भारतीय हाकी संघ के अनुरोध पर तथा अखिल भारतीय खेल परिषद् की सिफारिश पर, 1 मार्च, 1975 से क्वालालम्पुर में आयोजित किए जा रहे तिसरे विश्व कप हाकी प्रतियोगिता में भाग लेने को भारतीय हाकी टीम को अनुमति दी है। आशा है कि इस राष्ट्रीय खेल की उन्नति के हित में, भारतीय औलम्पिक संघ जिम्मीदारी और निष्पक्षता से कार्य करेगा जैसा कि इस चोटी से राष्ट्रीय खेलकूद निकाय से आशा की जाती है।

क्रिकेट टेस्ट के लिए टिकटों की बिक्री में कथित कदाचार

1967. श्री वयालार रवि : क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच सभी स्थानों पर हाल में खेले गए क्रिकेट टैस्ट के टिकटों की बिक्री में बड़े पैमाने पर कदाचारों से संबंधित समाचारों का पता है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा भविष्य में ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) सरकार ने, वर्ष 1974–75 के दौरान भारत में भारत-वेस्टइंडीज के बीच खेले गए क्रिकेट मैचों के लिए टिकटों के तथाकथित कु-वितरण के बारे में समाचार पत्रों में छपी खबरें देखी हैं।

भारत में विदेशी क्रिकेट टीमों के दौरों का प्रबन्ध भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है जो एक स्वायत्त निकाय है। तथापि, भारत-सरकार का बोर्ड को यह सलाह देने का प्रस्ताव है कि वह इन मैचों के आयोजन में विभिन्न केन्द्रों द्वारा किए गए प्रबन्धों के बारे में सभी शिकायतों पर ध्यान दे तथा भविष्य में प्रत्येक टेस्ट केन्द्र में एक प्रबन्ध समिति नियुक्त करे जो सभी संबंधित ब्यौरों की जांच करे तथा इस बात को सुनिश्चित करे कि खेल देखने में रुचि रखने वाली जनता को टिकटों का वितरण इस ढंग से हो कि शिकायत की कोई गुंजाइश न रहे। बोर्ड से यह भी अनुरोध किया जाएगा कि प्रस्तावित प्रबन्ध समिति में संबंधीत राज्य सरकार के प्राधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाए।

केरल के लिए बाढ़ राहत

1968. श्री वरके जार्ज : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने वर्ष 1974–75 के दौरान बाढ़ राहत के लिए कुल कितनी राशि की मांग की थी ;

(ख) केन्द्र ने उक्त अवधि के दौरान कितनी राशि दी थी ;

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से और अधिक राशि की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिन्चाई मन्त्रालय में उप मन्त्री श्री प्रभुदास पटेल : (क) से (घ) जुलाई 1974 में बाढ़ आने तथा भूसखलन के तुरन्त बाद केरल सरकार ने स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन करने तक केन्द्रीय सरकार से बाढ़ राहत कार्य के लिए 1 करोड़ रुपये शीघ्र देने की मांग की थी। छटे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में प्राकृतिक आपदाओं सम्बन्ध गैर-योजना खर्च के लिए केन्द्रीय सहायता देने की पिछली योजना 1–4–74 से समाप्त कर दी गई थी परन्तु राज्य सरकार को शीघ्र राहत उपाय करने में उसकी साधन सम्बन्धी स्थिति की कठिनाई कम करने के लिए आगस्त 1974 एक करोड़ रुपय की अग्रिम साधन सम्बन्धी धनराशि दी गई। राज्य सरकार अगस्त 1974 में राज्य में कृषि सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ करने में सहायता करने के लिए 10 करोड रुपये का अल्पावधी ऋण भी दिया गया और विशेष मामले के रूप में यह ऋण 6 महिने की सामान्य अवधि की बजाय 9 महीने में अदा किया जाना था।

सोयाबिन की काश्त

1969. **श्री वरके जार्ज :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर सोयाबीन की काश्त आरम्भ करने का कार्यक्रम बुरी तरह विफल हो गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके मख्य कारण क्या है ; और

(ग) सोयाबीन और अन्य गैर-परम्परागत तिलहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत देश में सोयाबीन की वाणिज्यिक खेती केवल वर्ष 1971–72 से प्रारम्भ की गई है। परन्तु, कुछ कठिनाइयों के कारण सोयाबीन के क्षेत्र में लक्ष्यों के अनुसार वृद्धि नहीं हो सकी। उनमें से एक कठिनाई, देश में सोयाबीन के लिए परिसंस्करण सम्बन्धी सुविधाओं की कमी रही है। भारत सरकार के खाद्य तथा पोषण बोर्ड द्वारा प्रारम्भ किये गये प्रोटीन-युक्त खाद्यों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम अब तक प्राय: खाने योग्य मुंगफली के आटे के उपयोग पर आधारित हैं। इस कठिनाई को कुछ कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम फरीदाबाद में लगभग 100 मीटरी टन की दैनिक क्षमता के एक सौयाबीन परिसंस्करण संयंत्र की स्थापना कर रहा है। मानवीय तथा औद्योगिक उपयोग के लिए सौयाबीन के विभिन्न उत्पादों का विकास करने के लिए सोयाबीन के उत्पादों के विकास की एक दूसरी मार्गदर्शी अनुसंधान संयंत्र की स्थापना सम्बन्धी परियोजना, गोविन्द वल्लभ पंत कृषि तथा टक्नौलोजी विश्वविद्यालय, पंतनगर द्वारा भी क्रियान्वित की जा रही है।

हाल ही में कई परिसंस्करण एकक सौयाबीन को लाभकारी मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार हो रही हैं और पिछले दो मौसमों के दौरान सोयाबीन के विपणन के विकास में आशाजनक रुख रहा है। अत: भारत सरकार में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चुनीदा क्षेत्रों में सोयाबीन के विकास की योजना को जारी रखने का निर्णय किया है। इसके अतिरिक्त वनस्पति की तयारी में काम आने वाली एक अन्य गैर-परम्परागत तिलहन, सूरजमुखी की बड़े स्तर पर वाणिज्यिक आधार पर खेती करने का प्रस्ताव है। इसकी खेती को चौथी योजना के दौरान दक्षिणी राज्यों के बड़े क्षेत्रों में सफलतापूर्वक प्रारम्भ किया गया था।

Unicef Aid Programmes For Children in Madhya Pradesh, Orrisa And Uttar Pradesh

1970. **Shri Shivkumar Shastri :** Will the Minister of **Education, Social Welfare And Culture** be pleased to state :

(a) whether on the request of the Government of India UNICEF has undertaken special aid programme for children in drought hit areas of Madhya Pradesh, Orissa and Uttar Pradesh ; and

(b) if so, the nature of the aid to be given to these States under these programmes ?

The Deputy Minister In The Ministry Of Education And Social Welfare And In The Department Of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) Yes, Sir.

(b) The UNICEF aid will consist of a package of services (supplementary nutrition, medicines, clothing and blankets) for 3,70,000 pre-school children and pregnant and nursing mothers for a period of five months in selected flood and drought affected districts of Assam, West Bengal, Orissa, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. The value of UNICEF aid for this programme is estimated to be 4.3 million dollars.

Students Representation In Administration Of Delhi University.

1971. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Education, Social Welfare And Culture** be pleased to state :

(a) whether it has been decided to give representation to the students in the administration of Delhi University;

(b) if so, the broad outlines of the decision ; and

(c) whether this policy will be adopted in case of other universities also ?

The Minister Of Education And Social Welfare And Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) and (b) The Statutes of the University of Delhi provide for student representation on the Academic Council. Of the five students who are to be members of the Council, one of them will be a research student, two post-graduate and two under graduate students. The qualifications for eligibility and the manner of election of the student members are laid down in the Rules framed under the Statute.

The University has also decided to give representation to students on the Committees of Courses and Studies for Honours, Post-graduate and Research Studies and also the Managing Committees of Post-graduate Hostels of the University.

A proposal for giving representation to the students on the Court of the University is also under consideration.

(c) So far as the Central Universities are concerned, the Statues of the Aligarh Muslim University and the Jawaharlal Nehru University provide for student representation on the Court and the Academic Council respectively. Suitable provision for student representation will be made in the Acts of other Central Universities as and when they are next amended.

Acts/Statutes of some of the State Universities also provide for students representation on the various bodies of the University. It is, however, for the concerned State Governments to amend the Acts of their Universities to provide for student representation.

फालतू भूमि का वितरण

1972. **श्री बी० वी० नायक** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून को लागू किये जाने से विभिन्न राज्यों में कितनी कितनी भूमि फालतू घोषित की गई ; और उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उस से राज्य वार कितने कितने लोग लाभान्वित हुए ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) वर्ष 1972 में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार ज्योत की अधिकतम सीमा

सम्बन्धी कानूनों में संशोधन करने से पहले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार में आई फालतू भूमि और उसके वितरण के विषय में ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :

('000 एकड़ में)

राज्य	घोषित किया गया या कब्जे में ली गई फालतू भूमि	वितरित की गई फालतू भूमि	लाभानुभोगियों की संख्या
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	74	0.872	उपलब्ध नहीं
असम	89	11	उपलब्ध नहीं
बिहार	8.96	0.797	969
गुजरात	55.4	37.19	13,042
हरियाणा	170	65	31,523
हिमाचल प्रदेश	6.2	0.292†1	—
जम्मू तथा कश्मीर	450	450	उपलब्ध नहीं
मध्य प्रदेश	84	25.149	3,393†3
महाराष्ट्र	396	189†2	12,396†4
पंजाब	178	64	25,979
राजस्थान	125.6	27.4	4,526
तमिलनाडु	66	36.943	14,554
त्रिपुरा	0.201	—	119
उत्तर प्रदेश	214	202	35,524
पश्चिम बंगाल	942	445	460,000
दिल्ली	8.5	—	—
दादरा तथा नगर हवेली	2.9	—	—
	2970.761	1550.494	

हाल ही में भूमि की अधिकतम सीमा के कानूनों में संशोधन करने के फलस्वरूप निम्नलिखित राज्यों ने निम्नलिखित फालतू भूमि अपने कब्जे में लेकर उसका वितरण किया है :

केरल	13.677	2.249	1,930
तमिलनाडु	23.660	7.590	4,420
पश्चिम बंगाल	21.557	9.374	उपलब्ध नहीं

†1. राज्य के विलग किये गये क्षेत्रों में ।

†2. इस में से 84,154 एकड भूमि महाराष्ट्र राज्य फार्मिंग निगम को अलॉट की गई थी ।

†3. इसमें 48 व्यक्तियों को पट्टे पर दी गई 772 एकड़ भूमि भी शामिल है ।

†4. 76 समितियों सहित । इसके अतिरिक्त 84,154 एकड़ भूमि महाराष्ट्र राज्य फार्मिंग निगम को दी गई थी ।

महाराष्ट्र में बड़े तथा छोटे मछली पकड़ने वाले बन्दरगाह

1973. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में बड़े तथा छोटे मछली पकड़ने वाले बन्दगाहों के स्थान के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है तथा यह निर्णय कब लिया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस में विलम्ब क्यों किया जा रहा है तथा यह निर्णय कब लिया जायेगा ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) हाल ही निर्णय किया गया कि तकनीकी तथा आर्थिक उपयुक्तता को दृष्टिगत रखते हुए मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में सैसून डोक का विकास किया जाए। इसके अतिरिक्त दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्र विकास योजना के एक भाग के रूप में सभी मौसम में खूली रहने वाली बन्दरगाह—अगरदंडा को विकसित करने का भी निर्णय किया गया है।

जहां तक सैसून डौक के क्षेत्र में मछली पकड़ने के बन्दरगाह का सम्बन्ध है, जनवरी, 1975 में बॉंबे पोर्ट ट्रस्ट ने उसके डीझाइन में संशोधन कर दिया था। संशोधित लागत 352 लाख रुपये है। इस विनियोजन के सम्बन्ध में आर्थिक मूल्यंकन की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

अगरदंडा से सम्बन्ध में विस्तृत योजनाएं, प्राक्कलन तथा अर्थ मूल्यांकन रिपोर्ट अभी आने वाली है।

मछलियां उतारने के 10 केन्द्रों पर अवतरण तथा घाट सम्बन्धी सुविधाओं की स्वीकृति के प्रश्न पर भी विचार करने का प्रस्ताव है।

Expenditure Incurred On construction Work of Vijay Ghat

1974. **Shri Hukamchand Kachwai** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the item-wise total expenditure incurred so far on the construction work of Vijay Ghat till the end of 1974 ; and

(b) the time by which the work is likely to be completed and the estimated expenditure to be incurred on it ?

The Minister of Works and Housing (Shri K. Raghu Ramiah) (a) : An expenditure of Rs. 40.562 lakhs has been incurred till the end of 1974. Itemwise details are given below :

Civil	Rs. 37.522 lakhs
Elect. works	Rs. 2.066 lakhs
Horticulture works . . .	Rs. 0.974 lakhs

(b) The basic development has already been done. The residual work in hand is likely to cost about Rs. 8 lakhs, and may take about a year to be completed, but one work is held up for the change of land use. . . .

However, the process of development cannot remain static and more works may be taken up from time to time, considered necessary.

Expenditure Incurred On Construction Work of Raj Ghat

1975. **Shri Hukamchand Kachwai** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the item-wise total expenditure incurred on the construction work of Raj Ghat till he end of 1974 ; and

(b) the time by which the work is likely to be completed and the estimated expenditure to be incurred on it ?

The Minister of Works & Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghu Ramiah) : (a) The total expenditure of Rs. 66,09,718 had been incurred till the end of 1974. Itemwise details are given below :

Civil	Rs. 55,92,505.00
Horticulture	Rs. 7,22,260.00
Electrical	Rs. 2,94,949.00

(b) It will take about a year after these are sanctioned. The anticipated expenditure on the remaining works was estimated in March, 1974 at Rs. 28.66 lakhs.

पांचवी योजना के दूसरे वर्ष में बड़ी सिंचाई योजनाएं

1976. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाचवीं पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष में आरंभ की जाने वाली बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लक्ष्य को अंतिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो जो योजनाएं आरंभ की जायेंगी उनकी रूपरेखा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष (1975-76) के लिए सिंचाई प्रस्तावों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कन्टाई उप-मंडल के कृषकों से केन्द्रीय एवं कृषि ऋणों की वसूली

1978. **श्री समर गुह :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्टाई उपमण्डल को गत पांच वर्षों में पांच बार बड़ी बाढ़ों एवं एक बार सूखे का सामना करना पड़ा था । जिससे क्षेत्र के कृषकों की कृषि अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर संकट उपस्थित हुआ ;

(ख) क्या उन की समस्याओं को देखते हुए केन्द्रीय तथा अन्य कृषि ऋणों की वसूली गत सात वर्ष से स्थगित रखी गई थी ;

(ग) क्या इस वर्ष ऋणों के बकाया की वसूली के लिए दंडात्मक उपाय किये जा रहे हैं ; और

(घ) क्या भूतकाल में आने वाली क्रामिक प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए सरकार कन्टाई उप-मंडल के 6 एकड़ से कम भूमि वाले कृषकों द्वारा किये गये केन्द्रीय कृषि ऋणों को माफ करेगी और क्या अन्य लोगों के लिय चक्रवर्ती ब्याज को माफ करने और ऋणों को किश्तों में वापस लेने के आदेश जारी किये जायेंगे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गेहूं और चावल के लाने-ले जाने में लगे क्षेत्रीय प्रतिबंधों को हटाया जाना

1979. **श्री धामनकर:** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं के लाने-ले जाने में लगे क्षेत्रीय प्रतिबंधों को हटाने, और गैर लेवी गेहूं पर लगे मूल्य प्रतिबंधों को हटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों के संरक्षण के लिए रबी फसल उत्पादक राज्यों के लिए रबी फसल के लाने-ले जाने और राज्य सरकारों द्वारा लेवी लगाने के संबंध में समान नीति बनाने हेतु कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) रबी फसल संबंधी नीति कब घोषित की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) फिलहाल, ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) सरकार आगामी रबी मौसम 1975–76 के लिए अपनी नीति फसल की कटाई के समय के आस पास तैयार करके घोषित करेगी ।

केरल की मांग और उन्हें सप्लाई किया गया चावल और गेहूं

1980. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :
श्री वयालार रवि :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य को केन्द्र द्वारा पर्याप्त मात्रा में चावल और गेहूं सप्लाई न किए जाने के कारण केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन वितरण करने की व्यवस्था हाल ही में बुरी तरह प्रभावित हुई है ;

(ख) केरल राज्य ने कितना चावल और गेहू मांगा था तथा केन्द्र ने गत छ: महीनों में माहवार, फरवरी, 1975 तक कितना सप्लाई किया था ; और

(ग) गत तीन वर्षों में इन्हीं महीनों में कितने गेंहू और चावल की मांग की गई तथा कितनी मात्रा में सप्लाई की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता, अन्य कमी वाले राज्यों की आवश्यकता, स्थानीय उपलब्धता और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर केरल को अधिकतम मात्रा में गेहूं और चावल सप्लाई किया जा रहा है । केन्द्रीय पूल से केरल को 1974 के दौरान कुल 9.9 लाख मी० टन खाद्यान्न सप्लाई किए गए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की सप्लाई में कोई विघ्न पैदा न हो, केरल में स्थित भारतीय खाद्य निगम के डीपों में उपयुक्त स्तर पर इन खाद्यान्नों के स्टाक को बनाए रखा जा रहा है ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें फरवरी, 1975 तक 6 महीनों के दौरान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर चावल और गहूं की मांगी गई मात्रा और उनको सप्लाई की गई मात्रा तथा पिछले तीन वर्षों में उसी अवधि की स्थिति का ब्यौरा दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–9072/75]

अरालाम फार्म केरल के श्रमिकों को मजदूरी

1981. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में अरालाम स्टेट फार्म के श्रमिकों को दी जाने वाली मजूरी केरल सरकार के फर्मों के श्रमिकों को दी जाने वाली मजूरी की तुलना में बहुत कम है ;

(ख) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लायी गयी है कि अरालाम फार्म के श्रमिक केरल स्टेट फार्मों के श्रमिकों के समान मजूरी देने के बारे में मांग कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उनको इस प्रकार की समानता क्यों मंजूर नहीं की है तथा इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) से (ग) केरल सरकार के विभिन्न फार्मों के श्रमिकों को दी जाने वाली मजूरी के बारे में भारत सरकार के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। किन्तु केरल के अरलाम स्टेट फार्म के श्रमिकों को दी जाने वाली मजूरी उस मजूरी से कम है जो काली मिर्च अनुसंधान केन्द्र, ताली परम्बा फार्म तथा केन्द्रीय पौदरोपन फसल अनुसंधान संस्थान, कसरगोदे (जहां निकटतम जिले के मुख्य कार्यालय के जीवन निर्वाह सूचकांक को ध्यान में रखते हुए मजूरी निश्चित की जाती है) में श्रमिकों को दी जाती है। भारतीय राज्य फार्म निगम के अधीन चलने वाले अरालाम स्टेट फार्म के मामले में कन्नोर जिले के लिए केरल सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम मजूरी को ध्यान में रखते हुए मजूरी निश्चित की जाती है। अरालाम स्टेट फार्म के श्रमिकों को इस समय जो मजूरी दी जा रही है वह केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजूरी से अधिक है।

Development of Canals Originating From Sone river in Bihar

1982. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the canals originating from Sone river have been irrigating some parts of Patna, Gaya, Palamau, Rohtas and Bhojpur districts for the last one humdred years;

(b) if so, whether it is feared that these canals might become useless or lose their irrigation capacity in course of time on account of no satisfactory work having been done for their development ;

(c) whether Government have drawn up any scheme for their development ; and

(d) if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri K. N. Singh): (a) Yes, Sir.

(b) The Sone Canal System has been suitably remodelled to stabilise the existing irrigation benefits and to bring new areas under irrigation.

(c) & (d) The Sone Canal system has recently been expanded by construction of barrage about 8 kms. upstream of the old anicut across river Sone. The additional irrigation benefits from the construction of barrage and remodelling works and link canals would be extended to an area of 1.243 lakh hectares.

Another scheme viz. Sone High Level canals envisaging construction of Eastern and Western High Level canals taking off at 8 kms. of the respective link canals of the Sone barrage has also been taken up. It is in an advanced stage of construction and is expected to be completed by June, 1977, at an estimated cost of Rs. 19.94 crores. It would give additional irrigation benefits to 1.62 lakh hectares

Central Assistance to Bihar for Agricultural Production During 1975-76

1983. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government of Bihar has submitted a proposal for boosting agricultural production during 1975-76 and sought Central assistance therefor ;

(b) if so, the outlines thereof ; and

(c) the reaction of Government in this regard ?

The Deputy Minitter in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) No specific proposal has been received from the Government of Bihar.

(b) & (c) Do not arise.

Sugar Cane Farms by Sugar Mills in U. P. and Bihar

1984. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Agricuilture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether sugar mills in Uttar Pradesh and Bihar have their own farms for growing sugarcane ;

(b) if so, the acreage of each of these farms ; and

(c) the reasons for not enforcing land ceiling Act to these cases?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) The information has been called for from the Governments of U.P. and Bihar and will be laid on the Table of the Sabha as early as possible.

पांचवीं योजना अवधि के अन्तर्गत स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

1985. श्री झारखण्डे राय : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पांचवीं योजना अवधि के अन्तर्गत स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को मार्गदर्शी रूपरेखाएं भेज दी हैं। स्नातकोत्तर शिक्षा से संबंधित मार्गदर्शी रूपरेखाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० – 9073/75]** मार्गदर्शी रूपरेखाओं की एक प्रति संसद पुस्तकालय में भी उपलब्ध है।

Rivers and Dams Water Dispute Between Bihar and West Bengal

1986. Sari Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the names of rivers and dams whose waters are subjetcs of disputes between Bihar and West Bengal and whether the Union Minister has taken an initiative to resolve their disputes by arranging any meeting between the two Chief Ministers ;

(b) if so, the particulars of the disputes as also of the solutions thereof ; and

(c) whether talks were also held on the question of supply of water from D.V.C. to Bihar for irrigation purposes and if so, the final decision taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri K. N. Singh) : (a) The outstanding issues on water development between Bihar and West Bengal relate to Damodar, Ajoy, Subernarekha, Mayurakshi, Bansloi, Torai, Gomani and Tista-Mahananda river basins. The dams involved are Tilaiya, Konar, Maithon, Panchet and Tenughat constructed in the Damodar Basin, the Massanjore dam built on the Mayurakshi river and the reservoirs/barrage proposed in Subernarekha and Ajoy river basins.

Following a meeting of the Chief Ministers of Bihar and West Bengal convened by the then Union Minister for Irrigation and Power on 11-8-1972, a Joint Rivers Study Team was set up to examine the outstanding issues. The report of the Study Team has to be finally reviewed by the two Chief Ministers who have not been able to meet for the purpose.

Another meeting was convened by the Union Minister for Agriculture and Irrigation on 29-1-1975 to discuss the Subernarekha Multipurpose Project in which the Chief Ministers of Bihar, West Bengal and Orissa participated.

(b) & (c) The differences mainly relate to the question of utilisation of waters of these inter-State rivers including D.V.C. for various developmental schemes either undertaken or projected by the two States. The solutions recommended by the Bihar-West Bengal River Study Team are still under consideration of the Chief Ministers of Bihar and West Bengal.

In regard to the Subernarekha Multipurpose Project it was decided in the meeting held on 29-1-1975 referred to in (a) above that the Chairman, Central Water Commission, would examine the possibility of increasing the storage capacity at the two dam sites, namely on the Subernarekha at Chandil and on the Kharkai proposed by Bihar. The three State Governments may examine the feasibility of constructing storage dams within their area in the Subernarekha basin. The Government of Orissa will also consider the possibility of storage site in the Burabalang basin in the State.

Grants to Universities

1987. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the names of the first fifteen Universities receiving largest amounts of grant in the country and also the amount of grant provided to each of them during each of the last three years;

(b) whether Government have ever conducted any enquiry to find out if the grants given to the Universities are being made proper use of ; and

(c) the criteria adopted for giving these grants ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

(b) Grants are released on the basis of progress reports submitted by the University indicating the actual expenditure incurred on the project and its further requirements. The University is also required to submit utilisation certificates from the Statutory auditors certifying that the grants have been utilised for the purpose for which these were sanctioned.

(c) The Commission provides maintenance grant to the Central Universities and development grants to Central and State Universities. Development grants are generally allocated for approved development programmes on the recommendations of the Visiting Committees for a Plan period. The Visiting Committee takes into account the state of development of the university, the needs of the area, the programmes of the university, its enrolment, strength of the teaching staff, etc.

देश में खाद्यान्नों की वसूली के सम्बन्ध में नीति

1988. **श्री नुरूल हुडा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्री महोदय के इस वक्तव्य का आधार क्या है कि देश में समग्र रूप से अनाज की स्थिति अच्छी है और रबी की बहुत अच्छी फसल होने की संभावना है ;

(ख) देश में खाद्यान्नों की वसूली सम्बन्धी नीति क्या है ;

(ग) वसूली का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अब तक की उपलब्धि क्या है ; और

(घ) क्या खुले बाजार के खाद्यान्नों के मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों से बहुत अधिक है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) देश में समूची खाद्य-स्थिति और रबी की फसल की अच्छी सम्भावनाओं के बारे में मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य सरकार के पास उपलब्ध अद्यतन रिपोर्टों पर आधारित है।

(ख) वर्तमान नीति के अधीन, राज्य सरकारों, भारतीय खाद्य निगम और सहकारी समितियों सहित अन्य सरकारी एजेन्सियों द्वारा, निर्धारित अधिप्राप्ति मूल्यों पर, खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति की जाती है। उत्पादकों से खाद्यान्नों की सीधी खरीदारी करने के अलावा, उत्पादकों, व्यापारियों और मिल-मालिकों पर लेवी लगाकर भी अधिप्राप्ति की जाती है।

(ग) रबी मौसम 1974-75 के लिए अधिप्राप्ति के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। तथापि, वास्तव में केन्द्रीय खाते पर 18.98 लाख मी० टन गेहूं की अधिप्राप्ति की गई थी। जहां तक खरीफ के अनाजों का सम्बन्ध है, सरकार ने खरीफ के विपणन मौसम 1974-75 के लिए 41 लाख मी० टन चावल अधिप्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके प्रति 28-2-75 तक लगभग 26.10 लाख मी० टन की मात्रा की अधिप्राप्ति की जा चुकी है।

(घ) खुले बाजार के खाद्यान्नों के मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अधिप्राप्ति मूल्यों से सामान्यतया ऊंचे होते हैं।

माडर्न बेकरीज के कार्यकरण की जांच

1989. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने माडर्न बेकरीज (आई) लिमिटेड के गत तीन वर्षों के कार्यकरण की इस बीच जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को बहुत सी अनियमितताओं का पता चला है;

(ग) क्या इस उपक्रम द्वारा बनाई गयी अधिकांश डबल रोटियां दोषयुक्त और बासी होती हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस उपक्रम की खामियां दूर करने का है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) सरकार ने माडर्न बेकरीज के कार्यचालन की कोई विशिष्ट जांच नहीं कराई है। तथापि, सरकारी प्रतिष्ठान सम्बन्धी समिति (पांचवीं लोक सभा) ने माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड के 31-3-73 तक की अवधि के कार्यचालन की जांच की है।

(ख) और (ग) समिति के निष्कर्ष उसकी 47 वीं रिपोर्ट में दिए गए है। यह रिपोर्ट संसद में मार्च 1974 में प्रस्तुत की गई थी।

(घ) माडर्न बेकरीज समिति की 47 वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों/सुझावों पर कार्यवाही कर रही है।

पश्चिमी यमुना नहर की उपनहर पर नियंत्रण के बारे में विवाद

1990. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम यमुना नहर तथा आगरा नहर की उपनहर के नियंत्रण के सबंध में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के बीच विवाद को निपटाने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या मामला कृषि और सिंचाई मंत्री को भेजा गया है और लम्बे समय से चल रहे इस विवाद के कब तक सुलझ जाने की आशा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) इन मामलों पर केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के मुख्यमंत्रियों और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद के साथ 23 जनवरी, 1975 को विचार-विमर्श किया गया था। मुख्य मं ी तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद इस बात पर सहमत हो गए थे कि इन मामलों का निर्णय केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री द्वारा किया जाए तथा वे उनका निर्णय मानेंगे।

राज्यों/प्रशासन के विचारों को भली प्रकार समझने के उपरांत इन दोनों नहर प्रणालियों की वितरणियों के नियंन्त्रण के ट्रीस्कर में निहित विभिन्न मामलों की विवेचनात्मक पुनरीक्षण करना प्रारंभ कर दिया है। अन्तिम निर्णय लेना इस प्रकार के पुनरीक्षण पूर्ण करने के बाद ही संभव होगा।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE. QUESTION OF PRIVILEGE

प्रो० मधु दंडवते (राजापूर) : श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। प्रधान मंत्री के विरूद्ध विशेषाधिकार के मामले में मुझे उनसे एक पत्र प्राप्त हुआ है। मुझे प्रक्रिया सम्बन्धी एक मामले पर अपनी बात कहने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने विशेषाधिकार के मामले को स्वीकार नहीं किया। यदि मंत्री महोदय स्वयं ही कोई वक्तव्य देना चाहते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है। बार बार आप इस मामले को न उठायें। (व्यवधान)

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : जो स्पष्टीकरण दिया गया है उससे विशेषाधिकार का मामला पैदा होता है। चूंकि प्रधान मंत्री का इससे सम्बन्ध है इसलिये आपने बिना विचार किये इसे अस्वीकार कर दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री को समन्वय करना होता है अतएव उन्हें वक्तव्यों को देखने का अधिकार है। यह विशेषाधिकार का मामला तो नहीं है, परन्तु आपके संतोष के लिए मैं प्रधान मंत्री से स्पष्टीकरण करने का अनुरोध करता हूं।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सभा में श्री मधु दंडवते ने प्रश्न उठाया था कि उन्हें जानकारी मिली है कि एक परिपत्र जारी किया गया है कि भविष्य में मंत्रालयों द्वारा दिये जाने वाले उत्तरों को पहले प्रधान मंत्री के पास भेजा जाये।

इस उत्तर में मैंने बताया था कि ऐसा कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने अध्यक्ष महोदय को बताया है तथा श्री मधु दंडवते को भी विदित है कि परिपत्र इस बारे में था कि मंत्रियों के वक्तव्यों की प्रतियां तथा अनुपूरक जानकारी प्रधान मंत्री सचिवालय को भेजी जाया करे। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गांधी: परन्तु हमारी व्यवस्था तो इस प्रकार की होती है कि यदि और अधिक जानकारी की मांग की जाये तो मंत्री तथ्यों सहित तैयार रहता है (व्यवधान) माननीय सदस्य का यह कहना ठीक ही है कि इससे पूर्व मेरे सचिवालय द्वारा इस प्रकार का परिपत्र जारी किया गया था क्योंकि मैं यह समझती हूं कि सदन में जो भी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही हो उसकी जानकारी रखने का दायित्व प्रधान मंत्री का है।

श्री मधु लिमये (बांका) : फिर आपने इससे इन्कार क्यों किया था।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने इस बात से इन्कार किया था कि मैंने प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर मेरे पास भेजने को कहा था। मैंने ऐसा नहीं कहा था (व्यवधान)

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : आपने पिछली बार ही यह स्वीकार क्यों नहीं किया था कि मैंने ऐसे उत्तर अपने पास भेजने और ऐसे न भेजने को कहा था ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जब मेरे से स्पष्ट रूप से यह पूछा गया कि क्या मैंने प्रश्नों तथा उनके उत्तरों की अग्रिम प्रतियां अपने पास भेजने के लिए कहा है तो मैंने कहा कि 'नहीं' (व्यवधान)। परन्तु ध्यानाकर्षण प्रस्तावों तथा अन्य महत्वपूर्ण मामलों के बारे में सदन में जो चर्चा होती है, उसकी जानकारी रखने का प्रधानमंत्री को अधिकार है।

प्रो० मधु दंडवते : इन्होंने जो कुछ लिखित रूप में कहा था, अब स्वयं ही उसका खण्डन कर रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री की स्थिति बहुत स्पष्ट है।. . . (व्यवधान)

श्री पीलू मोदी : जब तक हम इस तरफ से कोई निवेदन करना चाहते है तो आप डर क्यों जाते है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है जब मैंने अनुमति ही नहीं दी तो फिर वह क्या निवेदन करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : जब आपने प्रधान मंत्री को वक्तव्य देने की अनुमति दे दी है तो सदन का सदस्य होने के नाते रिकार्ड ठीक करवाने का मुझे भी अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दे रहा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker, you have heard the Prime Minister, now you listen to us also. We are not interested in interrupting the proceedings but we simply want to submit something on what has been stated by the Prime Minister.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर किसी प्रकार की चर्चा की अनुमति नहीं देता। आप हररोज एक ही प्रश्न उठा देते है। यह विषय यहीं समाप्त होता है। प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर और चर्चा नहीं हो सकती। सभा की कार्यवाही सम्बन्धी जानकारी एकत्रित करने का प्रधान मंत्री को अधिकार है। इस विषय पर फिर से कोई चर्चा नहीं करने दी जायेगी। अब पत्र सभापटल पर रखे जाये (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

जल (प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम और बम्बई भूमि अर्जन (गुजरात संशोधन) अधिनियम का अधिसुचना की प्रति।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 63 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जल प्रदुषण निवारण तथा नियन्त्रण सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड (कार्य निष्पादन प्रक्रिया) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 10 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 3 (ड.) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9051/75]

गुजरात राज्य विधानमण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1974 की धारा 3 की उपधारा (3) अन्तर्गत बम्बई भूमि अर्जन (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (राष्ट्रपति का 1974 का अधिनियम संख्या 16) की एक प्रति जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9052/75]

गुजरात पंचायत अधिनियम और विवरण, भारतीय डेरी नियम बड़ौदा का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे के अन्तर्गत अधिसूचना, आवश्यक वस्तु अधिनियम और खाद्य निगम अधिनियमों के अन्तर्गत अधिसूचनायें।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 323 की उपधारा (4) के अन्तर्गत पंचमहल जिला स्थानीय बोर्ड पेंशन निधि (संशोधन) नियम, 1974 की एक प्रति जो दिनांक 19 अगस्त, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के पी/190/पी आर आर/1067/6340/74/टी एच में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर न रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9053/75]

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 609 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा वर्ष 1973-74 वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरिक्षीत लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9054/75]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पादन (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 14 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 9(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) चावल (दक्षिण क्षेत्र) लाने ले जाने पर नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1975 जो दिनांक 30 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 22(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) दक्षिण राज्य (चावल के निर्यात का विनियमन) संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 30 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 23(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9055/75]

दिनांक 20 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 54 (ड) में प्रकाशित शुद्धिपत्र द्वारा शुद्ध किये गये रुप में, खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 22 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 16(ड़) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9056/75]

बम्बई मद्यनिषेध (स्प्रिट निर्माण) (गुजरात) (संशोधन) नियम, बम्बई नीरा (गुजरात) (पहला संशोधन) नियम और एक विवरण

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम): मैं (1) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित बम्बई मद्यनिषेध अधिनियम, 1949 की धारा-143 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बम्बई मद्यनिषेध (स्प्रिट निर्माण) (गुजरात) (संशोधन) नियम 1974 की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 27 जून, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी एच/एसएच/822/बीपी ए 1073—6080—पी में प्रकाशित हुए थे।

(2) मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(क) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित बम्बई मद्यनिषेध अधिनियम, 1949 की धारा 143 की उपधारा (4) के अन्तर्गत **बम्बई नीरा (गुजरात) (पहला संशोधन) नियम** 1974 की एक प्रति जो दिनांक 2 दिसम्बर, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी एच/एसएच/1492/एन आर ए—1072/24790;—पी में प्रकाशित हुए थे।

(ख) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9057/75]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 44(ड़) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 5 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9058/75] (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया बाधा मत डालिये। मैंने किसी को कुछ कहने की अनुमति नहीं दी है। अगले विषय पर विचार करना पहले ही आरम्भ किया जा चुका है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व): मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे मित्र प्रो० मधु दण्डवते के मन में कुछ आशंका है। आप उन्हें अपने चैम्बर में बुला कर उनसे बातचीत कर लीजिये ताकि उनकी गलत फहमी दूर हो जाये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वह मुझे लिख सकते हैं मुझ से मिल सकते है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Can we not challenge what the Prime Minister has said? (*Interruptions*)

Mr. Speaker : Order please. I will talk to you. It is not a Question of privilege. You cannot raise it again. You raised it on that day and spoke on it and it was disallowed. This matter cannot be raised again and again.

Shri Atal Bihari Vajpayee : It is true that you did not allow the privilege motion to be moved. But you will recall that on that day, the Minister of Parliamentary Affairs said that he had no information in this regard and he wanted some time to collect the information.

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह बात स्पष्ट कर दी थी।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Shri Madhu Dandvate has some papers which, he says are regarding Correspondence with the Prime Minister in this connection.

अध्यक्ष महोदय : कुछ दिन पहले मैंने इसे उठाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था, इसलिए अब आप उसी तरह की कोई प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते।

Shri Atal Bihari Vajpayee : You allowed the Prime Ministers to make statement (*Interruption*)

Mr. Speaker : I have already disallowed it and so it cannot be raised again. I cannot go out side the rules. I am always prepared to accept what is reasonable. But please do not try to bring it up in this manner.

प्रो० मधु दंडवते : जब मामला समाप्त हो गया तो प्रधान मंत्री को वक्तव्य देने की अनुमति क्यों दी गई और मुझे नहीं दी गई? मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब हम अगली मद पर आ गए है। प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर किसी प्रकार का प्रश्न या चर्चा नहीं हो सकती।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : प्रधान मंत्री के वक्तव्य के कारण हमारे संदेह की पुष्टि हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपको कोई बात उठानी है तो आप मुझे लिखकर दीजिए। आप इस तरह इस मामले को नहीं उठा सकते।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : सभा में हमें केवल बोलने का ही एक अधिकार है। यदि आप उसे भी लेना चाहते हैं तो फिर सभा की और अध्यक्ष की क्या आवश्यकता है।

बागान श्रम (संशोधन) विधेयक एक संयुक्त समिती का प्रतिवेदन

Plantation Labour (Amendment) Bill

श्री राजा कुलकर्णी : मैं बागान श्रम अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी सयुंक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) साक्ष्य

श्री राजा कुलकर्णी : मैं बागान श्रम अधिनियम 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य का अभिलेख सभा पटल पर रखता हूं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : नियम 376 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद पर पहुंच गए हैं। व्यवस्था का प्रश्न उसी विषय पर उठाया जा सकता है जिस पर चर्चा हो रही हो।

श्री समर गुह : मैं प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप एक ही बात को बार-बार नहीं उठा सकते ।

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : Allow us to put questions.

Mr. Speaker : There is no rule under which you can put questions on statement.

श्री समर गुह : आपको सभा के नियमों के अनुसार चलना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नियमों को देखें तो पता चलेगा कि वक्तव्य पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा

श्री समर गुह : नियम 376 के अन्तरिक हमें अधिकार है कि ....(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे (अकोला) : नियम 372 के अन्तर्गत जब कोई मंत्री कोई वक्तव्य देता है तो उस पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जा सकता ...(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : जो अधिकार प्रधान मंत्री को है, वह हमें भी होना चाहिए ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी तरह का प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा। जब मैं पहले ही इन्कार कर चुका हूं तो अब कैसे अनुमति दे सकता हूं। जो बात ठीक नहीं है, मैं उसे न होने दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमान जब श्री बाजपेयी ने प्रश्न उठाया तो आपने अनुमति नहीं दी और कहा कि यह विषय समाप्त हो गया है। किन्तु प्रधान मंत्री को वक्तव्य देने की अनुमति दे दी। हमें भी प्रधान मंत्री जैसा अधिकार मिलना चाहिए ।

Mr. Speaker : If your puerpose is not to allow business of the House to be carried on at is different thing.

Shri Shyam Nandan Mishra : We will not allow wrong things to go on in the House.

Mr. Speaker : There is nothing wrong in it. I can not allow to be raised again. No point of order except on the item on which we are. The item, which has already been disposed of, can not be raised again. If you want to raise any point of order on item No. 8, you are allowed under the rules. I can not allow it.

कृपया सभा में बाधा मत पहुंचाइये। मैं आगे की कार्यवाही चलाना चाहता हूं। मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं, किन्तु मैं इस बात की अनुमति नहीं दे सकता कि जो मामला निपटा लिया गया है, उसे पुनः उठाया जाये ।

प्रो० मधु दन्डवते : मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर आपने क्या निर्णय दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं बार-बार कह चुका हूं कि इस पर श्री वाजपेयी को बोलने का पूरा अवसर दिया गया था। अब मैं इसे पुनः उठाने की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री पीलू मोदी : गत दो हफ्तों में कार्य बड़े सुचारू रूप से चला। विरोधी पक्ष ने आपको किसी तरह का कष्ट नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता दूं कि यहां विरोधी पक्ष को अपने विचार व्यक्त करने के लिए सर्वाधिक समय दिया जाता है। यह सर्वथा गलत है कि आपको बोलने का कम अवसर दिया जाता है। किन्तु जितनी अधिक आपको सुविधा दी जाती है, उसका आप उतना ही नाजायज फायदा उठाते हैं। विश्व के किसी भी अन्य देश की तुलना में यहां विपक्ष को सबसे अधिक अवसर प्राप्त हैं फिर भी आप लोग इसका अनुचित लाभ उठाते हैं। (व्यवधान)

आप सब बैठ जाएं ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय: मैं ने इसे स्वीकार नहीं किया है। मैं एक से विषय पर दूसरे विशेषाधिकार के मामले हर रोज़ स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : प्रधान मंत्री महोदया के वक्तव्य पर विशिष्ट रूप से व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न होता है।

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। हां, आखिरी मद पर आप निवेदन ही कर सकते हैं। श्री राजा कुलकर्णी।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हम अगली मद पर नहीं जा सकते।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद लेंगे। श्रीमती इन्दिरा गांधी।

खेद है मैं किसी को आज्ञा नहीं दे सकता क्योंकि उन मामलों को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिनपर विनिर्णय दिया जा चुका हो।

मैं ने शुरू में ही बता दिया था कि श्री वाजपेयी को, जिन्होंने गत सप्ताह यह मामला उठाया था, बोलने का अवसर दिया गया था। इसके बाद मैं ने व्यवस्था दी थी कि मैं विशेषाधिकार के मामले की आज्ञा नही दूंगा। इसके बाद मंत्री महोदय ने स्वतः . . .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मेरे द्वारा प्रधान मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला उठाये जाने के तुरन्त बाद मंत्री महोदय ने कहा था उन्हें समय चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: मैं ने आपको बता दिया था कि यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है परन्तु आपने स्वतः ही कह दिया था कि वह ऐसा कर सकते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Even then you allowed the Prime Minister to give explanation. If this matter had been closed, how you allowed her ?

Mr. Speaker : You asked for an explanation and she obliged you. How I come in between ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : Then I was not aware of the correspondence which she had with Shri Dandvate. I therefore came to the conclusion that she had misled the House.

अध्यक्ष महोदय: आप इसे मुझे दिखाइये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र: कल शाम को जो नोटिस मैंने भेजा था उसमें नए तथ्य और सामग्री है अतः आपको उस पर विचार करना होगा क्योंकि प्रधान मंत्री के वक्तव्य में कई बातें तथ्यों से भिन्न और नई हैं . . .

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रो० दंडवते से सामग्री मुझे भेजने को कह ही चुका हूं। मैं ने तो इन सूचनाओं को एक सी पाया है परन्तु यदि आप कोई अंतर समझते हैं तो मैं उनपर विचार कर सकता हूं, परन्तु मुझे भेजें तो सही।

Shri Atal Bihari Vajpayee : You may say that you will consider the fresh notices on this issue.

Mr. Speaker : I have seen all the notices received by me so far. They are identical. But if you want to send fresh notices. वे आप मुझे भेज दें, मैं उनपर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते: मैं भेज तो दूं परन्तु आपको पढ़ने का समय ही नहीं मिलता।

अध्यक्ष महोदय: यदि कोई मामला नया और इससे संबंधित न हों तो मैं विचार कर सकता हू क्योंकि इसे तो निपटाया जा चुका है।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि मैं आपके समक्ष तथ्य संक्षेप में ही रखूं तो आपही नहीं स्वयं प्रधान मंत्री स्वीकार करेंगी कि उनके पहले और अबके कथनो में विरोधाभास है। अब आपका क्या विनिर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय: मेरा विनिर्णय यह है कि मैंने जो सूचनाए देखी हैं वे सभी एक जैसी हैं अतः मैं उनकी अनुमति नहीं दे सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं नया नोटिस दूंगा।

श्री समर गुह: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : A minister who resigns his office can make a statement here with the consent of the Speaker. We, therefore, want to listen to him.... (*Interruptions*).

श्री श्यामनन्दन मिश्र: मैंने आपसे निवेदन किया था...

श्री मोहन धारिया के त्यागपत्र के बारे में
RE RESIGNATION BY SHRI MOHON DHARIA

श्री समर गुह (कंटाई) : यह क्या है? व्यवस्था का प्रश्न उठाना मेरा अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री मिश्रा के बाद आपको अवसर दूंगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : अध्यक्ष महोदय श्री मोहन धारिया के मंत्री न रहने पर उनकी और सरकार की ओर से वक्तव्य दिए जाने चाहियें क्योंकि इससे कुछ सांविधानिक मुद्दे भी निकलते हैं। प्रकाशित समाचारों के अनुसार प्रधानमंत्री ने उन्हें पत्र लिखा कि वह राष्ट्रपति जी को सूचित कर रही हैं कि उन्हें (श्री धारिया) मंत्रीमंडल का सदस्य नहीं रहना चाहिये जबकि संविधान के अनुसार प्रधान मंत्री की सलाह से मंत्रियों का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है परन्तु प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटा कर केवल राष्ट्रपति को सूचित करें ऐसा नहीं है।

दूसरे आकाशवाणी और समाचारपत्रों के विवरणों में भी अन्तर है। इसका भी खुलासा होना चाहिये।

हम यह जानना चाहते है कि क्या श्री धारिया को मंत्रिमंडल से निकाला गया या उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया है। क्योंकि यह दोनों भी वास्तव में दो भिन्न बातें है। क्या प्रधानमंत्री ने श्री धारिया को यह पत्र लिखा कि उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जा रहा है तथा इसकी सूचना राष्ट्रपति को भी दी जा रही है। अतः सही स्थिति जानने के लिए हम चाहते है कि श्रीमती गांधी और श्री धारिया दोनों ही इस सम्बन्ध में, सभा में वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे केवल एक निवेदन ही मानता हूं यह व्यवस्था का प्रश्न नही।

श्री मोहन धारिया (पुना) : मैं अध्यक्ष महोदय को पहले ही सूचित कर चुका हूं कि मैं नियम 199 के के अन्तर्गत वक्तव्य देना चाहता हूं तथा मुझे बुधवार को वक्तव्य देने की अनुमति दी जाये। (व्यवधान)

श्री समर गुह (कंटाई) : अध्यक्ष महोदय यदि यह पूरे मंत्रिमंडल के त्यागपत्र या किसी बड़े फेर बदल की बात होती, तो यह बात हमारी समझ में आ जाती परन्तु जब किसी एक मंत्री को ही हटाया गया है और फिर उसके बारे में भी राष्ट्रपति को केवल इसकी सूचना ही दी गई है तो फिर क्या सरकार या प्रधान मंत्री का यह कर्तव्य नहीं है कि वह सभा को यह बतायें कि मंत्री को निकाले जाने के कारण क्या हैं? आज की कार्यसूची में मंत्री महोदय का नाम तथा उनका कार्य छपा हुआ है। अतः क्या प्रधानमंत्री यह स्पष्ट करेंगी कि क्या श्री धारिया को मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया है और यदि उन्हें निकाल दिया गया है तो इसके कारण क्या है ?

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि अध्यक्ष को इस सम्बन्ध में निदेश देने का अधिकार नहीं है। यह प्रधान मंत्री का विशेषाधिकार है कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें या नहीं।

श्री समर गुह: क्या श्री धारिया के त्यागपत्र या उनकी बर्खास्तगी के सम्नबध में आपको कोई पत्र भेजा गया है।

अध्यक्ष महोदय: अब आप कृपया बैठ जाइये। आप जो कुछ कहना चाहते थे आपने कह लिया। मुझे संसदीय कार्य मंत्री द्वारा एक पत्र भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि कार्यसूची की मद 2 के अनुसार मोहन धारिया ने कुछ पत्र सभापटल पर रखने थे। चूंकि श्री धारिया मंत्री नही रहे है अत: उनके स्थान पर मुझे पत्र सभापटल पर रखने की अनुमति दी जाये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र: जबकोई सदस्य मंत्रीमंडल में सम्मिलित किया जाता है तो प्रधान मंत्री सदन से उसका परिचय करवाती है। इसी प्रकार जबकोई सदस्य मंत्रीमंडल का सदस्य नही रहता तो उसके बारे में भी सदन को बताया जाना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Is it the Prerogative of the Prime Minister to include the home minister and continue with the corrupt Ministers ?

राष्ट्रपति से संदेश

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

अध्यक्ष महोदय : मुझे दिनांक 28 फरवरी 1975 का राष्ट्रपति का निम्न संदेश प्राप्त हुआ है :

> "मैंने 17 फरवरी, 1975 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष जो भाषण दिया था, उसके प्रति लोकसभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं।"

प्रधान मंत्री के जम्मू और कश्मीर सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE PRIME MINISTERS STATEMENT ON JAMMU & KASHMIR

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मंत्री द्वारा जम्मू और कश्मीर के बारे दिये गये वक्तव्य के बारे में विचार किया जायेगा। इसके लिए चार घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करती हूं।

> "कि यह सभा प्रधान मंत्री द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में 24 फरवरी 1975 को सभा में दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है।"

सम्पूर्ण देश में हमारे समझौते का जो व्यापक स्वागत हुआ है, उससे मेरा कार्य काफी आसान हो गया है। मेरे गत सप्ताह के वक्तव्य का लोगों तथा संसद सदस्यों द्वारा विश्लेषण किया गया है। केवल कुछ एक विशेष दलों को छोड़कर, अन्य सभी लोगों ने शेख अब्दुल्ला के साथ किये गये समझौते को सराहना की है। लोगों ने समझौते का स्वागत करते हुए यह महसूस किया है कि गत दो दशकों से चला आ रहा विवाद बहुत संतोषजनक ढंग से हल हो गया है।

[श्रीमती इंदिरा गांधी]

यह प्रशंसा की बात है कि श्री शेख अब्दुल्ला ने अपने मन की कटुता को त्यागकर बातचीत द्वारा सम्पूर्ण समस्या का हल निकालने में हमें पूर्ण सहयोग दिया है। उनका यह कार्य कश्मीर के हितों तथा प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिये काफी योगदायक सिद्ध होगा। श्री शेख अब्दुल्ला लगभग 40 वर्षों से कश्मीर के अग्रणी नेता चले आ रहे है। वह विभाजन की प्रवृत्ति के सदा ही विरोधी र तथा उन्होंने सदा ही कश्मीर को भारत के साथ मिलाने के पक्ष की वकालत की है।

यह समझौता कितना सफल या असफल है, इसका पता केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका विरोध किन लोगों ने किया है। इस समझौते का विरोध पाकिस्तान द्वारा किया गया है क्यों कि पाकिस्तान के पास विश्व जनमत को गुमराह करने के लिए अब कुछ नही रह गया है। श्री भुट्टों ने कश्मीर में हडताल का आन्हान दिया था परन्तु कश्मीर के लोगों ने उसे पूर्णतया ठुकरा कर अपनी देशभक्ति का परिचय दिया है। अब पाकिस्तान को यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिये कि अब वह न तो राज्य के कुछ एक लोगों के माध्यम अनुचित लाभ उठासकता है और न ही विश्व जनमत को गुमराह कर सकता है। मैं समझती हूं कि पाकिस्तान की तरह ही अन्य जिन लोगों या दलों ने समझौते का स्वागत नहीं किया उन्हें भी इससे उचित शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। मुझे याद है कि 24 फरवरी को जब मैंने इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिया था तो जनसंघ के एक प्रवक्ता ने तत्काल ही इसे आत्मसमर्पण की संज्ञा दे डाली थी। मुझे आशा है कि इस बीच की सप्ताह में उन लोगों ने समझौते के महत्व को और लोगों द्वारा उसका स्वागत किये जाने को समझ लिया होगा।

माननीय सदस्य समाचार पत्रों में पढ चुके है कि श्रीनगर में दो विस्फोट हुये। एक 24 फरवरी को तथा दूसरा शनिवार की रात को। यह विस्फोट वास्तव में राष्ट्रविरोधी तत्वों की असफलता के ही प्रतीक है। यह सौभाग्य की बात है कि इन विस्फोटों से कोई विशेष हानि नहीं हुई है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार की गतिविधियों से कश्मीर तथा भारत के लोग निरुत्साहित नहीं होंगे, अपितु उनके संकल्प और अधिक सुदृढ होंगे। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार की कार्यवाहियां करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायगी।

अब मैं इस समझौते की कानूनी बारीकियों के बारे में अधिक कुछ कहने वाली नही हूं क्यों कि इनके बारे में मेरे अन्य सहयोगी अपने विचार व्यक्त करेंगे। यह समझौता ऐसा है जिसमे हमारी आस्था तथा विश्वास को सुदृढ किया है, इसने आपसी सहयोग की बुनियाद को मजबूत किया है। मुझे आशा है कि सभा इसे आपसी मैत्री को और एक सुदृढ कदम समझ इसका स्वागत करेगी।

श्री दीनेशचन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा प्रधान मंत्री द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में 24 फरवरी, 1975 को सभा में दिये गये वक्तव्य पर विचार करने के बाद इसका अनुमोदन करती है।"

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्न प्रस्ताव प्रतिस्थापित किया जाये :—

"कि यह सभा प्रधान मंत्री द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में 24 फरवरी, 1975 को सभा में दिये गये वक्तव्य के बारे में विचार करने के बाद संकल्प करती है कि जम्मू और कश्मीर को शेष भारत का अभिन्न अंग बनाने के पिछले

दो दशकों से चले आ रहे कार्य को और आगे बढाया जाये और राज्य को भारत के अन्य राज्यों के समान दर्जा दिया जाये।"

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केंन्द्र पाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्न प्रस्ताव प्रतिस्थापित किया जाये :-

"कि यह सभा प्रधान मंत्री द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में 24 फरवरी, 1975 को सभा में दिये गये वक्तव्य पर विचार करने के बाद यह संकल्प करती है कि भारत के अन्य राज्यों को भी वही दर्जा प्रदान किया जाये जो कि जम्मू और कश्मीर राज्य को दिया गया है ताकि राज्य सरकारों को समवर्ती सूची के मामलों तथा कल्याण कार्यों, सांस्कृतिक कार्यों, सामाजिक सुरक्षा प्रक्रिया नियमों और अन्य इसी प्रकार के कार्यों के लिए अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सके तथा केन्द्र राज्य संबंधों में समानता हो सके।

(तत्पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch time till fourteen of the clock

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 33 मिनट पर पुन: समवेत हुई।

The Lok Sabha Re-Assesmbled after lunch at thirty three minutes past fourteen of the clock)

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : श्रीमान जैसा कि आपको ज्ञात है कि दिल्ली में हायर सेकेन्डरी स्कूलों तथा कालेजों के हजारों अध्यापक "अन्दर रहो" हडताल पर हैं। उन्होंने हायर सेकेंडरी की होने वाली परीक्षा का बहिष्कार करने की धमकी भी दी है। इसका अर्थ यह है कि 80,000 छात्रों के लिए समस्या उत्पन्न हो जायेगी। अत: शिक्षा मंत्री को तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि स्थिति का सामना किया जा सके।

श्री समर मुखर्जी (हावडा) : श्रीमान हमारे दल ने कश्मीरी नेताओं तथा भारत सरकार के बीच हुए समझोते का पहले ही स्वागत किया है। अच्छी बात है कि कश्मीरी जनता के नेता और भारत सरकार के बीच एक सूझबूझपूर्ण राजनीतिक समझौता हुआ है। लेकिन मुख्य प्रश्न स्वायत्तता का है। शेख अब्दुला और उनके साथियों की इच्छा है कि कश्मीर को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत स्वीकृत है। इसलिए उनकी मांग यह थी कि वहां 1953 से पहले की स्थिति पैदा की जाये। वह स्थिति यह थी कि कश्मीर राज्य को रक्षा, संचार और विदेशी मामलों सम्बन्धी अधिकारों को छोडकर बाकी सभी अधिकार प्राप्त होंगे। संघ या महासंघ की यही मुख्य विशेषता है। 1953 से पहले की स्थिति यह थी कि कश्मीर का पृथक संविदान, पृथक झंडा था और सभी आन्तरिक मामलों में उन्हें पूरी स्वायत्तता थी। हम चाहते है कि पुराने सम्बन्ध और मजबूत तथा घनिष्ठ हों। यह स्पष्ट हो गया है कि धर्मनिरपेक्षता की शक्तियों ने उपनिवेशवादी और तोडफोड करने वाली शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली है।

[श्री सनद मुखर्जी]

भारत सरकार ने अब विभिन्न वक्तव्यों के माध्यम से स्वीकार कर लिया है कि कश्मीर की जनता साम्प्रदायिकता के आगे नही झुक है और उसने अपनी धर्मनिरपेक्षिता की विचार धारा से साम्प्रदायिकता का जरूर सामना किया है । अतः यह समझोता धर्मनिरपेक्षता की विजय है । किन्तु जम्मू और काश्मीर में अभी भी साम्प्रदायिक शक्तियां विद्यमान हैं। मुझे यहा इस बात का उल्लेख करने म कोई संकोच नही है कि जनसंघ तथा मौलाना फारूक की संघर्ष समिति द्वारा अपनाया गया रुख दोनों पक्षों की जनता के घनिष्ठ सम्बन्धों और इनकी एकता के लिए सहायक नहीं है । इससे भुट्टो तथा अन्य दूसरे लोगों को काश्मीर के भीतर तोडफोड करवाने का एक बहाना मिल जायेगा ।

निस्संदेह यह सिद्ध हो गया है कि दमन की नीति पूर्णतया असफल रही है । भारत सरकार को यह बात मान लेनी चाहिए कि उसने काश्मीर की जनता के आन्दोलन के सम्बन्ध में शेख अब्दुल्ला तथा उनके साथियों को जेल में डालकर तथा दमन चक्र चलाकर एक गलत नीति अपनाई थी। यह सही है कि काश्मीर के लोगों की स्वायत्तता की मांग न्यायोचित थी। सरकार 22 वर्षों में शेख अब्दुल्ला तथा जनमत मोर्चा के नेताओं को पृथक करने में असफल रही है । दमन की नीति अपनाने से जनता की न्यायोचित मांगो और आकांक्षाओं को कुचला नहीं जा सकता ।

प्रश्न यह है कि क्या स्वायत्तता की मांग उचित है अथवा नहीं ? हमारे दल की स्पष्ट राय है कि यह कहना कि इस मांग से केन्द्र कमजोर पड जायेगा, सर्वथा गलत है। विभिन्न भाषा भाषी समुदायों द्वारा स्वायत्तता की मांग करना उचित तथा लोकतांत्रिक है । यदि कभी भी किसी राज्य से अधिक अधिकार प्राप्त करने की मांग की जाती है तो एकदम यह नही समझा जाना चाहिए कि इस मांग से प्रशासनिक तंत्र में गडबडी हो जायेगी । कश्मीर के लोगों की मांग न्यायोचित है । काश्मीर का अपना इतिहास है और यह बात याद रखनी चाहिए कि संविधान में अनुच्छेद 370 नेशनल कांफ्रेस के नेताओं के विचारों को ध्यान में रखकर ही निर्मित किया गया था और इसे मतैक्य से स्वीकार किया गया था । अतः काश्मीर के लिये संविधान में जो यह विशेष दर्जा स्वीकार किया गया है, वह भारत के संविधान का एक अविभाज्य अंग है । अतः कश्मीरी लोगों की पूर्वस्थिति की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए ।

समझौते में कहा गया है कि निष्कर्ष संवैधानिक ढांचे के अन्तर्गत निकाले गए हैं ।

प्रश्न उठाया गया है कि भारत सरकार ने अनुच्छेद 356 को समाप्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात को नहीं माना है । अनुच्छेद 356 का देश में विपक्षी सरकारों को गिराने में बहुत दुरुपयोग किया गया है । इस बात की कोई गारंटी नहीं कि काश्मीर के सम्बन्ध में भी इसका दुरुपयोग नहीं किया जायेगा । लोगोंके मन में यही धारणा बनी हुई है। मात्र औपचारिक समझोते से काश्मीरियों को संतोष नहीं होगा ।

दूसरी बात चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के बारे में हैं । चुनाव आयोग अब सत्तारूढ दल का हथियार बन गया है । अतः काश्मीर के लोगो को यह भय तथा संदेह होना स्वाभाविक रूप से ठीक ही है कि स्वायत्तता का प्रश्न कागज पर ही र गा और उन सम्बन्धो को खराब करेगा जो इस समझोते द्वारा बनाये जा र हैं । राज्यों के आधारभूत अधिकारों को कुचलने और सारे राज्यतंत्र को सत्तारूढ दल के लिए प्रयुक्त करने का रवैया जोर पकड़ रहा है । यह एक वास्तविक समस्या है । श्री शेख अब्दुल्ला ने इस समझौते को स्वीकारते हुए इच्छा प्रकट की कि वे कश्मीर का निर्माण नए तरीकों से करना चाहते हैं । किन्तु लोगों की आर्थिक और सामाजिक दशा में परिवर्तन लाने के लिए निहित स्वार्थ वाल लोगों

को अलग करना पड़ेगा। किन्तु कृषि के मामले में मुख्य कठिनाई सरकार की सामन्तशाही नीति ही है । राष्ट्रपति ने अभी तक कृषि सम्बन्धी कुछ प्रगतिशील विधेयकों पर अपनी अनुमति नहीं दी है । इससे केन्द्रीय सरकार के रवैया का पता चलता है । सरकार ने राज्य के संविधान में मूलभूत अधिकार सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दी है । हमें भय है कि यदि हम काश्मीर के लिए भूमि सुधारों को लागू करते है तो केन्द्रीय सरकार इसमें बाधक बनेगी । फिर भी हम इस समझौते का समर्थन करते हैं ।

श्री दीनेशचन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : एक छोटे से वर्ग को छोड़कर इस समझौते का देश के सभी लोगों ने स्वागत किया है । यह समझौता कोई दो राष्ट्रों के बीच नहीं है । यह तो देश का एक आन्तरिक समझोता है जो कि जम्मू और काश्मीर की जनता को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से किया गया है । इस समझौते के दो पहलू ह। पहला यह है कि क्या इस समझौते से विशेषतया जम्मू और कश्मीर की जनता तथा सामान्यतया देश की दूसरी जनता को लाभ होगा, और दूसरे क्या इस समझौते को करते समय इस देश के लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद जैसे मूल मुद्दों पर भी कोई सहमति हुई है । यदि इससे जम्मू और कश्मीर के लोगों को लाभ होगा तो इसका स्वागत है । और यदि इससे मूल मुद्दों का कोई उल्लेखन नहीं हुआ तो समूची सभा इस पर अपनी अनुमति दे देगी । कश्मीर की जनता का कल्याण सोचने वालों को इस समझौते का हार्दिक स्वागत करना चाहिए ।

इस समझौते की इसलिए भी आलोचना की गई है कि इससे अनुच्छेद 370 स्थायी बन गया है । दूसरे, इस अनुच्छेद क अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय का जम्मू तथा काश्मीर पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया है । और तीसरे इस राज्य को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई है । फिरवजीरे आज़म के पदनाम के बारे में कुछ असंगत टिप्पणियां दी गई हैं । जनसंघ ने तो इसका प्रबल निष्फल विरोध करने का प्रयास किया है ।

अनुच्छेद 370 के बारे में संविधान में संविधान निर्माताओं ने उपबन्ध कर रखा है कि जम्मू और कश्मीर संविधान सभा को इस सम्बन्ध में पहल करनी चाहिए कि क्या इस अनुच्छेद को समाप्त किया जाये या इसे लागू रखा जाये ।

जनसंघ द्वारा दिया गया यह तर्क, कि इस समझोते द्वारा अनुच्छेद 370 को स्थायी बनाया गया है, बिल्कुल गुमराह करने वाला है क्यों कि इस समझोते ने केवल विद्यमान स्थिति जिसकी पुष्टि उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय द्वारा इस समझोते के होने से काफी पहले अर्थात् 1970 के करीब कर दी थी, की पुनरावृत्ति की है । इस अनुच्छेद में भारत तथा जम्मू और कश्मीर के बीच एक पुल का सा कार्य किया है । इसके ही माध्यम से संसद द्वारा पारित अधिनियमों को जम्मू और कश्मीर पर लागू किया गया ।

यह भी प्रश्न किया गया हैं कि इतनी अधिक स्वायत्तता क्यों दी गई है ?

इसका कारण यह है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में कुछ विशेष परिस्थितियां है हमारे देश में, जहां संघात्मक संविधान है, समूचे देश के लिए कानूनों में एकरूपता लाना न तो संभव है और न ही वांछनीय ।

यदि कोई पू समझोते पर गहराई से विचार करे तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि यह समझौता सारे जम्मू और कश्मीर तथा शेष भारत क हित में है तथा इसका हार्दिक समर्थन किया जाना चाहिए ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व): भारतीय साम्यवादी दल प्रधान मंत्री के वक्तव्य और कश्मीर पर नए समझौते का स्वागत करता है । इससे जम्मू और कश्मीर के लोगों तथा भारत के दूसरेभागों के लिए एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ है ।

प्रसन्नता का विषय है कि धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के आधार पर लम्बे प्रयासों के बाद यह मामला सुलझ पाया है ।

इस समझौते का मूल आधार यह है कि शेख अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर के भारत के साथ विलय की अन्तिम रूप से पुनः अभिपुष्टि की है तथा प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से इस बात को दोहराया है कि जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत विशेष दर्जा प्राप्त होगा जो अब समाप्त नहीं होगा । कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करके प्रधान मंत्री ने कल्पनात्मक सूझबूझ दिखाई है । हम इस समझौते से संतुष्ट है ।

खेद की बात है कि अगस्त, 1952 में हुए समझोते के होने से काश्मीर में 1952 के अन्त में और 1953 के आरम्भ में कुछ सांप्रदायिक एवं विघटनकारी तत्व सक्रिय हो गए थे। इस समझौते से भी कुछ घातक तत्व सक्रिय हो गए है । खेद की बात है कि इस समझौते से जो मैत्रीपूर्ण वातावरण उत्पन्न होगा उसके प्रति अपनी आपत्तिजनक विचार-धारा व्यक्त करके उसे दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है । अनेक वर्षों से मेरा दल देश में प्रगतिशील शक्तियों को बढावा देने, धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतंत्र की प्रगति के लिए प्रयास करता आ रहा है ।

निस्संदेह शेख अब्दुल्ला एक साहसी व्यक्ति है तथा अपने लोगों के महान नेता है । कश्मीर का प्रश्न एक जटिल प्रश्न है जिसका समाधान एक महान व्यक्ति तथा योग्य नेता द्वारा ही किया जा सकता है । हमने सदैव जम्मू और कश्मीर में प्रजातांत्रिक वातावरण की अपेक्षा की है । अब वह कहां तक सही उतरेगा, हम नहीं जानते ।

मैं श्री समर मुखर्जी द्वारा व्यक्त आशंकाओं से सहमत हूं फिर भी आशावादी हूं । अब समझौता हमारे समक्ष है । मुझे विश्वास है कि इसके फलस्वरूप जम्मू और कश्मीर के प्रजातांत्रिक जीवन में प्रगति होगी और इसका प्रभाव तथाकथित आजाद कश्मीर पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भी पड़ेगा।

कश्मीर समझोते के अनुसार अन्य बाता के आधार पर हम अपने देश का स्वेच्छापूर्वक पुनर्गठन कर सकेंगे ।

डा० वी० के० आर० वी० राव (बेल्लारी) : श्रीमान, मैं सामान्यतः इस सभा में राजनीतिक वाद-विवाद में भाग नहीं लेता । किन्तु इस अवसर पर मुझे अपने कुछ विचार व्यक्त करने है । यह समझौता मित्रता का प्रतीक है । यह पारस्परिक समझ-बूझ उदारता तथा क्षमाशीलता पर आधारित है । यह किसी राजनीतिक दल का मामला नहीं है, यह तो एक राष्ट्रीय मामला है । इससे देश के भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा ।

इस सभा ने हाल ही में बंगला देश के प्रश्न पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया था। बंगला देश और हमारे इस उप-महाद्वीपीय में धर्मनिरपक्षता की स्थापना के प्रश्न पर यह सदन एक हो गया था । उसी तरह की एकता आज सदन में दृष्टिगत हो रही है । जब कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई आरम्भ किए जाने का यहां प्रश्न उठा है । इस विशेष मामले पर भी हमें उसी तरह समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

मैं शेख अब्दुल्ला के बारे में अधिक नहीं कहना चाहता । उन्होंने स्वयं ही कहा है कि 1931 से अब तक मैंने जो कुछ किया है वह सर्वविदित है, उन्होंने जम्मू और कश्मीर के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों तथा देश की आजादी के लिए संघर्ष किया है ।

मैं समझता हूं कि शेख अब्दुल्ला का स्वतंत्रता संग्राम में विशेष योगदान रहा है । हम सब को विदित है कि वह धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और प्रजातंत्र के प्रति कितने निष्ठावान थे । परन्तु आश्चर्य है कि फिर भी क्यों वह इतने वर्षों तक निर्वासित रहें ।

हमें स्मरण रखना चाहिए कि शेख साहब के साथ वार्ता का दौर श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था तथा उनकी पुत्री द्वारा सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया है। हमें इस समझौते पर अनुच्छेद 370 के कानूनी या सांवैधानिक पक्ष पर विचार नहीं करना चाहिए अपितु नये राजनीतिक विश्वास के आधार पर इसे आंकना चाहिए ।

काश्मीर का मामला, जब कभी भी हम विदेश जाते हैं, हमारे सम्मुख आता है। शेख के सरकार बनाने से विदेशों में व्याप्त गलतफहमी समाप्त हो जायेगी । वैसे यदि हम दृढ़ रहे एवं आत्मविश्वास रखें तो न्यूयार्क, वाशिंग्टन,टोक्यों आदि में कोई क्या कहता है इसकी चिन्ता हमें नहीं करनी चाहिए । मैं समझता हूं कि हमें आंतरिक दृष्टि से मजबूत होने की अधिक आवश्यकता है । मैं कह सकता हूं कि हम इस देश में अल्पमतों का विश्वास पाने में असफल रहे हैं ।शेख अब्दुल्ला मुसलमानों के बड़े नेता हैं । मुझे विश्वास है कि उनके आगमन से राष्ट्रीय एकता को प्रक्रिया में सहायता मिलेगी । जैसा कि प्रो० हीरेन मुखर्जी ने कहा, "काश्मीर भारत का एकमात्र मुस्लिम बहुमत वाला राज्य है । इस बात का हमें गर्व है" ।

शेख अब्दुल्ला ने कहा है कि जनमत संग्रह मोर्चा अब आवश्यक नहीं रहा । इस बात का हमें स्वागत करना चाहिए । मेरा ख्याल है जनसंघ के सदस्य भी इस पर पुनः विचार करेंगे।

शेख अब्दुल्ला के जनता के बीच फिर से आने से राष्ट्रीय एकता में मदद मिलेगी। उनके हमारे बीच आने से हमें और अधिक भारतीय बनने में मदद मिलेगी । वे काश्मीर के मुसलमानों की ही सेवा नहीं करेंगे बल्कि सारे देश की रक्षा करेंगे, जिसका मुसलमान एक महत्वपूर्ण अंग है ।

शेख अब्दुल्ला का कहना है कि इस समझौते के द्वारा जनमत संग्रह असंगत बात हो गई है । इस अवसर पर हमें गर्व होना चाहिए । मैं आशा करता हूं कि जनसंघ इस सम्बन्ध में फिर से विचार करेगा । मैं उनसे अपील करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में संकीर्ण दृष्टिकोन न अपनाए । हमें धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये । जम्मू और कश्मीर राज्य इसका प्रतीक है ।

लोगों के मन में यह डर है कि इससे देशभर में स्वायत्तता की मांग का आन्दोलन चल निकलेगा । हमें यह मानना चाहिए कि काश्मीर का एक विशेष स्थान है अतः हमें इसके इस विशेष स्थान के बारे में अन्य राज्यों से नहीं उलझना चाहिए । अतः काश्मीर की विशेष स्थिति के आधार पर अन्य राज्यों को स्वायत्तता की मांग करना गलत होगा। हमें याद रखना है कि इस राज्य का विशेष दर्जा है। मैं आशा करता हूं कि शेख साहिब देश को एकता और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करेंगे ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : प्रधान मंत्री तथा काश्मीर के महान नेता शेख अब्दुल्ला के बीच हुआ समझौता उस समस्या को हल करने की दिशा में एक कदम है जिसका समाधान, गत 20 वर्षों के दौरान नहीं हो सका । अपने दल की ओर से मैं इसका स्वागत करता

हूं। इस समस्या का समाधान आपसे बात चीत द्वारा किया गया है। हम चाहते हैं कि राष्ट्र विरोधी उद्देश्यों से पैदा हुई अन्य समस्याओं का समाधान भी इसी भावना से किया जाए।

कहा गया है कि शेख अब्दुल्ला इस राष्ट्र की मुख्य धारा में आ गए है, वह हमेशा ही राष्ट्रीय मुख्य धारा के साथ रहे है। लेकिन उनका यह रूप घटिया राजनीति के दलदल में घंस गया था। 1931 में भारती राजनीति में प्रवेश लेने के बादवे निरन्तर धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र तथा समाजवाद के लिए काम करते रहे महात्मा गांधी ने उनकी बहुत प्रशंसा की थी।

उन्होंने 1939 में मुस्लिम कांफ्रेंस को नेशनल कांफ्रेंस में बदलकर अपनी धर्मनिरपेक्षता का परिचय दिया था। महात्मा जी ने कहा था कि मौत के अंधकार में काश्मीर आशा की एक किरण है। शेख अब्दुल्ला अब भी आने वाले समय में काश्मीर ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश के लिए आशा की किरण सिद्ध हो सकते हैं। बात ऐसी नहीं है कि शेख अब्दुल्ला ने धर्मनिरपेक्षता का मार्ग, छोड़ दिया हो। दूसरे पक्ष के लोगों ने उनका विरोध किया। इसी पक्ष ने 9 अगस्त 1953 को एक ऐसे आदमी को आधी रात में अपना पद त्यागने के लिए कहा जिसने भारत छोडो आन्दोलन में कंधे से कंधा मिलाया और जो इस देश में काश्मीर छोडो आन्दोलन का नेता बना। संसदीय प्रजातंत्र के सभी मूलभूत अधिकारों को तिलांजली दे दी गई। वह विधान सभा के समक्ष प्रधान मंत्री होने के नाते अपनी स्थिति स्पष्ट करने का-अवसर चाहते थे। लेकिन उन्हें वह अवसर नहीं दिया गया। उन्हें जेल में डाल दिया गया।

शेख अब्दुल्ला को दमन और अत्याचार को सहने के लिए बाध्य किया गया था। इसे सहने के बाद भी उनमें कटुता नहीं थी। वह उन लोगों से रूष्ट नहीं थे। क्यों कि वह अब भी साम्प्रदायिकता, प्रजातंत्र तथा समाजवाद में विश्वास रखते थे। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि किसी सभ्यता का समाधान बातचीत द्वारा ही किया जाना चाहिए न कि नजरबन्दी के आदेशों तथा जेल आदि द्वारा।

विपक्ष को विद्रोही दल के समान नहीं समझना चाहिए। यदि श्री जयप्रकाश नारायण कोई मांग करते है तो एकदम ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वह देश के दुश्मन तथा विदेशी साम्राज्यवाद के एजेन्ट है। 1953 में जो भी लोग सत्ता पर थे, उन्होंने काश्मीर के मामले में गलत निर्णय लिया। अनेक वर्षों तक शेख अब्दुल्ला के विरुद्ध मुकदमा चलने के बाद अदालत में लगाए गए दोष सिद्ध न हो सके तथा मामला वापस लेना पड़ा।

प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है समझौते में कोई भी ऐसी बात नहीं मानी गयी जिससे कि वर्तमान स्थिति कुछ कमजोर पड जाए। जो लोग समझौते के विरुद्ध है, उन्होंने कहा है कि वजीरे आजम का औहदा स्वीकार किया गया। लेकिन काश्मीर के लोग इसे चाहते हैं और स्वीकार करते हैं। 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रान्तों के मुख्य मंत्रियों को प्रिमियर कहते थे। और राजाजी प्रथम प्रीमियर थे। केन्द्र तथा राज्यों से में मंत्री होते थे। अतः नाम से कोई अन्तर नहीं पडता।

जम्मू काश्मीर के लिए एक पृथक संविधान है और उस संविधान के अनुसार उन्हें कुछ अधिकार दिए गए है। यह कोई असाधारण बात नहीं। यदि एक राज्य का संघात्मक संविधान के स्थान पर अपना संविधान है तो उसे राष्ट्रविरोधी नहीं कहना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि जम्मू काश्मीर का एक खास मामला था और अगर उसी आधार पर कोई और रसमान मांग करता है तो हमें उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर अन्य राज्य भी समान स्वायत्तता और समान शक्तियों की मांग करते हैं तो सरकार क्यों डरती है?

शेख अब्दुल्ला ने मद्रास में कहा था कि विशेष समस्यों के लिए विशेष समाधानों की आवश्यकता होती है। उन्होने यह भी कहा था कि काश्मीर को अन्य राज्यों के साथ मत मिलाओं, क्यों कि वह तामिलनाडु राज्य को स्वायत्तता का समर्थन करते हैं। इससे राष्ट्रीय एकीकरण को बल मिलेगा। यदि राज्य स्वायत्तता के सिद्धान्त का परीक्षण करके जम्म काश्मीर के लोगों को भारत की मुख्य धारा में मिलाना है और यदि देश के अन्य राज्य भी स्वायत्तता की मांग करते है तो देश के अन्य भागों पर इसका असर कैसे पडेगा?

लेकिन जब मैं अधिक स्वायत्त्ता की मांग करता हूं और राज्यों को अधिक शक्तियों के देने, पृथक राज्य के लिए पृथक ध्वज, पृथक राष्ट्रीय गीत तथा पृथक संविधान बनाने की बात करता हूं तो दूसरा पक्ष इस बारे में मुझ से सहमत या असहमत हो सकता है। उन्हें चाहिए कि वे इस मामले पर हम से चर्चा करें। वह हमें बुरा न कहे और नही हमारी मांग को राष्ट्र विरोधी कहे।

हम आशा करते है कि शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक नए काश्मीर का निर्माण होगा जिसका अनुकरण भारत के अन्य भागों द्वारा किया जा सकेगा।

श्री के० हनुमन्तैया (बंगलोर) : हम काश्मीर के मामले का काफी लम्बे समय से लटकाते चल आ रहे है। हो सकता है इससे कुछ विवाद वैध हो जाए। काश्मीर का महत्व राष्ट्रीय प्रगति में उसके योगदान या एकता के मामले में यहा के नेताओं द्वारा स्थापित किए उदाहरणो से सिद्ध होता है बल्कि वहां उठे विवाद से सिद्ध होता है।

दुर्भाग्य से विपक्ष के लोग काश्मीर राज्य को सौदे बाजी की शक्ति को और बढा रहे है। हम सदैव विपक्षी सदस्यों से यहा अनुरोध करते रहे है कि उन्हें इस मामले पर जाने या अनजाने में खिलवाड नहीं करना चाहिए ताकि राज्यो के प्रति केन्द्र का व्यवहार सम्बन्धी असंतुलन, जैसा कि यह आरोप लगाते है बढ न सके। इस प्रकार के अवांछित महत्व को और प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए।

प्रधान मंत्रीद्वारा सभा पटल पर रखे गए समझौते से सम्बन्धित दस्तावेज और समझौते की शर्ते संतोष जनक है। शेख अब्दुल्ला के बातचीत करने का मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय सरकार और राज्य के बीच धनिष्टता पैदा करने हेतु गलत पहलियां दूर करना है। शेख ने केन्द्र के साथ विलय और एकता के प्रश्न को अनिवार्य रूप में स्वीकार किया है। हमें एक मत होकर इस समझौते को स्वीकार करना चाहिए जिससे भारत के अन्य भागो में अशान्ति न फैले।

श्री के० हनुमन्तैया (बंगलोर) :सरकार ने जम्मू और काश्मीर में बारे में शेख अब्दुल्ला से जो समझौता किया है, वह सराहनीय है।

मेरी धारणा तो यह है कि हम बहुतसमय पहले से काश्मीर के मामले के प्रति इतना शोर शराबा व्यर्थ ही करते रहे। इस राज्य का महत्व जनसंख्या की दृष्टि से नहीं है अपितु इससे विवाद ग्रस्त के कारण है। हम देख रहे है कि भारत सरकार के प्रशासन में काश्मीर के लोगों को समुचित स्थान मिला हुआ है। मंत्री स्तर से नीचे तक सभी पदों पर वे लोग कार्य कर रहे है। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। हम विरोधी पक्ष से बार बार अनुरोध कर रहे है कि वे व्यर्थ ही इस मामले को न उठाया करे। आजादी मिलने के साथही साथ काश्मीर समस्या उत्पन्न हो गई। हम सभी लोगों ने अखंडता, एकता तथा संविधान निर्माण में समान रूप से कार्य किया। किन्तु उसी क्षेत्र के कुछ नेताओं ने अपनी प्रसिद्धी के लिए स्थिति का नाजायज लाभ उठाया। इसलिए मेरा विरोधी पक्ष से अनुरोध है कि वे इस प्रकार व्यर्थ की ख्याति प्राप्त करने के लिए इस तरह का कार्य न करें।

जब शेख अब्दुल्ला काश्मीर के प्रधानमंत्री थे तब यह विवाद खडा हुआ कि क्या राज्य दो झंडे होने चाहिए ? किन्तु यह मांग स्वीकार नहीं की गई । शेख अब्दुल्ला ने काश्मीर को पृथक दर्जा देने की मांग की । मुझे बताया गया है कि उन्हें कुछ देशों से सहायता भी मिली ।

शेख अब्दुल्ला के प्रश्न पर कई बार चर्चा की गई है । पिछली बार मैंने शेख अब्दुल्ला के रवये को ठीक नहीं समझा। इस मतभेद के बावजूद भी मेरी उनसे अच्छी मित्रता है।

उन्हें सही मार्ग पर आने में 20 वर्ष लगे है । हमारी नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ठीक समय पर उचित राजनीतिक कदम उठाये है । जिनके फलस्वरूप यह समझौता हो पाया है । इस समझोते में शेख अब्दुल्ला ने जो बाते स्वीकार की है, यदि उन्हें वह उस समय स्वीकार कर लेते तो उन्हें गिरफ्तार करने की नौबत ही नहीं आती । और यह विवादग्रस्त मामला कभी का हल हो जाता ।

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार में अंतर है । दोनों ही अपनी अपनी जगहों पर है। अतः किसी भी राज्य द्वारा केन्द्रीय सरकार से यह मांग करनी कि हमें भी केन्द्रीय सरकार के समान दर्जा दिया जाये हास्यास्पद है । भारत जैसे देश में सभी राज्यों को समान दर्जा नहीं दिया जा सकता । अतः प्रशासनिक राजनीतिक तथा संवैधानिक ढांचे का आधार भारतीय एकता ही है ।

आजादी के समय द्रमुक एक पृथक राज्य के पक्ष में था । किन्तु जब उनके प्रतिनिधी संदद में आ गए तो वे राष्ट्रीय राजनिती की मूख्य धारा में सम्मिलित हो गए ।

भारत जैसे देश में इतनी बडी जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए कुछ थोडे से लोगों से काम नहीं चल सकता । इसलिए जहां कहीं क्षमता तथा मितव्ययिता की आवश्यकता होगी, वहां हमे कुछ न कुछ उपाय लागू करने होंगे जो कि प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों के रूप में है । इस तरह के शक्तियों के लिए कांग्रेस के मुख्य मंत्री भी अनुरोध कर रहे हैं, यदि काश्मीर राज्य को स्वायत्तता से जोड रहे है तो आप गलती कर रहे हैं । शेख अब्दुल्ला को गलतफहमी थी किन्तु यह समझोता करके उन्होंने गलत फहमी दूर कर दी है । शेख अब्दुल्ला ने कभी दर्जे की मांग की और कभी किसी और मांग को रखा ।

प्रधान मंत्री ने सभा के समक्ष जो वक्तव्य पेश किया है, तथा उसमें जो शर्तें आदि हैं, वे संतोषजनक है, इस समझोते का मुख्य उद्देश्य गलत फहमी को दूर करना तथा केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के बीच एकता स्थापित करना है । प्रधान मंत्री ने काश्मीर के नेताओं के रवैये में परिवर्तन किया है जो पहले विशेष दर्जा चाहते थे । हमें यह समझोता स्वीकार करना चाहिए ताकि यह विवाद पुनः खडा न हो ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I have moved a counter proposal on behalf of Bhartiya Jan Sangh on the statement made by the Prime Minister in this House on 24th February 1975 that Jammu and Kashmir be brought at par with the other states. The Prime Minister stated that Shaikh Abdullah was very anxious that to start with the constitutional relationship between the state and the Centre should be as it was in 1953. She said that it was explained to him that the clock could not be put back in this manner. Had this assertion of the Prime Minister been correct we would not have, apposed this accord. Our demand has been not only the progress made in strengthening relationship between Jammu and Kashmir should be maintained but this should be carried further. There should be no gulf between Jammu and Kashmir and the remaining part of the country. This state is an integral part of our country. Our Jawans have shed their blood for the defence of this state.

We have been demanding complete integration of the state with the rest of the country ever since Jammu & Kashmir was given a special status.

All provisions of our constitution can be amended by Parliament. But the Prime Minister said the other day that Article 370 becomes a permanent part of our Constitution. I want to know the names of the legal huminary who has advised the Prime Minister like that.

Shri Vikram Mahajan (Kangra) : Who has said it ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Prime Minister has said it.

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और औद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : यह अन्य गनुच्छेदा से अधिक स्थाई नहीं हो सकता।

Shri Atal Bihari Vajpayee : There is the question of interpretation. It is against the spirit of the explanations of Article 370 so far made in the House and elsewhere. By this accord they are putting back clock by 22 years.

There was a lot of discussion on Article 370 in our Constituent Assembly. Maulane Hasrat Mohani complained against the discrimination Article 370 makes with the pledge of Kashmir and the pledge of the State do not enjoy the right enjoyed by the rest of the people or the rest of the country. Dr. Gopala Swamy Ayyenger had said that this discrimination was due to the special conditions of Kashmir.

Even Shri Jawahar Lal Nehru had stated on 27 November, 1953 that Article 370 was a part of transitional and provisional arrangement and it was not permanent part of the Constitution.

Head the Prime Minister said that Article 370 is not permanent and is as good as other Articles of the Constitution it would have very good.

Shrimati Indira Gandhi : That was the intention.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Then it could have been expressed in a clear language.

The question of Article 370 was also referred to the Gajendragadkar Commission who referred to the title 'temporary and transitional provisions' with respect to the state of Jammu and Kashmir.

If some one says that the time is not ripe to end Article 370 we would stress that it should be abolished. But now the matter has been closed.

Secondly, Jammu and Kashmir State has been given residuary powers whereas under the Constitution these powers were given to the Centre. What is the justification for that ?

It has been agreed that the provision in Article 132(2) enabling the Supreme Court to grant special leave to appeal on the refusal of a certificate by the High Court need not apply to the State of Jammu and Kashmir. Why should the citizens be debarred to get the benefit of that Article ?

The agreed conclusions reached with Sheikh Abdullah seek to reassume that if State Government came up with any proposal to change any central law enacted after 1953 on matters in the concurrent list the grant of assent to the Bill (proposal) would be sympethetically considered. It means that laws passed by Parliament would be nullified.

श्री के० हनुमंतैया (बंगलोर): समझोते में संसद की प्रभुसत्ता सुरक्षित रखी गयी है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The nomenclature of Wazir-e-Azam for the head of the Government was changed to Chief Minister and new the clock is being reversed. In this respect certain statements have been made which have not come before the House. I request that the true and balanced picture of the agreement may be given to the House.

This matter relates to the integration of the nation. India's Constitution is primarily of unitary nature. Under this type of Constitution the Centre is more powerful. Our's is a Union and not Federation of States. Our set up is quite different from America. Therefor I do not understand how the residuary powers have been given to Jammu and Kashmir State.

Sheikh Abdullah and his Associates wanted that Jammu and Kashmir should be out of the Jurisdiction of the Supreme Court. They also desired the State to be outside the jurisdiction of the Election Commission. It was also demanded that Article 356 should not apply to that state. Why did Sheikh Abdullah and his Associates make such demands? Under Article 356, President's rule can be imposed in a state if there is any political crisis. I agree that this has been misused by the ruling party. But it is their mistake not of the framers of the Constitution. Mr. Deputy Speaker, the fact is this that if Pakistan had not invaded Jammu and Kashmir, Sheikh Abdullah would have worked for independent Kashmir.

Why Sheikh Abdullah was arrested in 1953 ? He was sent to jail (*Interruptions*).

"पंडित नेहरू ने कहा था कि काश्मीर में सारी गडबड शेख अब्दुल्ला के सांप्रदायिक दृष्टिकोण के कारण है । वह राज्य को शांतिपूर्वक तथा स्थिरता से नहीं रहने देना चाहते हैं ।

शेख हिन्दुओं की 35 प्रतिशत जनसंख्या को भूलकर हमेशा मुसलमानों के अधिकारों की बात करते है ।"

The Government have given Special concession to Kashmir in this accord. This will open the floodgates for similar concessions from other states.

When Sheikh Abdullah was in power earlier, Jammu and Ladakh regions were discriminated against and neglected. As a result of this, demand was made from Jammu to separate it from Kashmir. But it were we people who strongly opposed this demand. One Hon. member from Ladakh has been persistently demanding that Ladakh should come under Central Government. It is true that the economic condition of Ladakh is deplorable. Ladakh has not been given justice in this regard. Therefore Gajendragadkar Commission was appointed to look into the problems of Ladakh but its recommendations have not been implemented. No development Boards have been set up for Jammu and Ladakh areas. The recruitment policy should be changed. I feel the problems and difficulties of Jammu and Ladakh people under Shaikh's rule will increase.

The Prime Minister has said that a big experiment is being made. If this experiment succeeds and Sheikh Abdullah joins the mainstream, we will be happy. Of course constitutional issues will be a separate question. The special status which has been given to Jammu and Kashmir will increase communal feelings in the country.

My substitute motion to the effect that the process of integration of Jammu and Kashmir with the rest of India going on during the last more than two decades be carried further and the State be brought at par with other States reflects the general feeling in the House. It should therefore be accepted.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : 22 वर्षों के पश्चात शेख अब्दुल्ला का राष्ट्रीय मुख्यधारा में पुनः मिलना एक महत्वपूर्ण घटना है । वर्ष 1953 के बारे में काफी कुछ कहा गया है । यह स्मरणीय है कि 1953 के पश्चात इन 22 वर्ष

के दौरान अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है । जम्मू और कश्मीर भी भारतीय सीमा पर तीन युद्ध ल गए है और मातृ भूमि की रक्षा के लिए समूचे राष्ट्र ने बहुमूल्य रक्त बहाया है । पुराना पाकिस्तान अब समाप्त हो चुका । बंगला देश स्वतंत्र हो गया है और जम्मू तथा काश्मीर स्वत: ही शेष देश के साथ मिल गया है । वहां संवैधानिक एवं वैधानिक एकता आई है । संविधान की केन्द्रीय सूची में 97 में से 92 तथा समवर्ती सूची में 47 में से 26 प्रविष्टियां जम्मू और काश्मीर में लागू हो गई है । आर्थिक दृष्टि से जम्मू और काश्मीर की ओर विशेष ध्यान दिया गया है । राज्य की पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय योजना के अनुरूप ढाल दी गई है ।

वित्त आयोगो ने राज्य की विशेष आवश्यकताओं और समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया है जिससे वहां पर्याप्त प्रगति हुई है । प्रशासनिक सेवाओं में भी एकता का संचार हुआ है। और अब राज्य राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ चल रहा है ।

अब नई पीढी के आजाने से भी वहां के हालात काफी बदले है जिनके लिए विभाजन इतिहास का ही एक पृष्ठ है । समय की धारा कभी पीछे नहीं मोडी जा सकती अतः इस समझोते में भी गत 22 वर्ष की घटनाओं के संदर्भ में मान्यता दी गई है ।

संविधान का अनुच्छेद 370 राज्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अनुच्छेद 368 जो राज्य पर उतना ही लागू होता है । अतः कोई नई बात नहीं हुई है जैसा कि प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है ।

मैं इस विषय में अन्य बातों का उल्लेख करूंगा । पहली यह कि राज्य के लिए राष्ट्रीय एकता एकीकरण और सुरक्षा सर्वोपरि है। क्यों कि इसकी भौगोलिक स्थिति विशेष है और इसका काफी बडा भाग अभी विदेशी नियंत्रण में है ।

एक बात, जिसकी शेख अब्दुल्ला ने पुनः पुष्टि की है यह है कि राज्य देश का अभिन्न अंग है और सदा रहेगा।

दूसरी बात राज्य के तीन क्षेत्रों के बारे में है और इन क्षेत्रों की जलवायु, रहन सहन भाषा, रीति रिवाज आदि सब भिन्न है । कुछ ऐतिहासिक कारणों से इन क्षेत्रों के कुछ असंतुलन आ गए है और इन्हें दूर करने के लिए ही गजेन्द्रगडकर आयोग बनाया गया था जिसके परिणाम स्वरूप में असंतुलन दूर करने के लिए अनेक कदम उठाये गए जिन में जम्मू क्षेत्र में 25 वर्षो बाद रेल चलाई गई, सलाल परियोजना आरंभ की गई। जम्मू क्षेत्र में किए गए अनेक विकास कार्यों के साथ साथ कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों का समुचित विकास भी सुनिश्चित किया जा रहा है और शेख अब्दुल्ला ने भी इसका आश्वासन दिया है और हम आशा कर सकते है कि शीघ्र ही ठोस कदम उठाए जाएंगे ।

राज्य में से भ्रष्टाचार मिटा कर इसे आदर्श राज्य बनाने के उनके संकल्पका मै स्वागत करता हूं और उनकी सफलता की कामना करता हूं।

जम्मू कश्मीर राज्य एक ओर सैनिक संघर्ष और दूसरी ओर विचारधारा का युद्ध क्षेत्र रहा है । जहां एक ओर वहां पर धर्म निर्पेक्ष और प्रगतिवादी शक्तियां कार्य कर रहीरही है । वहां उनका मुकाबला सांप्रदायिक और रूढिवादी शक्तियों से रहा है, आशा है कि शेख साहिब के राज्य की मुख्य धारा में आ जाने से प्रगतिवादी शक्तियों को बल मिलेगा और हमारी आस्था और विश्वास और सुदृढ होगा । यह समझोता हमारे राष्ट्र और लोकतंत्रीय मान्यताओं में हमारे गहरे विश्वास का प्रतीक है । जन संघ एकपार्टी के नाते तो इसका

[डॉ० कर्ण सिंह]

विरोध कर सकता है परन्तु एक राष्ट्र के नाते हमें इसके प्रति विश्वास और श्रद्धा दिखानी चाहिये। यही एक महान और आत्मविश्वास रखने वाले राष्ट्र का लक्षण है।

दुर्भाग्य की बात है कि इस समझोते से दो व्यक्ति अर्थात् श्री भुट्टो तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी सर्वाधिक अप्रसन्न है। पाकिस्तान ने राज्य का 2/5 भाग अपने कब्जे में लिया हुआ है। हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। यदि आप कभी पाकिस्तान रेडियो सुनेंगे तो यह स्पष्ट हो जायेगा **(व्यवधान)**।

शिमला समझौते में हमने जो उदारता दिखाई तथा पाकिस्तान के साथ मित्रता का जो हाथ बढाया परन्तु पाकिस्तान ने उसके अनुकूल कार्य नहीं किया। हमें आशा थी कि वह शिमला समझौते की भावना के अनुकूल कार्य करेंगे किन्तु निराशा ही हाथ लगी है। पाकिस्तान द्वारा स्वयं को पुनः हथियारों से लैस करने का सबको पता है चार बार जम्मू और काश्मीर युद्ध क्षेत्र बना है। पिछले युद्ध के दौरान भी वहां के हजारों लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी तथा कठिनाइयां सहनी पडी। किन्तु मुझे पुरा विश्वास है कि यदि पाकिस्तान ने पुनः भारत के साथ युद्ध करने का दुस्साहस किया तो इसका अंत शेष पाकिस्तान के लिए भयंकर दुर्भाग्य में होगा।

फिर भी मेरा निदनवे यह है कि हमें इस समझौते की भावना को समझना चाहिए। यह एक राजनीतिक समझौता है। शेख अब्दुल्ला, गांधीजी, पंडितजी, मौलाना आजाद तथा बादशाह खान के साथी रह चुके है।

हमें शेख अब्दुल्ला पर विश्वास होना चाहिए। यह एक राजनीतिक समझोता है। शेख अब्दुल्ला अब पूरी तरह परिवर्तित रूप में हमारे सामने आये है। उनका उद्देश्य उन आदर्शों को मजबूत करना है, जिनके हम समर्थक है। अतः हमें कामना करनी चाहिए कि वह अपने उद्देश्यों में सफल हों। समूचे सदन को शेख साहब में अपना विश्वास प्रकट करना चाहिए क्यों कि विश्वास से ही विश्वास पैदा होता है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के निर्माण का कठिन कार्य अपने हाथों में लिया है जिसकें लिए हमें अपनी सद्भावना प्रकट करनी चाहिए।

श्री सुरेंद्र महन्ती (केन्द्र पाडा) :यद्यपि प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह दावा किया है कि भारत और काश्मीर के सम्बन्धों को अंतिम रूप दे दिया गया है, किन्तु शेख अब्दुला ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे। उनका कहना है कि इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जाते रहेंगे। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि निरंतर की यह प्रक्रिया कहां ले जायेगी।

दूसरी बात यह है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर किसने-किसने किए हैं। इस पर हस्ताक्षर कर्ता श्री पार्थसार्थी तथा मिर्जा अफजल बेग हैं। आइये मिर्जा अफजल बेग के इ तिहास पर एक दृष्टी डालें।

श्री स्वर्ण सिंह (जालंधर) : जब आप समझौते का समर्थन कर रहे है तो फिर इन बातों में क्यों जाते हैं।

श्री सुरेंद्र महन्ती : मैं केवल तथ्थों को सामने लाना चाहता हूं। नेहरु जी ने 8 अगस्त 1953 को ल सभा मे कहा था कि दुर्भाग्य की बात है कि शेख अब्दुल्ला को गलत सलाह दी जा रही है और शेख अब्दुल्ला की कई बातें उनको दी गई अनुचित सलाह से प्रभावित हैं जिससे राज्य के लोगों के मन में भ्रान्ति उत्पन्न हो रही है।

मिर्जा अफजल बेग की गलत सीख का शिकार शेख अब्दुल्ला को होना पड़ा। इसलिए आश्चर्य होता है कि वही अफजल बेग आज केन्द्र तथा राज्य के बीच समझोता करवाने में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। जब ये दोनों ही व्यक्ति निराश हो गए तो फिर वे इस तरह का समझोता लेकर सामने आये और उन्होंने प्रधान मंत्री को सहज ही जाल में फंसा लिया।

सभा को याद होगा कि शेख अब्दुल्ला तथा मिर्जा अफजल बेग को गिरफ्तार किया गया था और आज इन्ही दो व्यक्तियों के साथ समझौता किया जा रहा है।

अनुच्छेद 370 के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। संविधान के प्रारूप में अनुच्छेद 370 मूल रूप से अनुच्छेद 306 क था। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 को संविधान का स्थायी अंग क्यों बनाया जा रहा है।

कहा गया है कि अनुच्छेद 131 का, जो जम्मु और काश्मीर के संबंध में लागू नहीं होगा स्थान अनुच्छेद 136 लेगा। अनुच्छेद 132 अनिवार्य है जब कि अनुच्छेद 136 भेदमूलक है।

रक्षा मंत्री ने कहा है कि आप अतीत की बातें क्यों कर रहे है? अतीत का वर्तमान पर प्रभाव है और वर्तमान का भविष्य पर पड़ेगा। मैंने एक प्रतिस्थापन प्रस्ताव पेश किया है कि यदि आप जम्मू और कश्मीर को विशिष्ट शक्तियां दे रहे है तो फिर आपको वही विशेषाधिकार अन्य राज्यों को भी देना होगा। कहा जा रहा है कि इससे देश में असंतोष उत्पन्न हो जायेगा और राष्ट्र विघटित हो जायगा। भारत संघ के विघटन के नाम पर अन्य राज्यों के वही शक्तियों तथा विशेषाधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। मेरा विचार है कि यदि राज्यों को अधिक शक्तियां दी जायें तो वे स्वयं भी विकसित होंगे और भारत को मजबूत भी बनाएंगे।

इस समझौते की एक विशेषता यह है कि शेख अब्दुल्ला को वजीरे आजम कहा जायेगा इसका अर्थ यह होगा कि देश में दो प्रधान मंत्री होंगे। वह अभी भी विशेष दर्जा चाहते है। सरकार बताए कि किन कारणों से उन्हें विशेष दर्जा दिया जा रहा है?

संसद को इस समझौते के बारे में विश्वास में नहीं लिया गया है। पार्थसारथीतथा बेग ने इस ढंग से करार किया है मानो वे दो स्वतंत्र राज्यों के पूर्णाधिकारी हों। उस मय गृह मंत्री कहा थे? विदेश मंत्री से परामर्श क्यों नहीं किया गया? प्रधान मंत्री इस समझौते के चुनावों पर प्रभाव डालना चाहती है। वह दावा करेंगी कि मैंने बंगला देश को मुक्ति दिलाई। काश्मीर के मामले में वह कहेगी कि जो कुछ मेरे पिता नहीं कर पाये मैंने वह करके दिखाया। किन्तु यह एक ऐसी अनवर प्रक्रिया है, जिससे भविष्य में देश का विघटन होगा और जिससे कभी भी किसी लक्ष्य की प्राप्ति नही होगी। मै इस परन्तुकों के साथ इस समझौते का स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार की स्वायत्तता अन्य राज्यों को भी दी जाये।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।
MR. SPEAKER *in the chair*]

अध्यक्ष महोदय : अभी कई सदस्यों को बोलना है और हमारे पास केवल एक घंटे का समय रह गया है। अभी और कितना समय लगेगा?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : आधा घंटा।

Shri Shyam Nandan Mishra (Begusarai) : We will make our observations tomorrow.

Mr. Speaker : Finish today, as already decided upon.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : हम अपना अखिल भारतीय अधिवेशन कर रहे है; जो 6 बजे आरम्भ होगा ।

श्री के० रघुरामैया : हमें इस पर चर्चा आज ही समाप्त कर लेनी चाहिए । इस तरह तो रोज ही कार्य अगले दिन के लिए स्थगित होता रहेगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : 15–20 मिनट में सारे वक्ता नहीं बोल सकते । हम इस पर चर्चा सत्र के अंतिम दिन के लिए स्थगित कर सकते है । किसी भी काश्मीरी सदस्य ने भाषण नहीं दिया ।

श्री के० रघुरामैया : आज हम एक घंटे और बैठ जायेंगे ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आज नहीं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने प्रतिस्थापन प्रस्ताव की सूचना दी है। जब प्रधान मंत्री उत्तर देंगी तो मैं यहा उपस्थित रहना चाहूंगा । मुझे अपने दल के अधिवेशन में 6 बजे पहुंचना है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जब उनका अधिवेशन 6 बजे आरम्भ होगा तो फिर हम आज की बैठक हमेशा की तरह 6 बजे स्थगित कर देंगे।

श्री सय्यद अहमद आगा (बारामूला) : प्रधान मंत्री ने यह समझौता करके अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है । काश्मीर के लोग भारत के साथ भारत का अंग बनकर रहना चाहते थे इसलिए उन्होंने काश्मीर नरेश को भारत के साथ मिलने के लिए बाध्य किया । शेख अब्दुल्ला ने काश्मीर के लोगों को कहा कि द्विराष्ट्र वा सिद्धान्त गलत है उन्होंने वहां की जनता को बताया कि भारत के और विभाजन से अधिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी । कश्मीरी हिंदू तथा कश्मीरी मुसलमान, सभी असंतुष्ट है । यह झगडा हिन्दुओं तथा मुसलमानों का नहीं है अपितु यह झगडा अमीरी गरीबी का है । विदेशी शासन ने हमारा दमन किया और उसने हमें प्रगति नहीं करने दी । वहां के लोग भारत के साथ रहना चाहते है । यह तो हमारा अपना आंतरिक मामला है । पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अब इस संबंध म कुछ भी नहीं कह सकता । निःसन्देह यह सिद्ध हो गया है कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है ।

अनुच्छेद 370 के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । केन्द्रीय सूची में 97 प्रविष्टियों में से 92 प्रविष्टियां जम्मू और कश्मीर पर लागू कर दी गई है । समय आयेगा जब कि यह अनुच्छेद पूर्णतया असंगत सिद्ध हो जायेगा। अनुच्छेद 370 की बात कहकर तो दूसरों का ध्यान बांटना है, अन्यथा इसमें कुछ भी नहीं है।

स्वायत्तता की बात करते समय यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि काश्मीरी भारत में विलय क्यों होना चाहते है ? इसका कारण यह है कि वे नया कश्मीर का सिद्धान्त, तथा समाजवादी विचार धारा को कार्यान्वित करना चाहते है । शेख अब्दुल्ला सदैव जागीरदारों भूपतियों के विरुध्द रहे है । जब वह 1947 में मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने भूमि सुधार नियम के अन्तर्गम 4,50,000 एकड़ भूमि किसानोंमें वितरित की । अब हम शेख अब्दुल्ला तथा उनके साथियों को अपने साथ मुख्यधारा में मिला रहे है । वे हमें आगे बढने में सहायता देंगे ।

कहा गया है कि एक समाचार के अनुसार शेख अब्दुल्ला एक संवाददाता के इस विचार से सहमत नहीं है कि श्री भुट्टो का आह्वान भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। इस संबंध में उन्होंने यह भी कहा है लेकिन यह सही नहीं है। सही बात यह है कि श्री भुट्टो अपना काम देखें, उनको हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

सीमा के उस पार सैनिक हलचल के और समाचार मिले है। हमें उस ओर ध्यान देना चाहिए। अमरीका ने पाकिस्तान को हथियार दिए है। इसका परिणाम होगा हमारे सामान्य हो रहे सम्बन्धों में बाधा आना। हमें अपना ध्यान इस ओर देना चाहिए, न कि अनुच्छेदों 370 या श्रम कानून के अन्तर्गत कुछ राहत देने की ओर16 मार्च को प्रदर्शन करने की बात को जा रही है। कहा जा रहा है कि इसमें लाखों लोग भाग लेंगे। इसके लिए इतना धन कहां से आयेगा। इसका उत्तर है, अमेरिका से। कुछ ही दिन पहले एक चेक प्राप्त हुआ है....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपका दल भी दिल्ली में रैली का आयोजन करता है, क्या उस के लिए धन रूस से आता है ?

श्री सैयद अहमद आगा : जयप्रकाश नारायण को चेक कहां से प्राप्त हुआ ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप इसे साबित करिये कि धन अमेरिका से आ रहा है; मैं आपको चुनौती देता हूं....(**व्यवधान**)

Shri Hukum Chand Kachwai (Morena): This should be expunged from the record.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : Truth is always bitter.

Shri Atal Behari Vajpayee : It has been said that the money to organise march on the 6th March is coming from America. These words should be withdrawn. If it is so, why do Government not check it ? If he does not withdraw these words, you should at least expunge them from the record.

Shri Syed Ahmed Aga : I read this news in newspapers. In Orissa Assembly, it has been said that cheques have been received for J. P. Narain...(*Interruption*)

Shri Hukam Chand Kachwai : I come to know from the newspapers that Mr. Aga is a Pakistani Agent. He receives money from Pakistan.

Shri Atal Behari Vajpayee : The Prime Minister is present in the House. Jammu and Kashmir accord is being discussed here. I do not know how Mr. J. P. Narain is being dragged here,

Mr. Speaker : We should refrain from such kind of talk which creates acrimony

श्री एस० ए० शमीम : मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के आरोपों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाये। (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इन्होंने आरोप लगाया है कि श्री जयप्रकाश अमरीकी प्रभाव के अधीन है। (**व्यवधान**)

श्री सैयद अहमद आगा : मैं निर्वाचित प्रतिनिधि हूं। मुझे बोलने का अधिकार है। उन्हें इतना शोर मचाने से रोकिए।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्र पाडा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने तो बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्णय दे दिया कि श्री आगा को पाकिस्तानी एजेन्ट कहने संबंधी शब्द वापिस लेने चाहियें तथा श्री आगा को जे० पी० के विरुद्ध कहे अपने शब्द वापस लेने चाहिये । परन्तु प्रधान मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री ने सिर हिला कर मना कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को एक दुसरे के विरुद्ध इस प्रकार आरोप नहीं लगाने चाहियें । यह तो आप का एक सुझाव है ।

Shri Janeshwar Misra : Would the Hon. Speaker give his rulings at the instance of the Prime Minister ?

Shri Shyam Nandan Mishra : Would such baseless allegations be withdrawn or not?

Mr. Speaker : It looks as if you are ordering me. I have advised that such allegations should not be made by both sides. It is not that I do not want unparliamentary words to be withdrawn, but he has not used any unparliamentary words. You cannot say that I have forced to give a ruling.

Shri Shyam Nandan Mishra : Either you give a ruling on it or we shall start quoting from Newspapers.

अध्यक्ष महोदय : इस पर रूलिंग का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री आगा मैं परामर्श देता हूं कि आप इस प्रकार उत्तेजना पैदा न किया करें (व्यवधान)

श्री के० रघुराम्मैया : विरोधी पक्ष ने मेरे साथी द्वारा समाचार पत्र से उद्धरण पर आपत्ति की है । प्रतिदिन विशेषाधिकार तक के प्रश्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर लाये जाते है । इस बारे में नियम बना लियें जाय जिसका दोनो पक्ष पालन करे ।

श्री सैय्यद अहमद आगा: मैंने शेख अब्दुला के साथ हुए समझौते की प्रशंसा की है । इस लिए मैंने तीन उद्धरण पढे....(व्यवधान)

Shri Janeshwar Misra : Had Shri Kachwai and Shri Aga been allowed to withdraw their allegations the matter would have ended. But would the hon. Speaker discharge his duties at the instance of Prime Minister ?

अध्यक्ष महोदय : यदि मेरी रूलिंग ली जायेगी तो यह दोनो पक्षों के हित में नहीं होगी । यदि मैं कहूं कि समाचार पत्रों से उद्धृत नहीं किया जा सकता तो यह दोनों पक्ष नहीं चहेंगे ।

मैंने कहा था कि इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाये जाने चाहिये । यदि उन्होंने अशिष्टता पूर्ण बात कही है तो मैं इसे वापस लेने का परामर्श दूंगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र: जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मै यह नहीं कर सकता क्यों कि वह असंसदीय शब्द नहीहै ।

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : जब श्री आगा बोल रहे थे उस समय श्री मिश्र सदन में नहीं थे । क्या श्री मिश्र बतायगे कि वह किन शब्दों को निकलवाना चाहते हैं ।(व्यवधान)

Shri Syed Ahmed Aga : Due to noise they have differently interpreted my words. While praising the Kashmir accord , I mentioned the publication of Quran by U. S. I. S. and distribution thereof in Calcutta. Secondly, I said about the statement of the Chief whip of Orissa about the cheque received for the reception of Shri J. P. I also mentioned about the activities of C. I. A.

These people formed a grand alliance but could not achieve anything (*Interruption*)

Shri Shyam Nandan Mishra : He is repeating again.

Shri Atal Bihari Vajpayee : He should prove it.

अध्यक्ष महोदय : मैं दोनों पक्षों से निवेदन करता हूं कि एक दूसरे पर ऐसी टिप्पणीया न करे ।

श्री के० रघुराम्मैया : यह बजट सत्र है । हमें वित्तीय विधान पारित करना है। हमें अधिक समय के लिये बैठना होगा ।

कल हम 6 बजे के पश्चात बैठेंगे और अतिरिक्त समय इस विषय को देंगे ।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार, 4 मार्च, 1975 तक 13 फाल्गुन 1896 (शक) ग्यारह बजे तक के लियें स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, March 4, 1975/ Phalguna 13, 1896 (Saka).

भा०स०म०ना०—वि० 4-12 लोक सभा/75-16-7-75—200